

Haryana Vidhan Sabha

Debates

29th July. 1968

Vol. I—No. 10

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 29th July, 1968

	Page
Started Questions and Answers	(10)1
Unstarred Questions and Answers	(10)16
Short Notice Question and Answer	(10)18
Call Attention Notices	(10)19
Statement by the Chief Minister	(10)20
Bill--	
The Haryana Appropriation --, 1968 Personal Explanation by --	(10)21
Shrimati Chandravati	(10)32
Bill --	
The Haryana Appropriation --, 1968 (Resumption of Discussion)	(10)32
Personal Explanation by --	(10)62
Bill--	
The Haryana Appropriation --, 1968, (Resumption of discussion) (condld)	(10)65
Appendix	(10) i

ERRATA

TO

HARYANA VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, No.10,

Dated 29th, JULY, 1968

शुद्ध	अशुद्ध	पृष्ठ	लाइन
64	6	(10)8	4
बेहूदा	बेहूद	(10)11	27
गैरजिम्मेदार	गरजिम्मेदार	(10)13	35
लोकिन	लकिन	(10)23	3
Mr.	M .	(10)26	9
interruptions	nterrueptions	(10)26	12
राम	रा	(10)27	13
yourselves	yourselv s	(10)30	23
ने	न	(10)32	17
सटूडैंट्स	सटूडटस	(10)34	2
Panel	Penal	(10)37	2

entrepreneurs	entrepreneurs	(10)46	4
कोशिश	कोशिश	(10)49	26
झर्झुलैरिटी	झर्झुलैरिटी	(10)56	12
देश	दश	(10)64	3 नीचे से
मिनिस्टर	मनिस्टर	(10)32	16

HARYANA VIDHAN SABHA

Monday, the 29th July, 1968

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Chandigarh, at 2.00 P.M. of the Clock, Mr. Speaker (Brig, Ran Singh) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Transfer of J.P.T.C.

***29 Shri Mangal Sain:** Will the Chief Minister be pleased to state ----

(a) the date on which and the name of the department to which J.P.T.C. was transferred by the Governor from the Transport Department ;

(b) whether it is a fact that the officer referred to in part(a) above refused to hand over the charge despite the orders to that effect; if so, the action taken by the Government thereon:

(c) whether the transfer of the said Officer stands withheld at present; if so, the authority under whose directions the said transfer has been withheld ?

Sh. Bansi Lal: It is not in public interest to supply the information asked for in the question.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, आपने इस सवाल का जवाब पहले भी पढ़ लिया होगा और अब भी सुना होगा। मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि प्रेस में इस बात की बड़ी चर्चा हुई है कि श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने जे.पी.टी.सी. को ट्रांसफर कर दिया है और उस आफिसर ने जाने से इन्कार कर दिया है। मुख्यमन्त्री महोदय ने शपथ लेने के बाद जो पहला आर्डर किया वह यह कि राज्यपाल महोदय के उस आर्डर को स्टै कर दिया। यह भी बात प्रेस में छपी है। स्पीकर साहब, यह मेम्बर्ज का सेक्रिज प्रिविलेज है कि वे इन्फर्मेशन हासिल करें। मगर चीफ मिनिस्टर साहिब इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। स्पीकर साहब, हम इस मामले में आपकी हैल्प चाहते हैं। यह भी हम पब्लिक इन्ट्रेस्ट में जानना चाहते हैं कि इस महकमे में क्या गड़बड़ हो

रही है। आप चीफ मिनिस्टर साहब से कहें कि वे इस मामले पर रोशनी डालें।

Mr. Speaker: The facts of this case have been brought to my notice and I think at present it will not be in public interest to give any more information in this case.

Malik Mukhtiar Singh: Mr. Speaker, Sir, this question relates to the transfer of an Officer of the State. I do not know what sort of public interest is involved in it. The Chief Minister may kindly be asked to supply the necessary information.

Mr. Speaker: I have stated earlier that I have gone into the facts of the case and satisfied myself that for the present it is not in public interest to give any more information in this case. But I am not depriving the hon. Member to know the facts of this case later.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आप सैटिस्फाइड हैं तो हमें भी नेचुरली सैटिस्फाइड होना चाहिए। मगर, स्पीकर साहिब, बहुत अच्छा होता अगर आप मुझे भी कान्फीडेन्स में ले लेते कि सरकार इन वजूहात की बिना पर जवाब देना पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं समझती। उस सूरत में मैं यहां खड़ा होकर यह बात नहीं पूछता। दूसरा, स्पीकर साहब, आपने कहा है, कि “फार दी प्रैजेंट” जवाब देना पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं है। तो क्या मैं इसको पोस्टपोन समझूँ?

Mr. Speaker: Yes.

श्री मंगल सैन: चालू सैशन में जवाब आ जायेगा ?

Mr. Speaker: No

श्री मंगल सैन: तो कब आयेगा ?

Mr. Speaker: Later on.

Charging of Higher Prices for Text-Book

***46. Shri Roop Lal Mehta:** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether it has come to the notice of the Government that book-sellers in the State are charging higher prices for Text Books as compared to the prices fixed by the Government;

(b) if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government to check the charging of higher prices for Text Books from the students?

Sh. Bansi Lal: (a) No.

(b) Does Not arise.

श्री रूप लाल मेहता: क्या मुख्यमन्त्री बतायेंगे कि जिन गावों में मिडल और हाई स्कूल हैं क्या वहां पर भी एजेन्सीज दी जायेंगी, जिनके जरिए से ये किताबें मिल सकें ?

मुख्य मन्त्री: जहां जरूरत है वहां पहले ही किताबें मिलती हैं। यह काम कण्ट्रोलर आफ प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, यूनियन टैरेटरी, चण्डीगढ़ के द्वारा होता है। हरियाणा के कण्ट्रोलर

ने थोड़े दिनों से ही चार्ज लिया है और उनके अपने के बाद काफी सुधार हुआ है। अगर कोई मैम्बर हमारे नोटिस में कोर्ड कमी लायेगा तो उसे ठीक कर दिया जायेगा।

श्री फतेह चन्द विज़: क्या चीफ मनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात आई है कि किताबों की कीमत ज्यादा चार्ज की जा रही है?

मुख्य मन्त्री: यह काम हमारे पास 1-6-68 से आया है उसके बाद कोई शिकायत नहीं आई। उससे पहले यह काम कण्ट्रोलर आफ प्रिंटिंग, यूनियन टैरेटरी, के पास था। उसके पास कोर्ड शिकायत आई हो तो मैं नहीं कह सकता।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मुख्य मन्त्री साहब बतायेंगे कि आये साल टैक्स्ट बुक्स क्यों बदल दी जाती है?

मुख्य मन्त्री: यह इस सवाल से पैदा नहीं होता। अगर सैप्रेट नोटिस दे तो जवाब दे सकते हैं।

Recruitment in the Education Department

***64. Subedar Parbhoo Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the total number of posts/vacancies, category-wise, advertised by the Education Department from 1st November, 1966 to 30th June, 1968 ;

(b) The total number of posts/vacancies filled up by the department from amongst the candidates belonging to Scheduled Castes and other Backward Classes during the period referred to in part (a) above ;

(c) whether the reserved percentage of scheduled castes and other backward classes candidates was completed at the time of filling up vacancies against the said advertised posts; if not the reasons for not doing so?

Sh. Bansi Lal: (a) & (b) A statement (Annexure I) containing the requisite information is laid on the Table of the House.

(c) No. The Haryana Public Service Commission has indicated that "generally speaking it has not been possible to meet full demand of the Education Department due to paucity of qualified Scheduled Castes candidates".

STATEMENT

(ANNEXURE I)

Ser ial No.	Name of category of post got advertised during the period from 1 st November, 1966 to 30 th June, 1968	Total number of vacancies/ posts got advertised through Haryana Public Service Commissio	No of posts/vacan cies got reserved fro members of Scheduled Castes and Backward Classes	Total number of vacancies/p osts (out of those noted in column 3) filled from amongst the members of Scheduled

		n			Castes and Backward Classes	
			Reserved Members of Scheduled Castes	Reserved for Members of Backward Classes	Scheduled Caste s	Backward Class es
1	2	3	4		5	
	SCHOOL STAFF					
	Headmasters/He admistresses					
1	Headmasters					
2	Headmistresses					
	Lecturers in-					
1	Physics					
2	Chemistry					
3	Botany					

4	Biology					
5	Home Science					
6	Music					
7	Drawing and Painting					
8	English					
9	Mathematics					
10	History					
11	Political Science					
12	Economic					
13	Public Administration					
14	Sociology					
15	Geography					
16	Hindi					
17	Punjabi					
18	Sanskrit					
	Masters					
1	Science					

2	Mathematics					
3	Social Studies					
4	Agriculture					
5	Commerce					
6	Craft					
	Technical Instructors in--					
1	Civil Engineering					
2	Mechanical Engineering					
3	Electrical Engineering					
	Mistresses					
1	Science					
2	Mathematics					
3	Social Studies					
4	Craft					
5	Music					
6	Home Science					

7	Tailoring					
	Teachers					
1	J.B.T.					
2	Hindi O.T.					
3	Punjabi O.T.					
4	Physical Training Instructors					
5	Sanskrit					
6	Art and Craft					
	Staff for Field Offices					
1	Stenographers					
2	Steno-typists					
3	Clerks					
4	Drivers					
	Staff for Headquarters					
1	Statistical Officer					
2	Draftsman					

3	Librarian					
4	Driver					
	Staff for Government Colleges					
1	Lecturers					
2	P.T.S.					
3	Junior Lecturer Assistants					
4	Senior Lecturer Assistants					
5	Dispensars					
6	Junior Librarians					
7	Nurse					
8	Assistant Vijanan Mandir Officer					
9	Film Mechanic					

Government College for Women, Rohtak

***78. Sh. Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether the Government have received any information about the loss suffered during the rainy season every year due to the rain water entering into the premises of the Government College for Women, Rohtak; if so, the amount of loss so suffered by the Government during the years from 1960 to 1968, yearwise;

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the said college from its present location; if so, when together with the name of the place to which the same is likely to be shifted ?

Sh. Bansi Lal: (a) Yes. The total amount of the losses suffered due to floods during the years 1960 and 1964 is Rs. 11,875.83 and Rs. 585, respectively. No such loss occurred during the rest of the years.

(b) Yes. A decision has been taken to shift the College to a new building. The suitability of the District Jail, Rohtak with such alterations and modifications as may be necessary, is being considered for this purpose. The College will be shifted as early as possible.

श्री मंगल सैन: यह कहा गया है कि इस कालेज को “ऐज अरली ऐज पासीबल” दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जायेगा। आप स्पीकर साहिब, शायद रोहतक नहीं जा सके होंगे। आज भी वहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसकी वजह से चार चार फुट पानी वहाँ पर भर गया था। मैं आपके द्वारा मुख्यमन्त्री

महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इसी फाईनेंशियल ईयर में कालेज को शिपट कर दिया जायेगा या आठ—दस साल और लगेंगे?

मुख्यमन्त्री: अभी दो साल लगेंगे।

***Starred Question No. 63 (postponed).**

Mr. Speaker: Extension of time to answer question No. 63 was sought and has been granted.

सूबेदार प्रभु सिंह: मैं आपके थ्रू जानना चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब कल मिलेगा, या फिर?

श्री अध्यक्ष: इसी सैशन में।

सूबेदार प्रभु सिंह: क्या परसों तब मिल जायेगा?

श्री अध्यक्ष: मिल जायेगा?

मुख्यमन्त्री: कोशिश करेंगे।

सूबेदार प्रभु सिंह : मुख्यमन्त्री ने कहा है कि “कोशिश करेंगे” मैं इनसे दरखास्त करूँगा कि कोशिश न करें बल्कि जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: यह मैंने पहले ही कह दिया है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहिब, आपने कहा कि सरकार ने इस सवाल का जवाब देने के लिए टाइम मांगा है। मेम्बर साहिब

ने फिर पूछा कि क्या कल तक जवाब मिल जायेगा? स्पीकर साहिब, मेरे ख्याल में और भी कई भाई हैं, जिन्हें अंग्रेजी समझने में दिक्कत आती है। और हम 15 अगस्त से हिन्दी लागू करने जा रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा हो अगर आपकी तरफ से भी हाउस में वार्तालाप हिन्दी में होनी प्रारम्भ हो जाये।

Reservation of posts for Backward Classes in the State

***62. Subedar Parbhoo Singh:** Will the Minister for labour be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the Government have reserved 20 per cent posts for recruitment of backward classes in the State;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the total number of Haryana Government employees cadre, class, department and district wise together with the number against them of those belonging to the Scheduled Castes?

Chaudhri Ram Singh: (a) No. Only 2 per cent posts have been reserved for recruitment of Backward Classes.

(b) Question does not arise.

सुबेदार प्रभु सिंह: सवाल के पार्ट 'बी' के जवाब में कहा गया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। ''स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूँ कि जब से हरियाणा बना है क्या इन्होंने बैकवर्ड कलासिज को दो परसेंट प्रोमोशन दी है?

मंत्री: इसके लिए अलहदा नोटिस चाहिए।

श्री बनारसी दास गुप्ता: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने जो बैकवर्ड क्लासिज के लिए कमीशन नियुक्त किया था उसने क्या सिफारिश की है? क्या उसने दो परसेंट की सिफारिश की थी या इससे अधिक?

मन्त्री: भारत सरकार के कमीषन बनाने से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

चौधरी बनवारी राम: स्पीकर साहब करनाल जिले में 364 लड़के और 200 लड़कियां टीचर भर्ती किये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने लड़के—और लड़कियां बैकवर्ड क्लास से सम्बन्ध रखती हैं?

मंत्री: इसके लिए सैप्रेट नोटिस चाहिए।

सूबेदार प्रभु सिंह: सवाल के पार्ट 'बी' में मैंने पूछा था

—

"If the answer to part(a) above be in the affirmative the total number of Haryana Government employees cadre, class department and district wise together with the number against them of those belonging to the Scheduled Castes'.

मगर वजीर साहिब ने इसके जवाब में हमें अन्धेरे में रखने की कोशिश की है।

मन्त्री: इन्होंने पूछा था—

“if the answer to part (a) above be in the affirmative” क्योंकि पार्ट ‘ए’ का जबाब अफरमेटिव में नहीं है इसलिए पार्ट ‘बी’ के जवाब का सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री रूप लाल मेहता: जो पब्लिक सर्विस कमीशन से रिक्मेण्डेशन मांगी जाती हैं, क्या वह 20 परसेंट रिजर्वेशन के हिसाब से या कम से मांगी जाती है?

मन्त्री: यह सवाल तो बैंकवर्ड क्लासिज के लोगों के बारे में पूछा गया है, वैसे शेड्यूल कास्टस के वास्ते भी रिजर्व होती हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: जब दो परसेंट हरिजनों की रिजर्वेशन है तो स्पीकर साहब, यह जवाब दे सकते थे कि इतने हरिजन अफसर लगाए गए हैं।

मन्त्री: मैंने पहले ही कहा दिया कि पार्ट ‘ए’ में बैंकवर्ड क्लासिज के लिए पूछा गया है और पार्ट ‘बी’ में शेड्यूल्ड कास्ट में मुतालिक। इसीलिए वैसा जवाब दिया गया है।

मुख्यमन्त्री: स्पीकर साहिब, जो इनफर्मेशन आनरेबल मेम्बर चाहते हैं, वह सवाल नम्बर के जबाब में आ जाएगी।

Mr. Speaker: I think we should wait for the reply of question no 64.

श्रीमती चन्द्रावतीः जनाब मिनिस्टर साहिब इवेसिव
रिप्लाई दे रहे हैं।

मुख्यमन्त्रीः यह इनफर्मेशन अभी आई नहीं है।

सूबेदार प्रभु सिंहः जनाब, वजीर साहिब टालने की
कोशिश कर रहे हैं, इनको जवाब देना चाहिए मैंने तो ठीक ही
पूछा है। और मेरा सवाल पार्ट बी में बिलकुल साफ है।

मुख्यमन्त्रीः आज चौधरी चांद राम नहीं हैं इसलिए
इन्होंने उनकी जगह ले ली है।

चौधरी हरकिशन लाल कम्बोजः जनाब, मैं वजीर साहिब
से यह पूछना चाहता हूँ कि उनके लिए जब 2 परसेंट रिजर्वेशन
की गई हुई है तो कभी कोई उनमें से लगाया भी गया है?

मुख्यमन्त्रीः सवाल नम्बर 64 में जवाब आ जाएगा।

Supply of Gurgaon Canal Water to Palwal Tehsil

***44. Sh. Roop Lal Mehta:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government is considering any proposal for supplying water from Gurgaon Canal to the whole of Palwal Tehsil or part thereof which is not irrigated by Upper Agra Canal or any other system of water-supply?

Sh. Ram Dhari Gaur: Yes. Rampur Distributary of Gurgaon Canal for the area between Agra Canal and river Yamuna and Dhatir and Uttarwar Distributaries west of

Gaunchi Drain have been built to irrigate areas in Palwal Tehsil outside the command of Agra Canal.

आगरा कैनाल में जहां जहां हिस्सा नहीं मिला है उसको मिल जाएगा। हाई कोर्ट में रिट दायर है अगर उसका फैसला हो जाता तो कोई ऐक्शन लिया जा सकता था लेकिन जो बाकि हिस्सा है गांची ड्रेन के बीच में उसको पानी मिल रहा है और बाकी को डाबर डिस्ट्रीब्यूटरी से पीन मिलेगा।

श्रीरूप लाल महता: जिस रिट का जिक्र आनरेबल मिनिस्टर ने किया है वह तो 3 साल से चल नहीं है। तो अगर केस डिसाइड न हो तो क्या वह इलाका सूखा ही रहेगा?

मन्त्री: जब तक मुकदमा डिसाइड नहीं हो जाता, डिपार्टमेंट ऐक्शन कैसे ले सकता है?

श्रीमती चन्द्रावती: अपर आगरा कैनाल से जो पानी दिया जाता है उसका रेट वेस्ट जमना कैनाल के पानी के रेट से ज्यादा क्यों है?

मन्त्री: वह यू.पी. गवर्नर्मेंट का रेट है।

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब, सिंचाई तो हमारी स्टेट के हिस्से में हाती है और रेट का इंतजाम वह करते हैं जब कि सारी वसूली हमारी गवर्नर्मेंट के तहत होती है। वजीर मुतलिका को बतलाना चाहिए कि ऐसा फर्क क्यों है।

मन्त्री: इसमें आबयाने के बारे में सवाल पूछा नहीं गया।
इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

श्रीमती चन्द्रावती: जो एलाईड सवाल हो क्या वह पूदा
नहीं जा सकता?

Mr. Speaker: I am afraid it is a new information
that is being sought and you cannot expect him to be aware of
all these. Really the question put is not covered by the original
question.

मलिक मुख्तियार सिंह: जनाब, अभी महता साहब ने
कहा कि तीन साल से उस इलाके के लिए कोशिश हो रही है
मगर कोर्ट बात बनी नहीं। मैं समझता हूं कि श्री रामधारी गौड़ जो
सिंचाई मन्त्री हैं वह उस इलाके का इंतजाम करें, बरना रूप लाल
को ही वजीर बनाना पड़े गा(हंसी).....

सूबेदार प्रभु सिंह: इनको महता जी का दर्द हुआ सो
तो ठीक है मगर रूप लाल जी वजीर बनना नहीं चाहेंगे क्योंकि
उनको पता है कि जो वजीर बने थे उनकी मिट्टी पलीव हुई थी।

Pay of a Forest Guard in District Karnal

***57. Sardar Piara Singh:** Will the Minister for
Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the pay of a Forest
Guard in District Karnal has been withheld for the last six
months; if so, the reasons therefore;

(b) whether the said Forest Guard has submitted any application to the Forest Department for payment of arrears of his salary; if so, the action taken thereon?

Sh. Ram Dhari Gaur: (a) No.

The Forest Guard has himself refused to draw his pay on account of certain recoveries likely to be made from him.

(b) No

No such application has been received in the office of the Divisional Forest Officer, Karnal. However, the Range Officer who is the Pay Disbursing Officer to the Forest. Guard has been instructed that the Forest Guard is at liberty to draw his pay.

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि फारेस्ट गार्ड की ड्यूटी क्या होती है?

मन्त्री: यह तो सीधी सी बात है, फारेस्ट के माने जंगल और गार्ड के माने उसको देखभाल करने वाला।

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब स्पीकर साहिब, यह तो वेग सा जवाब दिया गया है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहिब, अगर यह सवाल आपोजीशन के किसी मैम्बर की तरफ से पूछा जाता तो मुख्यमन्त्री साहिब करते कि इनके फंक्शन्ज पुस्तक में लिखे हुए हैं। शुक्र है

बहन जी अब सवाल करने लगी हैं, आशाएं खत्म होने लगी हैं जो कि इतनी देर से लगा रखी थीं।

चौधरी हरकिशन लाल कम्बोज़: क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि उसकी तनखाह की कितनी रकम बनती है और वह उसको कब तब दे दी जाएगी?

मन्त्री: कुल रकम 390 रुपए है और जब वह लेना चाहे ले सकता है।

सूबेदार प्रभु सिंहः क्या वजीर साहिब बताएंगे कि कितने दिनों से उसकी तनखाह रुकी हुई है?

मन्त्री: मार्च के महीने से उसने तनखाह नहीं ली।

सूबेदार प्रभु सिंहः जितने महीने उसकी तनखाह को रोक रखा गया हुआ है, क्या उस अरसा का उस को सूद दिया जाएगा?

मन्त्री: मैंने पहले बता दिया है कि वह अगर लेना चाहे तो अभी जाकर ले सकता है। उसके लिए कोई रुकावट नहीं है।

Construction of A link Road from Village Sandhoti
to Thanesar Pehowa Road

***58. Sardar Piara Singh:** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether it is a fact that the construction of link road from village Sandhoti to Thanesar-Pehowa Road has since been sanctioned by the Government ; if

so, the date when sanctioned and the reasons for not starting the construction work thereon?

Sh. K.L. Poswal: Yes. It was sanctioned on 16th February, 1967 under the village Road Co-operative Development Scheme for earthwork and culverts on, for Rs. 18,975 representing villagers' share to the tune of 1/4th of the total cost. Further construction i.e., metalling will be taken in hand as soon as adequate funds become available.

सूबेदार प्रभु सिंह: क्या वजीर साहब बताएंगे कि कब तक उसके पास फंड आ जाएंगे?

मन्त्री: हम कोशिश तो करेंगे कि इसी साल फंड आ जाएं और वह बना दी जाए।

सरदार प्यारा सिंह: दो सालों में तो वह बनाई गई है, क्या आप उसकी मियाद बढ़ाने के लिए तैयार हैं?

मन्त्री: यह सैंक्षण हुर्ट थी 16 फरवरी, 1967 को और उस पर कुछ काम भी हो चुका है अब मैटलिंग करना बाकी है।

सरदार प्यारा सिंह: वहां मौका पर कोई काम नहीं हुआ है, क्या वजीर साहब इस बात की इनक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं?

मन्त्री: हाँ जी, अगर आप लिख कर देंगे तो हम इनक्वायरी करवाने के लिए तैयार हैं।

***59. Sardar Piara Singh:** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether it is a fact that the construction work on the Pehowa - Patiala road which was sanctioned four years back has since been suspended ; if so, the reasons for not resuming the construction work on the said road so far?

Sh. K.L. Poswal: No. The work is in progress.

सरदार प्यारा सिंह: सड़क पर जो रोड़ी और ईंटें पड़ी हुई थी उसको लोग उठा उठाकर ले जाते रहे हैं। क्या वजीर साहिब बताएंगे कि उसकी जिम्मेवारी किस पर आती है।

मन्त्री: हमारा कोई न कोई चौकीदार वहां पर होता है और कोई न कोई आदमी जिम्मेदार होगा, इसलिए अगर लोगों ने कोई नुकसान किया होगा तो उसको पूछा जाएगा।

Medical College in Gurgaon District

***45. Sh. Roop Lal Mehta:** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for opening a Medical College at any suitable place in Gurgaon District?

Sh. Khurshid Ahmed: No, there is not such proposal under the consideration of Government.

श्री रूप लाल मेहता: क्या मंत्री महोदय बताएगे कि अगर मेरे इलाके की मुष्टरका डिमांड आए तो क्या उस पर गौर किया जाएगा?

मन्त्री: अभी तक कोई ऐसी चीज हमारे सामने नहीं आई।

श्री रूप लाल मेहता: मैंने सीधा सवाल पूछा है कि अगर ऐसी डिमांड की जाए तो सरकार गौर करेगी?

मुख्यमन्त्री: गुड़गावा में मैडिकल कालेज नहीं खोला जा सकता क्योंकि यह जगह देहली से सिर्फ 18 मील के फासले पर है।

चौधरी नारायण सिंह: क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि किसी खास जगह पर मैडीकल कालेज खोलने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी चाहिए?

स्वास्थ्य मन्त्री: सब से पहले तो पैसे की जरूरत होती है और इसके इलावा बाकी जो सब बातें हैं वह पूरी होनी चाहिए।

सूबेदार प्रभु सिंह: क्या वजीर साहिब बताएंगे कि अगर पैसे का ही सवाल है कि जो जिला ज्यादा जमा करवाएगा वहाँ खोला जाएगा तो मेरा इलाका अगर सब से ज्यादा पैसे जमा करवा दे तो क्या वहाँ पर आप मैडिकल कालेज खोल देंगे?

मन्त्री: पैसे की अकेली बात नहीं है, और भी बहुत सी बातों का ख्याल रखना होता है।

श्री मंगल सैन: चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया था कि गुड़गावा क्योंकि देहली के नजदीक है इसलिए वहाँ पर

मैडीकल कालेज नहीं खोला जा सकता। मैं जानना चाहूंगा कि करनाल में जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब सनातन धर्म सभा में एलान करके आए हैं कि वहां पर मैडीकल कालेज खोल दिया जाएगा, यह कब तक खोल दिया जाएगा?

मुख्यमन्त्री: करनाल भी हमारे जेरेगीर है, हिसार भी जेरेगौर है, जहां पर जरूरी समझा जाएगा वहां पर बना दिया जाएगा।

वित्तमन्त्री: स्पीकर साहिब, मैं इस बात को कलीयर करना चाहती हूं मैडीकल कालेज के साथ बहुत बड़ा हस्पताल होना चाहिए। देहली में काई बड़े बड़े हस्पताल हैं इसलिए गुंडगावां में इसका बनाना इतना मुफीद नहीं होगा।

चौधरी लाल सिंह: मैं जानता चाहूंगा कि बहुत सी औरतें जो लूप का शिकार हो गई हैं उन को बचाने के लिए आप हरियाणा में लूप लगाने का सिलसिला बन्द करेंगे या कि नहीं?

स्वास्थ्य मन्त्री: चौधरी लाल सिंह जी से इसके बारे में खास मशविरा किया जाएगा।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जनाब स्पीकर साहब मुझे निहायत अफसोस है कि हाउस में इस किस्म की बातें की जा रही हैं जिनका कि इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं था। इस वक्त तो सिरफ मैडीकल कालेज का ताल्लुक था। अगर आप इस किस्म की इजाजत देंगे तो मैं

समझता हूं कि यह हाउस असेम्बली का हाल नहीं होगा तमस्खारे का हाल होगा। बड़े ताज्जुब की बात है कि न कोई वास्ता न कोई लेना न देना उठ कर ऐसी बेहूदा बात कह दी। लोग हंस लिये और ची मिनिस्टर साहिब भी तो हंसे और सुनकर खुश हो गए, जिससे मेम्बर साहिब की एन्करेजमेंट हो गई। मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहिब को बजाया हंसने के इस बात पर नदामत आनी चाहिए थी।

चौधरी लाल सिंह: मैं खान साहिब को बताना चाहता हूं कि इनकी तो न औरत है और न बच्चा लेकिन मैं तो इसका शिकार हुआ बैठा हूं इसीलिये रोता हूं।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ: मैं अर्ज कर रहा था कि आप इस किसम की बात की इजाजत न दें और ऐसी बात करने वाले के खिलाफ कार्यवाही करें। आखिर यह कोई बात करने का तरीका है। किसी के औरत है या नहीं है, इसका क्या सवाल है? मेरे नहीं है लेकिन मुझे फख्त है इस बात का कि मैं इस किसम की बात नहीं कह सकता। इतनी लेडी मेम्बर्ज यहां पर बैठी है इसलिये कोई बात तो डेकोरम की होनी चाहिए और इस हाउस का प्रैसटीज होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर इस किसम की चीजें जारी होंगी, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप जो हमारे और इस हाउस के प्रैसटीज और आनर के कस्टोडियन हैं इसलिये इसकी जिम्मेदारी न सिर्फ हम पर आयद होगी बल्कि आपकी अल्टीमेंट जिम्मेदारी होगी।

श्री अध्यक्षः दरअसल मैं उसी वक्त कुछ कहने वाला था बल्कि मैंने चौधारी चांद राम जी से अर्ज किया कि वह बैठ जाए लेकिन इतनी देर में लाल सिंह साहब ने कुछ कह दिया। सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ने जो कोई भी आइटम अंडर कन्सिडरेशन, अंडर डिसक्षण और अंडर डिलिबरेशन हो, चाहे क्वैश्चन आवर ही क्यों न हो, उसे सीरियसली लेना चाहिए और उसे प्रापरली स्किस करना चाहिए। हो सकता है और कभी कभी तो ठीक है कि हियूमर क्रीएट करने के लिए कुछ कहदिया जाए लेकिन हर वक्त ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। Let us be serious about all these things. It is not correct or desirable for the hon. Members to raise irrelevant points of order. I am particularly perturbed." I shall say it in Hindi. मैं लाल सिंह जी से अब हिन्दी में कह देता हूं कि आप दरअसल बगैर सोचे बात कह देते हैं। आइंदा अगर आपने ऐसा किया तो आप अपनी सीट पर ही बैठे रहेंगे, उठने नहीं दूंगा।

So, let us be more serious; let us be decent and maintain decorum of the House.

Chaudhri Chand Ram: Sir, in today's Tribune we have read a news item that a Medical College is going to be opened in Karnal and this announcement is attributed to the Chief Minister. Now, here the Chief Minister has stated that Karnal is also one of the places under consideration for this purpose. May I know which of the two statements is correct?

Chief Minister: Sir, my submission is and the Hon. Member should know that the chief Minister's voice/statement is more authentic than a news item in the press.

श्री मंगल सैन: आन ए प्वायंअ आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, मेरी अर्ज है कि अगर कोई मेम्बर सप्लीमेंटरी सवाल करता है तो यह आपने देखना हैं वह रिसपांसीबल है या इररिसपांसीबल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अक्सर चीफ मिनिस्टर साहिब की तरफ से रोजाना ऐसे रिमार्क्स पास किए जाता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह सप्लीमेंटरी का जवाब दें न, कि उसके बारे में कोई रिमार्क्स पास करें।

श्री अध्यक्ष: मैंने खुद कहा था कि इसका वह जवाब दे चुके हैं।

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहिब, मैं कहना चाहता हूं कि यह आज की ही खबर है और कोई पुरानी बात नहीं कि सनातन धर्म प्रतिनिधि सीाा की करनाल में मीटिंग हुई जिसे चीफ मिनिस्टर साहिब ने ऐड्रेस किया और इनके मुंह से कहलवाया गया कि करनाल में मेडिकल कालेज खोला जाएगा। लेकिन अब एक मिनिस्टर साहिब उठे और कहने लगे कि आप यह जेरेगौर है, बहुत सी जगहें जेरेगौर हैं और उनमें करनाल भी शामिल है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चीफ मिनिस्टर साहिब की बात को सच माना जाए या दूसरे मिनिस्टर साहिब की बात को सच माना जाए?

Mr. Speaker: The hon. Chief Minister has already said that there is no final decision taken by the Government on this matter and Karnal and a few other districts are under consideration for this purpose. It is an open question.

मलिक मुख्तियार सिंह: स्पीकर साहिब आज के सब अखबारों में यह खबर आई है कि उन्होंने करनाल में फरमाया है कि वहां मेडीकल कालेज खोला जाएगा। अगर हन्होंने ऐसा नहीं कहा तो

Mr. Speaker: He has already replied it.

मलिक मुख्तियार सिंह: स्पीकर साहिब आज के सब अखबारों में यह खबर आई है कि उन्होंने करनाल में फरमाया है कि वहां मेडीकल कालेज खोला जाएगा। अगर इन्होंने ऐसा नहीं कहा तो

Mr. Speaker: The position has already been made clear.

मुख्यमन्त्री: जो जवाब यहां हाउस में दिया गया है वही ठीक है। मैं अखबारी खबरों की कहां तक कंट्राडिक्शन करता रहूँगा।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, हम डैमोक्रेसी में काम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि डैमोक्रेसी में प्रेस का बड़ा अहम रोल होता है। यह शायद नए नए आए हैं इस लिये इन्हें पता नहीं और इसीलिए कह रहे हैं कि रोज खबरों की

कंट्राडिक्शन नहीं हो सकती। यह गलत चीज है और यह अगर नए हैं तो पुराने आदमी तो यहां पर मौजूद हैं उनसे ही पूछ लें। अगर अखबारों में कोई गलत खबर निकलती है तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैंट इसीलिए है कि अगर चीफ मिनिस्टर यह मिनिस्टरों के नाम से कोई गलत खबर अखबारों में निकल जाए तो उसकी कंट्राडिक्शन कर दे। अगर इनको इस बात का पता नहीं है तो किसी तजरुबेकार से पूछ लें या अफसरों से ही पूछ लें।

मुख्यमन्त्री: मुझे नहीं पता कि पहले कोई चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर इतने इररिसपांसीबल होते थे कि हर ऐरी गैरी बात को कंट्राडिक्शन करते रहे हों हम ऐसे गैरजिम्मेदार नहीं हैं कि ऐसी बातें करें।

Chaudhry Chand Ram: Sir, I refute it.

Mr. Speaker: I think we are missing the main point. As the hon. Members are aware, according to the Rules of Procedure, no Minister can be forced to reply a question in a particular way. Earlier reply has been given by the Chief Minister that he did not make any definite announcement and that the question about the location of the Medical College is still open.

I think much time of the House has been taken on this matter and we should not pursue it further.

श्री मंगल सैन: मैं समझता हूं कि इस डैमोक्रेसी के जमाने में यह कहना कि प्रैस गैरजिम्मेदार है और सम्बाददाता गैरजिम्मेदार है यह जमहूरियत की बेइज्जती करने वाली बात है। प्रैस का जमहूरियत में बड़ा इम्पाटेंट रोल होता है और यह बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं। मैंने भी अखबार में पढ़ा है कि वह करनाल में यह बात कह आए हैं।

स्पीकर साहब, अगर यह हक दिया जाए कि यह बात जो अखबार में आई है, सही नहीं है, तो इससे मैटर खत्म हो जाता है। मगर यह जो कहते हैं कि यह जिम्मेदार मिनिस्टर हैं तो यह कहां तक ठीक है, क्योंकि अभी तो इनको आये दो महीने ही हुए हैं। यह कह कर कि यह जिम्मेदार मिनिस्टर हैं इससे यह हमें आउट राईट कंडैम करते हैं। स्पीकर साहब, आप के हाथ में डैकोरम आफ दी हाउस है, इसलिए यह इनके लिए यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि इसमें प्रैस वालों की इज्जत का सवाल है। यह बहुत देर से इस लाईन में काम कर रहे हैं।

Mr. Speaker: I am drawing your attention to Rule 46 which reads as under :-

*46 in order that a question may be admissible it shall satisfy the following conditions namely :-

(7) it shall not contain reference to newspapers by name and shall not ask whether statements in the press or of private individuals or unofficial bodies are accurate".

मुख्यमन्त्री: इन्हें इन रूल्ज का पता नहीं है और नहीं
यह रूल्ज पढ़ना चाहते हैं।

मलिक मुख्तयार सिंह: स्पीकर साहब, यह बात ठीक है
कि हम हाउस में किसी को आई नेम रेफर नहीं कर सकते।
लेकिन एक क्वश्चन जो अखबार में छपा हुआ है उसके लिए
अखबार को इतनी गैरजिम्मेदार तो नहीं कहा जा सकता कि उसने
ऐसे ही खबर छाप दी हो। ठीक है कि सप्लीमैटरी का जवाब देने
के लिए किसी मिनिस्टर को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर
यह बात है तो आप पहले ही उनकी तरफ आंख का इशारा कर
दिया करें कि वे इस क्वश्चन का जवाब देने से इन्कार कर दें तो
वे इन्कार कर देंगे।

Chaudhri Jai Singh Rathi: On a point of order, Sir,
My point of order is, whether that was a supplementary
question or my hon. Friend was explaining some other point ?

खन अब्दुल गफ्फार खां: जनाबेवाला स्पीकर साहब, मेरी
अर्ज यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि रूल्ज आफ प्रोसीजर में
इस किसम का कानून है। इसके मुतालिक मैं अर्ज करना चाहता
हूं कि पार्लियामेंट में हमने देखा है कि जब किसी अखबार में
कोई ऐसी बात आई हो तो मिनिस्टरों से पूछा जाता है कि क्या
तुम ने फलां अखबार पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो उसके मुतालिक
आपने क्या जवाब दिया है, क्या तहकीकात की है? अगर नहीं की
है तो क्यों? मैं उन भाईयों के साथ इत्तफाक करता हूं जो यह

कहते हैं कि अखबारों की हर कटिंग हर मुतालिका मिनिस्टर के पास जाती है और चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी जाती है। अगर वह खबर गलत हो तो in the interests of the State Government it is the duty of the Minister or the Chief Minister to contradict that item. इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि मैं जनाब का जो हुक्म होगा उसे मानूंगा। I am bound to bow to your ruling but I say that I is not only here but even in Parliament questions are asked about these items when these appear in the newspapers, whether the Minister concerned has or has not given such a statement and if the Minister replies in the affirmative then the matter is finished. This much I had to say.

Chaudhry Chand Ram: Sir, when a particular question is admitted, that has to be replied to; it would have been a case if you had not admitted the question. Since you have admitted that, he should reply.

Mr. Speaker: I was telling that the answer to the question has already been given. Now we should leave it.

श्री दया कृष्ण: स्पीकर साहब, सरकार इस बात को भी ऐंगजामिन करे कि क्या हरियाणा में मैडीकल कालेज की जरूरत है या नहीं, क्योंकि रोहतक में मेडिकल कालेज में आलरेडी 150 सीट्स हैं। ज्यादा सीट्स होने से कहीं डाक्टर सुपरफलुअस तो नहीं हो जाएंगे? अगर यह रूपया, जो मैडीकल कालेज पर लगाया जा रहा है, वह किसी डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल पर लगाया जाए या

किसी दूसरे ऐसे काम पर लगाया जाए जिससे लोगों को और ज्यादा फायदा हो सकता हो तो क्या पाप है?

स्वास्थ्य मन्त्री: सारी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। We have not started anything.

Mr. Speaker: I think we have enough. Now no more supplementary questions.

**Bhiwani Central Co-operative Consumer's Store
Ltd., Bhiwani, District Hisar**

***65. Dr. Malik Chand Gambhir:** Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) Whether Government have received any complaints from the Public and from the Department Officers against the working of the Bhiwani Central Cooperative Consumer Store Ltd., Bhiwani, district Hisar, regarding purchase of wheat through a private party from Kaithal as well as from Black marketing in essential commodities, etc.; if so, the action, if any, taken so far by the Government thereon; if not, the reasons for the same;

(b) whether the Government intend holding the elections of members of the Managing Committee of the said Store; if so, when and if not, the reasons for the same;

(c) whether the Government have also received any complaints regarding the bogus purchase and sale of wheat Atta during March, 1967, by the Karnal Central Cooperative Consumers Store Ltd., Karnal, from M/s Laxmi Flour Mills Ltd., Karnal; if so, the action, if any, taken by the Government

against the Mills and the Management of the Store; if not, the reasons therefore.

Rao Mahabir Singh: The statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Yes. The case concerning purchase of wheat is still under enquiry with the Assistant Registrar Co-operative Consumer Stores, Rohtak. As regards black marketing in essential commodities complaint of Shri Om Parkash Verma of Bhiwani relating to black marketing of Rice was received. The Board of Directors held Shri Syia Ram, Assistant Stores Keeper, responsible and he was dismissed from service.

(b) Yes. The election of only one Director is due and the Consumer's Store has been asked to complete it within 3 months.

(c) The Senior Auditor, incharge, Karnal Central Co-operative Consumers Sotre, reported that there had been a misappropriation of Rs. 694,20 because of what he felt was a fictitious purchase and sale of country wheat atta from M/S Laxami Flour Mills Ltd. Karnal vide Voucher, dated 27th March, 1967. The Board of Directors in the meeting held on 4th September, 1967, considered the explanation of the former General Manager and found it satisfactory and closed the matter.

वित्त मन्त्री: स्पीकर साहब इस क्वश्चन को दो हिस्सों में डिवाईड होना चाहिए, एक भिवानी सैट्रल कोआप्रेटिव कन्ज्यूमर्ज

स्टोर लिमिटेड के एम्पलाईज के बारे में, और दूसरा मैनेजिंग कमेटी के इलैक्शन के बारे में होना चाहिए।

District Jail, Rohtak

***79 Sh. Mangal Sein:** Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) whether the Government have received any complaint or information about the present dilapidated condition of the building of District Jail, Rohtak;

(b) If so, whether the Government proposes to shift the said Jail to some other suitable place?

Rao Mahabir Singh: (a) Yes.

(b) The matter is under consideration.

श्री मंगल सैन: क्या मुख्यमन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जो मैअर अंडर कंसिङ्गेशन है, वह कब तक निर्णय तक पहुंच जाएगा?

मुख्यमन्त्री: स्पीकर साहब, मैंने पहले बताया है कि इन कामों को करने में कम से कम दो साल लगेंगे क्योंकि जेल कहीं दूसरी जगह जाएगी और वहां वोमन कालेज आएगा।

UNSTARRED QUESTION AND ANSWER

Complaints against Consolidation patwaris and Assistant Consolidation Officers of Hisar Circle

21. Subedar Parbhu Singh: Will the Minister for finance be pleased to state –

(a) the total number of complaints, if any, received against the Consolidation Patwaris and the Assistant Consolidation Officers in Hisar Circle from 1st June, 1967 to 31st May, 1968, together with the date of receipt of each such complaint, the names of the complainants and of the officials against whom complaints have been made;

(b) whether Government have taken any action on the said complaints; if so, the details thereof; if not, the reasons thereof; and

(c) whether it is a fact that the transfer orders of A.C.O. and of the Consolidation Patwari, Hissar, issued in 1967, pending an enquiry against them, were subsequently cancelled and the enquiry filed; if so, the reasons thereof?

Smt. Om Prabha Jain:

1	2	3	4
(a) No. of complaints against Consolidation patwaris and A.C.O.s. in Hisar Circle received from 1 st June, 1967 to 31 st May,	Date of receipt of each complaint	Name of complainants	Officials complained against

1968.			
	1-9-67 20-9-67 27-9-67 7-10-67	Om Parkash Goyal, son of Sh. Ram Chand	A.C.O. and Patwari of Hisar Circle

(b) Complaints were sent for enquiry but enquiry could not be completed as the complainants declined to give evidence and proof against the staff unless it was transferred from Hisar Circle.

(c) The orders of transfer of A.C.O. were only cancelled as the department was at a winding up stage. The enquiry could not be completed as the Department was abolished with effect from 31st March, 1968.

**Verification of Fee-Bills of Central Government
Departments**

22. Subedar Parbhu Singh: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the total member of fee-bills in civil, criminal and enquiry cases received by the Legal Remembrancer, Haryana for verification from the Central Government Departments during the period from 1st November, 1967 to 30th June, 1968, together with the particulars of the Central Government Departments from where received together with the date of receipt of each such bill in the Law Department;

(b) whether any such fee-bills are still pending verification with the Law Department; if so, the details thereof together with the reasons, if any, for keeping these bills pending final disposal so far; and

(c) the action, if any, taken or proposal to be taken against the officers/officials responsible for the delay in the disposal of said bills?

Sh. Bansi Lal: (a) The Legal Remembrancer, Haryana, received only one case from the Central Excise Division, Chandigarh, during the period from 1st November, 1967, to 30th June, 1968. This case was received in the Office of the Legal Remembrancer on 5th February, 1968.

(b) No.

(c) The case referred to in(a) above was disposed of by Legal Remembrancer on 19th July, 1968. The delay in the disposal occurred because the original reference was misplaced and the case had to be disposed of by obtaining duplicate copy of the reference. So far no mischief is apprehended on the part of any official. Government, however, is looking into the matter and official at fault will be suitably dealt with if any lapse is established on his part.

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

Mr. Speaker: Next question is a short notice question by Chaudhri Narain Singh.

Will the hon. Member please read out his question?

Sub-Division at Jind District Headquarter

***102. Chaudhri Narain Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to restore the Sub-Division at Jind District Headquarter?

Smt. Om Prabha Jain (Finance Minister): No.

श्री मंगल सेनः क्या वित्त मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगी कि जो सब-डिवीजनल सिस्टम आपने खतम किया था, क्या सरकार राज्य भर में फिर से लागू करने का विचार रखती है?

मन्त्री: जींद के इलावा सब जगहों पर सब डिवीजनल आफिसिज हैं।

श्री मंगल सेनः स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मिनिस्टर साहिबा से यह पूछना चाहता हूं कि जब कि सब जिलों में यह फैसला लागू करने का निर्णय हुआ है तो जींद डिस्ट्रिक्ट ने कौन सा ऐसा पाप कर लिया है कि वहां पर कोई सब-डिवीजनल आफिस नहीं खोला जा रहा?

मन्त्री: इसकी एक बैकग्राउंड है। पिछली जुलाई में कैबिनेट ने यह फैसला किया था कि डिस्ट्रिक्ट हैडकवार्टरज में सब-डिवीजनल आफिसिज बन्द कर दिए जाएं और उसकी जगह रैवेन्यू असिस्टेंट रखा जाए जींद डिस्ट्रिक्ट में सब-डिवीजनल आफिसर तो क्या रैवेन्यू असिस्टेंट भी नहीं था और न ही 1962 में रैवेन्यू असिस्टेंट रखा गया था क्योंकि बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट होने

की वजह से वहां पर काम कम है और इसका काम जी.ए. और डिप्टी कमिशनर कर सकते हैं।

श्री सत्यनारायण सिंग्रोलः स्पीकर साहब, हकीकत इसके बिलकुल उल्ट है। जून, 1968 तक तो ये कहते रहे कि हम जींद में सब-डिविनजल आफिस खोलेंगे। फाइनांस मिनिस्टर साहिबाइसको वैरिफाई करके देखें कि वहां पर रैवेन्यू असिस्टेंट काम करता रहा है या कि नहीं? इसके इलावा यह भी विचार करें कि वहां पर सब-डीवीजनल आफिस खोलने की जरूरत है या नहीं।

मन्त्रीः मेरी इत्तलाह के मुताबिक वहां कोई रैवेन्यू आफिसर नहीं था और न ही कोई दूसरा आफिसर था। मैं इस बात की तसल्ली करके कम जवाब दे दूंगी कि वहां पर कोई आफिसर था या नहीं।

श्री सत्यनारायण सिंग्रोलः आपकी सूचना के लिए मैं बता देता हूं कि वहां पर आर.एस. अग्रवाल, रैवेन्यू असिस्टेंट, रहा है।

चौधरी नारायण सिंहः सीपकर साहब, मैं वित्त मन्त्री महोदया के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि वहां पर क्लास बन आफिसर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था। स्पीकर साहिबा, मैं वित्त मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वहां पर बहुत ज्यादा काम है, लोगों को सफीदों से भागना पड़ता है। सब-डीवीजनल आफिस

न होने पर जींद जिला की जनता को बहुत दिक्कतें हैं, वहां की जनता ने क्या ऐसा पाप कर दिया जिससे कि उन्हें इग्नोर किया गया है?

मन्त्री: मैंने इसका जवाब तो दे दिया परन्तु स्पीकर साहब, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है, सब-डिवीजन न होने की वजह से कोई भी ऐफीशेन्सी सफर नहीं करेगी। चूंकि जींद एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इसलिये इसके लिये एक और सब-डिवीजन खोला जाना मुमकिन नहीं। स्पीकर साहिब, बाकी जगह भी एक सब-डिवीजन में दो-दो तीन-तीन तहसीलों का काम होता है। नरवाला के सब-डिवीजनल आफिसर के वर्क-लोड को देखते हुए ही जींद तहसील का काम हमने उसे सौंपा है।

श्री दया कृष्ण: क्या वजीर साहिबा के नोटिस में यह बात है कि जींद जिला सफीदों से लेकर खनौरी तक बड़ा लम्बा चौड़ा है, यदि है तो क्या ये दोरा इस बात पर गौर करके इसका फैसला करेंगी कि वहां सब-डिवीजन खुलना चाहिये?

मन्त्री: अभी तक तो कोई जरूरत महसूस नहीं की गई। आगे अगर जरूरत होगी तो जरूर कार्यवाही की जाएगी।

चौधरी नारायण सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, वित्त मन्त्री महोदया के विचार से तो ऐसा जाहिर होता है कि इनका शायद जिले को भी तोड़ने का विचार है?

Mr. Speaker: It is no point of order.

श्री दया कृष्ण: स्पीकर साहिब, यह बड़ा जरुरी प्रश्न है। इसलिये मैं आप के द्वारा वित्त मन्त्री महोदया से जानना चाहूँगा कि क्या वे जिले को भी रखना पसन्द करेंगी या नहीं?

Minister: It is a question of opinion, Sir, and I am not bound to reply to it.

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker: The next item is 'Call Attention Notices'. Call Attention Notice No. 13 by Sh. Daya Krishan is regarding assurances given by the Health Minister to the Government employees relating to their un-victimisation, etc. This is disallowed on the ground that it does not relate to a matter of urgent public importance. Moreover, the Hon. Member and/will have ample opportunities for raising discussion on this point during the current session.

Call Attention Notice No. 18 is regarding the newly prescribed uniforms for the Police personnel in the State of Haryana. This Notice is admitted and the hon. Member Sh. Daya Krishan may please read it out.

Sh. Daya Krishan: Sir, I beg to draw the attention of the House to the fact that the newly prescribed Uniforms for the Police Officers/Officials especially for the constables is ridiculous and so far as their turban is concerned there is great resentment amongst them. By wearing this Uniform, inferiority complex comes in them and as such this inferiority complex hinders them in the discharge of their duties. This inferiority complex lowers their prestige in the eyes of the public. Their prestige and image should not be lowered in any

manner in the eyes of the public and of the other States. It is, therefore, desirable that the Uniform prescribed for Police in composite Punjab be adapted by making minor changes in that Uniform, so that the Employees of Haryana Police may not feel their status lower to the Employees of other States. The matter is of urgent public importance and concerns the vital part of the State machinery, therefore, immediate action is required in the matter.

Mr. Speaker: The hon'ble Chief Minister may please make a statement.

Chief Minister: I will make a statement about it tomorrow.

Statement by the Chief Minster Regarding Call Attention Notice No. 11

Mr. Speaker: On the 24th July, 1968, the hon. Chief Minister had promised to make a statement regarding Call Attention Notice No. 11 on the 29th instant. He may please do so now.

Chief Minister: Sir, the position in regard to the allotement of residential accommodation to Government employees working under the Goverments of Haryana, Punjab and Chandigarh Administration is that the work is undertaken by two House Allotment Committees. One deals with the cases of officers drawing pay above Rs. 500 per mensem and the other with cases of employees drawing pay less than Rs. 500 per mensem. The composition of the House Allotment Committee (Upper) is as uinder:-

- (i) Chief Commissioner, Union Territory Chairman
- (ii) Chief Secretary, Haryana Member
- (iii) Chief Secretary, Punjab Member
- (iv) Finance Secretary, Union Territory Member-Secretary.

The composition of the House Allotment Committee (Lower) was until recently as under :-

- (i) Finance Secretary, Union Territory Chairman
- (ii) Deputy Commissioner, Chandigarh Member
- (iii) Executive Engineer, Division No. 3, Union Territory
Secretary

Now two Deputy Secretaries one from Haryana and the second from Punjab have also been included in this Committee with effect from 26th July, 1968.

3. If any case of discrimination in the matter of allotment of accommodation is brought to the notice of Haryana Government the matter will be taken up with the authorities concerned.

Bill

The Haryana Appropriation Bill, 1968

Mr. Speaker: The Minister concerned may now introduce the Haryana Appropriation Bill.

Finance Minister (Smt. Om Prabha Jain): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation Bill, 1968.

Finance Minister (Smt. Om Prabha Jain): Sir, I beg to move That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, वित्त मन्त्री महोदया ने आ एप्रोप्रिएशन बिल को सदन के सामने विचार करने के लिये रखा है। स्पीकर साहब, इसी मार्च की 19 तारीख को वित्तमन्त्री महोदया ने वित्त सम्बन्धी अपना वक्तव्य पढ़ा और 22 तारीख से लेकर आज तक लगातार दोनों तरफ के सदस्यों ने जनरल बजट पर और उसकी मदों पर अपने विचार रखे। लेकिन बड़े खोद से कहना पड़ता है कि हमारे मिनिस्टर साहिबान ने उन बातों का जवाब ठीक ढंग से नहीं दिया। इससे, स्पीकर साहब, लोगों के दिलों में यह बात आ गई है कि सरकार ठीक जवाब देना ही नहीं चाहती और टालमटोल करके समय निकालना चाहती है। शुरू से ही इनके मन में यह डर था कि 31 तारीख कब आए, 29 तारीख कब हो और भगवान करे कि ऐप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाए। सदस्यों को खुश करने के लिये ये एक दो बिल भी यहां लाए हैं ताकि इनका यह समय किसी न किसी ढंग से निकल जाए और 6 महीने तक ये अपनी सेहत बनाते रहें। (हंसी)

एक सदस्य: खुश तो आप भी होंगे।

एक अन्य सदस्यः इनकी सेहत भी अच्छी है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आज कल तो मेरी सेहत खराब है। स्पीकर साहब, यहां तो यहां तक उल्लेख किया गया कि मुख्यमन्त्री महोदय ने सिंहासन पर विराजमान होते ही निकम्मी हरकतें करनी शुरू कर दीं जिसकी तसदीक हाईकोर्ट ने भी कर दी.....

एक सदस्यः वह तो चले गए।

श्री मंगल सैनः उनके परम मित्र यहां बैठे हैं। वे उनको एक मिनट में सब कुछ बता देंगे। तो, स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि अब वे केवल तोशाम के एम.एल.ए. नहीं हैं। वे हरियाणा के मुख्यमन्त्री हैं। इनकी हर हरकत से लोगों ने सबक सीखना है, इनके पद-चिन्हों पर चलना है। अगर कोई अच्छी बात करेंगे तो लोगे उसे ग्रहण करेंगे, इनकी प्रशंसा करेंगे, सारे राज्य में और सारे देश में इनकी चर्चा होगी और अगर गलत बात करेंगे तब तो यही कहा जाएगा कि इनसे पहले वाले मुख्यमन्त्री ही अच्छे थे। हमारी दशा तो ऐसी है कि हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह देते हैं। इनके एक मुख्यमन्त्री सरदार प्रताप सिंह कैरों हुआ करते थे और जब तक वे जीए और इस हाउस में रहें, हमउन की भी आपोजीशन किया करते थे। उनकी अच्छी बातों की हम तारीफ करते थे और जो बुरी बातें हुआ करती थी उनको बुरा कहा करते थे। मगर, स्पीकर साहब, इनकी कुछ बातें देखकर तो

ऐसा लगता है कि कई मामलों में वे इनसे अच्छे थे। तो इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें विकटेमाइज़ेशन पर नहीं उतरना चाहिये और न ही यह ख्याल करना चाहिए कि यह सिंहासन सदा रहेगा। यह तो उतार चढ़ाव हैं और दिन बदलते रहते हैं।

श्री बनारसी दास गुप्ता: आप वाली सरकार तो जल्दी बदल गई थी।

श्री मंगल सैन: कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी। हमने तो आपके 20 साल के राज का नशा उतारना था। फिर गुप्ता जी तो हमारे पुराने साथी हैं। क्या हुआ अगर ये अब उधर चले गए इस डर से कि बुढ़ापे में पता नहीं क्या होगा? इसलिये अभी से कुछ कमाकर बच्चों के नाम इकट्ठा कर लें। (विध्न और हँसी)

श्री बनारसी दास गुप्ता: आप भी इधर आ जाएं।

श्री मंगल सैन: वह तो अपनी अपनी तबीयत की बात है।

मैं कहना चाहता हूं कि करनाल कमेटी तोड़ी थी और साथ ही हिसार की कमेटी भी तोड़ दी और इसके लिये बहाना यह बनाया कि इन्होंने रैट रियलाइज नहीं किया और एन्क्रीचमेंट होने दी। मैं लोकल बाड़ी के मिनिस्टर से कह देना चाहता हूं कि मैं उनसे दिल से स्नेह करता हूं लेकिन मुझे उनकी हरकतों से नफरत हैं। हमारे साथी श्री खुरशीद अहमद जी कैरों साहब का मुकाबला किया करते थे, लेकिन आज वह मन्त्री बने बैठे हैं।

हालांकि वह कभी हमारे साथी हुआ करते थे। कोई बात नहीं, जमाना रंग बदलता हैं लेकिन हम सोचते हैं जो तूफान से टकराते हैं वक्तके अनुसार नहीं बदलते, जमाना उनकी पूजा किया करता है। यह तो मेरे अजीज की आज इज्जत हैं। इस प्रकार से कमेटियां तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है।

एक और बात में अर्ज करता चाहता हूं कि रोहतक के डिप्टी कमिश्नर ने सिफारिश की है कि वहां की कमेटी के मैम्बरों का व्यवहार क्योंकि ठीक नहीं है, इसलिये उस कमेटी को सुपरसीड कर दिया जाये। स्पीकर साहिब में समझाना हूं कि वहां के डिप्टी कमिश्नर ने जो सिफारिष की है वह ठीक है, वह कमेटी सुपरसीड होनी ही चाहिए। लेकिन इस कमेटी को यह कांग्रेस सरकार क्यों सुपरसीड करेगी, जब कि इसमें कांग्रेस की मैज्योरिटी है?

स्पीकर साहब मैं आपके जरिये अर्ज करना चाहता हूं कि मुख्यमन्त्री जी की बातें बहुत मानी जाती हैं और मुख्यमन्त्री जी सोचते हैं कि मेरे सामने कोई बोलने वाला नहीं है। मैं उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, केवल यही कहूंगा कि अब वे सिर्फ तोशाम के एम.एल.ए. नहीं हैं वे अब तो मुख्यमन्त्री है और सारे हरियाणे के हैं। इसलिये मैं अब उनका बिहेवियर एक अच्छे स्टैन्डर्ड का देखना चाहता हूं। वे कहते हैं कि मैं तो एक आदमी का पूजारी हूं और वे हैं श्री नन्दा जी, जो कि पहले गृहमन्त्री रहे हैं। मुझे नन्दा जी के बारे में सदन में कुछ नहीं कहना है। जो भी

अच्छे व्यक्ति हो मैं तो उनकी सदा प्रशंसा किया करता हूं लेकिन मेरा काम गुण-दोष ढूँढना है। स्पीकर साहब में तो एक मामूली एम.एल.ए. हुआ, लेकिन फिर भी आप को बतला देना चाहता हूं कि जिस डिप्टी कमिश्नर ने इनकी कभी मदद की होगी उसको तो इन्होंने अच्छी जगह पर लगा दिया और जो इनकी मर्जी के खिलाफ चला उसको हरास करने के लिये ट्रांसफर कर दिया।

फिर स्पीकर साहब यहां पुलिटिकल विकटेमाइजेशन हो रही है क्योंकि यह समझ बैठे हैं कि इनके हाथ में ताकत है और ये पवार में हैं और कहते हैं कि ये हमें रौंद देंगे। मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहिब को बता देना चाहता हूं कि वे इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। यह जो यहां जीत कर आए हैं ये कांग्रेस की कुर्बानी की वजह से जीते हैं और सदन में आए हैं। यह अपने इखलाफ के बलबूते पर जी कर नहीं आए (कुछ सदस्यों की ओर से विघ्न) अगर बनारसी दास गुप्ता जी नाराज न हो तो मैं कहूं कि शराब के ठेके इन्होंने खोले हैं और स्पीकर साहिब आप मेरी बात की ताईद करेंगे कि इन्होंने वोट लेने के लिये इलैक्शन के दिनों में खूब शराब वांटी, लेकिन इसमें किसी भी इनके साथी कांग्रेसी ने प्रोहिष्णन की बात कह कर इन्हें नहीं रोका। स्पीकर साहब आपको मालूम है कि ये वोट किसके नाम पर मांगते हैं?

श्री बनारसी दास गुप्ता: डाक्टर साहब, आप भी तो शामिल हैं, आपने भी तो बांटी है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मेरे खिलाफ आप एक पाई की भी साबित कर दें।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहिब, इनकी भी स्टेटमैंट रिकार्ड करवा दीजिए और मैं अपने बारे में कह ही रहा हूं। मैं बल्कि सारी कांग्रेस के बारे में कह रहा हूं। (विघ्न) मैं तो सारी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं और कहता हूं कि ये लोग शराब बांट कर जीते हैं।

श्री कंवर सिंह दडिया: स्पीकर साहब, यह क्या मदारी का तमाशा है। अगर इन्होंने ऐसा करना ही है तो हाऊस के बाहर करें।

Sh. Mangal Sein: Sir, I take strong objection to it.

मलिक मुख्तयार सिंह: स्पीकर साहिब, इन मैम्बरान को पता ही नहीं है कि प्वाइंट आफ आर्डर क्या होता है वैसे ही एतराज उठा देते हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहिब, मैं कह रहा था कि ये लोग गांधी जी, जो सदा प्रोहिबशन के हामी रहे थे, के नाम पर लोगों से वोट मांग मांग कर यहां जीत कर आए हैं लेकिन, हैरानी की बात यह है कि इस कांग्रेस की सरकार ने अपने बजट में प्रोहिबशन के बारे में एक शब्द तक नहीं लिखा है।

कांग्रेसी सदस्यों की ओर से आवाजें: आपने राव साहब की वजारत के वक्त क्या किया था?

श्री मंगल सैन: आपने बीस साल में कुछ नहीं किया और हमारे से केवल आठ—ना महीनों मैं यह आशा रखते हो? स्पीकर साहिब, बेचारे गांधी जी स्वर्ग में बैठे हुए क्या कह रहे होंगे अपने शिष्यों को कि वे 20—21 साल में प्रोहिब्शन को लागू नहीं कर सके जिसके लिये कान्स्टीच्यूशन में भी प्रोविजन है। प्रोहिब्शन जिला रोहतक में लागू था, परन्तु स्पीकर साहब पंडित भगवत दयाल जी आये और उन्होंने उसको सक्रेप कर दिया। अब वहां यह हाल है कि कहीं सड़क पर किसी को एम.एल.ए. मिल जाये तो वह व्यक्ति यही पूछता है कि सरकार कब तोड़ोगे, मैं तो कहता हूं कि बन्सीलाल जी से पूछो, क्योंकि वह तो नशे में बदहाल हैं। बड़ा अच्छा होता अगर बहिन ओमप्रभा जी अपीन बजट स्पीच में कहीं किसी सफे पर प्रोहिब्शन की बात भी कह देती। मेरे भाषण के जवाब में तो इन्होंने कह दिया था कि आपकी बातों से मुतासिर हैं लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में कितने करबों में, कितनी तहसीलों में इन्होंने प्रोहिब्शन लागू की है। (विधन) हमें जहां पर भी लगाया जाये, हम आपके नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे: हम अभी तो मन्त्री बने नहीं, अभी तक तो हम एम.एल.ए. ही हैं।

श्री दया कृष्णः मेरे लायक दोस्त जो बातें कर रहे हैं वे रैलेवेंट नहीं हैं। क्या मेरे दोस्त अपने गुरु जी के कायदे—कानून के अनुसार बातें कर रहे हैं?

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहिब, जब मेरी मिनिस्ट्री आयेगी तब देखा जायेगा कि मैं अपने गुरु के कहने के अनुसार चलता हूं या नहीं। अब तो मैं आप लोगों की तबीयत साफ कर रहा हूं।

चौधरी राम प्रकाशः स्पीकर साहिब, जिस समय इन की सरकार थी, इन्होंने नौ महीने में हमारा कचूमर निकाल दिया था और अब जो अच्छी सरकार है उसको तो यह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

Mr. Speaker: Let us not interrupt unduly or unnecessarily the speech of the hon. Member. It really does not look proper.

श्री मंगल सेनः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सदन से और राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो अपने आप को गांधी जी के असूलों पर चलने वाले कहते हैं मुझे बतायें कि इन्होंने राज्य के इस साल के बजट में प्रोहिष्ठान के बारे में कुछ जिक्र किया है। स्पीकर साहब, कहीं ना ही नहीं लिया।

स्पीकर साहब, मैं ने एक कवश्चन के जरिए तो इस हाउस में मुख्यमंत्री जी से पूछ लिया था, जैसे कि कायदे के

मुताबिक कोई बात पूछी जाती है, लेकिन अब आपसे बड़ी साफ बात कहना चाहता हूं ताकि वित्त मन्त्री ये आमें साफ कर दें कि जिन सरकारी मुलाजिमों के साथ श्रीमान् खुरशीद अहमद ने वायदे किये थे और उन बेचारों ने इनके वायदों पर एतबार करके भूख हड़ताल छोड़ी थी, उन वायदों को पूरा करें।

स्पीकर साहब, मैं सारी अपोजीशन की और से पुरजोर अल्फाज में कहना चाहता हूं कि उनकी बात इन्हें माननी चाहिए। आज महंगाई के दिनों में उन बेचारों को गुजारा करना भी बड़ा कठिन हो रहा है। पंजाब और हरियाणा के मुलाजिम पहले इकट्ठे थे। जो सुविधाएं पंजाब सरकार अपने मुलाजिमों को देती है, वही सुविधाएं हमारी सरकार को भी अपने मुजाजिमों को देनी चाहिए।

स्पीकर साहब, आज मुख्यमन्त्री ने मेरे सवाल, जो जे.पी.टी.सी. के बारे में था, के जवाब में कहा कि उसका उत्तर देना पब्लिक के इन्ट्रैस्ट में नहीं है, अवाम के मुफाद में नहीं है। स्पीकर साहब, उस आफिसर की तब्दीली गवर्नर साहब ने की थी। हम गवर्नर साहब के औहदे और स्थान को ऊंचा मानते हैं। उन्होंने अपने जाती नौलेज पर इस आफिसर के बारें में जिसने मिनिस्टर्ज की पुरानी कारें बेच कर नई कारें ला दीं, कहा कि वह ट्रांसपोर्ट महकमे में रहने के काबिल नहीं है और उसके उन्होंने कोआपरेशन के महकमे में भेज दिया था। स्पीकर साहब, मुझे अफसोस है कि मुख्यमन्त्री महोदय ने इस बात को हाउस से छुपाना चाहा है। इस

बात को छुपाकर वह अपने इस काले कारनामें को धो नहीं सकते हैं।

Mr. Speaker: There is no question of concealment. I have already gone into the facts. You will also get the facts later.

सूबेदार प्रभु सिंह: स्पीकर साहब, मुझे माफ करना। आपके हुक्म के मुताबिक हम चुप बैठे हैं, मगर मैं इनसे कहूंगा कि वह हीर रांझा की बात न करें। अगर यह हीर बनेंगे तो रांझा हमारे से निकल ही आयेगा।

Mr. Speaker: No interruptions, please. These things do not pay.

श्री मंगल सैन: खान साहब ने कहा था कि हाउस में डेकोरम रखना चाहिए। यह क्या डेकोरम की बात कर रहे हैं? (विधन) क्या किया जाये इनकी अकल का ही कसूर है।

स्पीकर साहब, मैं आप का हुक्म मान कर इस सबजैक्ट को ढाप करता हूं। मैं तो इतीन बात कहना चाहता हूं कि ट्रांस्पोर्ट को नेशनेलाइज करने की बात की जाती है और कहा जाता है कि इससे काफी आमदनी हो सकती है। स्पीकर साहब, मैं। हाउस में यह बात कहना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जितने प्राइवेट आपरेटर्ज हैं उनमें से सौ प्रतिशत नहीं तो 99 प्रतिशत वह हैं जो सरकार को चंदा देते हैं इनका बने रहना जमहूरियम में कई मामलों में आवश्यक भी है। स्पीकर साहब, यह उसूल की बात

है कि प्राईवेट एण्टरप्राइज को भी जगह देनी चाहिए। स्पीकर साहब, भिवानी से देहली और देहली से भिवानी जो बसिज चलती थी उनके बारे में पहले यह शर्त थी कि रोहतक म्युनिसिपल एरिया से वह सवारियां नहीं ले सकेगी। इस सिस्टम को कौरीडोर सिस्टम कहा जाता था। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने किसी दबाव में आकर उस सिस्टम को रद्द कर दिया है। मैं उनसे इनका कारण जानना चाहूँगा। नाम तो मैं सारे जानता हूँ कि जिनका इससे भला होना है और यह भी जानना चाहूँगा। नाम तो मैं सरे जानता हूँ कि जिनका इससे भला होना है और यह भी जानता हूँ कि किन के कहने पर इन्होंने मजबूर होकर इस सिस्टम को बदला है। स्पीकर साहब, मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि हरियाणा रोडवेज की जो बसिज देहली से डबवाली और देहली से भिवानी चलती थीं वह सवारियां उठाती थीं लेकिन अब उनकी आमदनी में काफी नुकसान होगा। इस सिस्टम को खत्म करने से प्राईवेट बसिज को फायदा होगा। इन्होंने उससे मेरे मुखलिफ को पांच हजार रुपये लेकर दिये हैं। ये हमारे भले की तो नहीं, बल्कि अवाम के भले की बात है कि उस कौरीडोर सिस्टम को, जो कई सालों से लागू है, रहने दिया जाये। यह न सोचें कि क्योंकि सरकार भिवानी तहसील की हो गई है इसलिये उनके अपने आदमियों को निहाल होना चाहिए। स्पीकर साहब, थोड़ी—बहुत बात हो तो माफ किया जा सकता है, मगर जहां लाखों करोड़ों रुपये के नुकसान की बात हो, वह कहनी ही पड़ती है। स्पीकर साहब, यह कहा जाता है कि रैवेन्यूज को

बढ़ाने के बारे में कुछ सुझाव देने चाहिएं, कुछ प्रपोजल्ज देनी चाहिएं। अब मैं। उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

Mr. Speaker: Your time is very short. Please try to wind up.

श्री मंगल सैन: पांच मिनट में ही खतम कर दूंगा।

स्पीकर साहब, देहली के नजदीक हरियाणा में जहां रा-मैटीरियल मिलता है, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, गुड़गांव, रोहतक में छोटी-छोटी उद्योग की बस्तियां सरकार ने बना रखी हैं। उद्योग का महकमा बड़ा इम्पोर्टेट महकमा है और वह मुख्यमन्त्री के पास है। यह महकमा हरेक मुख्यमन्त्री अपने पास ही रखता है। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वह उद्योग बस्तियों को हरकत में लायें और वहां पर वह माल तैयार हो जिसकी खपत दिल्ली की मार्किट में हो, इससे हरियाणा का विकास हो सकता है। आजकल बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं जिनका हैडक्वार्टर दिल्ली में है और लाखों करोड़ों रुपए का इन्कमटैक्स वे वहां देती हैं। अगर उनका हैड—(श्री मंगल सैन)

क्वार्टर दिल्ली में न होकर हमारे प्रान्त में हो तो उस इन्कमटैक्स में से हमारे सूबे को शोधर मिल सकता है।

स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि रोहतक की जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिये। (विधन)।

चौधरी राम प्रकाश: यह सिर्फ साठ वोटों से ही जीते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां की जनता ने हमें साठ वोट ही कम दिये हैं।

Mr. Speaker: No interruptions, please.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, श्री लाल सिंह जी की तरह इनको भी आप समझायें।

Mr. Speaker: I would request the hon. Members not to make interruptions. These do not pay.

श्री मंगल सैन: गांधी नगर (रोहतक) का विकास करने के लिये मैं चाहता हूं कि सरकार तीन—चार लाख रुपया दे।

स्पीकर साहब, सरकार ने किस तरह से फेवरेटिज्म शुरू कर रखा है। मधुबन में दरियों का एक कारखाना है। आप देख सकते हैं कि वह कहां पर वर्किंग आर्डर में है। मगर गवर्नरमेंट ने उसको पचास हजार रुपये ग्रांट की शक्ल में देने का फैसला किया है। यह इसलिये किया गया है कि उसके मालिक ने कामराज की जीवनी के सम्बन्ध में लिखी है। इसलिये यह उसको इस शक्ल में रिवार्ड देना चाहते हैं। इनको जनता की खून—पसीने की कमाई के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

जहां तक टैक्स स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, स्पीकर साहिब, मैं यह कहना चाहता हूं कि सेल्ज टैक्स को पहली स्टेज पर ही लगाया जाए।

1967 की इलैक्शन के लिये पंडित भगवत् दयाल ने फरीदाबाद में कालोनीज पास नहीं की गई। मेरी तो सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन्होंने प्लाट्स ले लिये हैं, क्योंकि जब तक कालोनीज पास नहीं होती वह वहां पर मकान बगैरा नहीं बना सकते। पहली तारीख से मुख्यमन्त्री महोदय को फुरसत मिल जायेगी। सैशन भी खत्म हो जायेगा और फिर पंडित जी भी राज्यसभा में जा रहे हैं, उनसे भी इन्हें आराम हो जायेगा। मैं इनसे कहूँगा कि इनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आपका हुक्म मानते हुए, स्पीकर साहिब, मैंने अपनी बातें बहुत ही मुख्तसर रूप में कही हैं।

चौधरी चांद राम (बबैन, एस.सी.): स्पीकर साहब, मैंने कुछ बातें बजट पर बोलते हुए कही थीं लेकिन, जैसा कि डाक्टर मंगलसैन जी ने कहा है कि उनमें से कहुत सी बातों का जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। और ऐसा मालूम होता है कि सरकार ने जान-बूझ कर चुप्पी साध ली है। आज यह ऐप्रोप्रिएशन बिल हमारे सामने है, मैं समझता हूँ कि किसी सरकार की कामयाबी इस बात पर मुनहसर है कि उस सरकार का जो हैड है वह किस किसम का आदमी है। इसके बारे में मैं जरा सदन को जानकारी करा दूँ। दो महीने से तो हमें मालूम नहीं हुआ लेकिन आज जब इस हाउस में यहां हम आए तो पता लगा कि जो ताकत है वह ऐसा नशा है कि उसको कंट्रोल करना हर एक आदमी के बस की बात नहीं।

मुख्यमन्त्री: हाँ, कोआप्रेटिव सोसायटी में –

चौधरी चांद रामः बेषक यह मुख्यमन्त्री बने हैं, स्पीकर साहब, लेकिन यह हमें अपनी धमकियों से डरा नहीं सकते और जब मैं कांग्रेस से निकला था, उसी दिन मुझे पता था कि क्या क्या मुसीबतें आएगी लेकिन मुख्यमन्त्री साहब का जो चाहें हथियार बरत लें मगर मुझे दबा नहीं सकते।

चौधरी राम प्रकाशः इन्होंने जनाब हाउस के अन्दर धमकियां दी थीं कि हम कांग्रेस गवर्नमेंट को कुचल कर रख देंगे (विघ्न) –

Mr. Speaker: I invite the attention of the hon. Member to Rule 100, which lays down:

“(1) The matter of every speech shall be strictly relevant to the matter before the assembly.

चौधरी चांद रामः मैं, जनाब, यही बात रहा था कि ऐप्रोप्रिएशन बिल के वक्त यह बतलाया जा सकात है कि जिस सरकार का यह बजट है, उसका हैड कैसा आदमी है, क्योंकि सरकार की कामयाबी सरकार के हैड पर डिपैंड करती है। अगर छोटा बर्तन होगा उसमें अगर पानी ज्यादा डाल दो, तो उछल जाएगा। चीफ मिनिस्टर को यह सोचना चाहिये कि आज वह चीफ मिनिस्टर हैं और इस वजह से उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और इस तरह से धमकियां नहीं दी जाती जैसी कि इन्होंने आपके सामने मुझे दीं –

Mr. Speaker: I again invite the attention of the hon. Member to the Rule 100, particularly Rule 100(2)(i) which states:

“A Member while speaking shall not –

(i) reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms...”

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहिब, यह तो मैंने जनरल बात की है।

Mr. Speaker: It is really not desirable to make personal remarks. The hon. Member should not go beyond the Rules of Procedure.

चौधरी चांद रामः अगर आप चाहते हैं कि मैं कर्तव्य न बोलूं तो मैं बैठ जाता हूं। लेकिन उस दिन इन्होंने कहा था कि यह देख लेंगे। मैं आजतक कभी इनके पास कुछ मांगने नहीं गया।

मुख्यमन्त्री: हाँ, राव साहब और मुख्यमन्त्री सिंह के सामने यह मेरे पास आए थे कि थानेसर का जो एस.डी.ओ. है उसको बदल दो। (विध्वंसा)

श्री औम प्रकाश गर्गः आन ए प्वायंट, आफ आर्डर, सर। जनाब, यहां तो यह ऐसी बातें करते हैं, मगर असलियत यह है कि

इनके इलैक्शन में अफसरों ने इन्हें चंदा इकट्ठा करके दिया था, वैसे तो उन्होंने इन की मदद की ही है—

Mr. Speaker: This is no Point of Order.

चौधरी चांद राम: मैं यहां हाउस में इस बात की तरदीद करता हूं कि हमारे इलैक्शन में कोई गलत बात नहीं हुई और यहां भी अगर मैं कोई गलत बयानी करता हूं और अगर मैंने कोई गलत बात कही हो तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं और अगर वह गलत कहते हैं तो वह इस्तीफा दें।

Mr. Speaker: I find that far too many occasions are arising, when Points of Order which are really not Points of Order are being raised. Hon. Members are, therefore, advised to go through the prescribed procedure on the question of raising a Point of Order. I am afraid, I will not allow any such Point of Order to be raised in future. I would, therefore, request the hon. Members not to raise any unnecessary Point of Order, because it unduly hinders the proceedings of this House.

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मैं इनके पास एस.डी.ओ. को बदलने के लिये कहने गया था। उसके बारे में तो शरेआम मैंने इस हाउस में भी कहा था कि क्या चीफ मिनिस्टर साहब इस बात की इम्पार्शल इन्क्वायरी करने के लिये तैयार हैं कि उस अफसर को बदलने का क्या कारण है?

Mr. Speaker: Let us leave the individuals and confine ourselves to the discussion on the Appropriation Bill.

The hon. Member may please continue his speech. I have disallowed the Point of Order.

चौधरी चांद राम: इसीलिए मैंने, जनाब, यह कहा कि आज हमारा यह स्टैंडर्ड हो गया है कि यह ऐसी बात करते हैं, मैं इसके पास एक अफसर के तबादले के लिये जाऊंगा?

यह तो मैंने दो अप्रैल को जब

मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इनके पास टिकट मांगने नहीं जाऊंगा—

वित्तमन्त्री: स्पीकर साहब, जो इन्होंने लपज इस्तेमाल किये कि—

यह एक्सपंज किए जाएं।

Mr. Speaker: I expect the hon. Members not to use such terminology. These words may be expunged. We should not make personal references. Such objectionable words used by the other side are also expunged, because two wrongs do not make one right.

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहिब, मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं और इस हाउस की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं। क्या आप पसन्द करेंगे और क्या यह रूलिंग पार्टी पसन्द करेगी कि पिछले साल 17 मार्च को आ के मुख्यमन्त्री चंडीगढ़ में थे और आप वाले 16 नम्बर कमरे के अन्दर बन्द थे जब यहां स्पीकर का चुनाव हो रहा था जिसमें हमने कांग्रेस पार्टी

के कैंडीडेट को हराया था लेकिन जब लोगों ने इनसे पूछा कि वोटिंग के वक्त आप क्यों नहीं आए तो यही बंसीलाल जी थे जिन्होंने यहां बिल्कुल गलत कहा था कि यह चंडीगढ़ से बाहर थे और कार द्वारा बाद में पहुंचे थे.....

मुख्यमन्त्री: स्पीकर साहब, ही शुड बी रैलेवैन्ट। यह हाउस में बिलकुल झूठ बात करते हैं(विधन..... और आप खुद कईयों के पास गया और कहा कि मेरा समझौता करा दो। बहुत से आदमी मेरे पास आए और कहा कि यह बहुत कुछ मांगना चाहता है मगर मैंने कहा कि मैं कहां से दूं ऐसे आदमी को जो इतना हो

चौधरी चांद राम: बिलकुल गलत है।

*Expanged as ordered by the Chair.

Rao Birender Singh: It does not behove a Chief Minister to use such words.

चौधरी चांद राम: जनाब, ऐसे आदमी के मैं गुण न बताऊं और कैरेक्टर के बारे में न बताऊं तो क्या करूं। मैं कौन सी चीज इनसे मांगने गया था?....(विधन)....

मलिक मुख्तियार सिंह: वह एप्रोप्रिएशन बिल पर ही तो बोल रहे हैं, और सरकार की कमजोरियों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर चीफ मनिस्टर साहब की तरफ से कहा जाए कि यह

*** ਲੈ ਤੋ ਏਸੀ ਅਨਪਾਰਿਧਾਮੇਂਟਰੀ ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਝੜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਚਾਹਿਏ।

Mr. Speaker: I have read a rule, which I will read again for the information of the hon. Member. I reads-

“100(1) XXX

(2) A member while speaking shall not-

(i) reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantiative motion drawn in proper terms.”

Malik Mukhtiar Singh: It does not refer to Government.

Mr. Speaker: No please.

ਚੌਥਾਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ: ਸ਼੍ਵੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਪ੍ਰੋਪ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਬਿਲ ਸਬਸਟਾਂਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਉ ਕਿਆ ਹੈ।

Marlik Mukhtiar Singh: Sir, it does not refer to Government

Mr. Speaker: No please.

ਮਲਿਕ ਮੁਖਿਤਯਾਰ ਸਿੰਘ: ਯਹ ਜੋ ਆਪ ਰੁਲ ਪਢ ਰਹੇ ਹੈਂ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਗਰਵਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। You may kindly satisfy yourself about this. ਯਹ ਜੋ ਸਟੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਉਨਕੇ ਊਪਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ।

Sir, you may satisfy yourself. This Rule does not refer to them. The Government is not included in it.

ते में अर्ज करता चाहता हूं कि वह सबर से सुनते रहे जो कुद यह कहते हैं अगर यह भी कोई अनपार्लियामेंट्री बात करते हैं तो इनको भी बिफिट नहीं करता। लेकिन गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसाइज किया जाता है तो चीफ मिनिस्टर साहब को इतने छोड़ौ लैवल पर नहीं उतर आना चाहिए। अगर चीफ मिनिस्टर साहब हाउस के डैकोरम को नहीं रखेंगे तो there will be no end to it. ठसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि वह अपने अल्फाज को वापिस लें।

Mr. Speaker: The Rules to which I have referred to the hon. Members are 'General Rules' – Rules to be observed while speaking.

Further the hon. Member has seen the consequence of making personal reference. In any case personal references should be avoided. (Interruption by Malik Mukhtiar Singh).

I am sorry, no Member should interrupt when observations are being made by the Chair.

Malik Mukhtiar Singh: All right, Sir.

Mr. Speaker: There was a provocation. The provocation came from Chaudhry Chand Ram and of course there was retaliation from the Chief Minister and others. I have, therefore, said that whatever un-parliamentary words

have been used from either side of the House must be expunged.

*Expanged as ordered by the Chair.

मलिक मुख्तियार सिंह: स्पीकर साहब, एक्सपंज कराने से पहले अगर मैम्बर्ज को कह दिया जाए कि वह अपने अल्फाज विद्वा कर लें तो एक्सपैंज करने की जरूरत ही नहीं। बाकी आपने यह बजा फरमाया है कि प्रोवोकेशन और रिटेलिएशन इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि इन्डीसैंसी तक बात पहुंचे। तो मैं अर्ज करता हूँ। कि इनको अपनी जिम्मेदारी का अहसास करना चाहिए।

Mr. Speaker: I would like to mention another important thing. Gentlemen, what I am worried about most is the name of our State. We all of us here, are the representatives elected by the people of the State of Haryana and on our conduct naturally will depend the fair name of Haryana. I am quite sure that if some undignified happenings whatever happens in this House appears in the Press, it will be a very bad thing for the State. Therefore, I once again request that no personal references should be made.

Now, the hon. Member, Chaudhry Chand Ram may please resume his speck.

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ और मैं खुद इस बात के हम में हूँ कि कोई बिला वजह प्रोवोकेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में

आप गवाह थे और आपके सामने मुझे चीफ मनिस्टर साहब ने धमकी दी थी और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर मेरी बात गलत है तो हाई कोर्ट का जज बैठा कर उसका फैसला करवाया जा सकता है।

Mr. Speaker: Hon. Members, I do not wish to be brought in, rather I should not be brought in this discussion. I know sometimes you talk things in light mood, sometimes you joke among yourselves and sometimes you become serious. It is so difficult for me to judge at times when some of you start talking and discussing amongst yourselves, whether you are talking over things in a lighter vein or seriously. Therefore, I would suggest that the Speaker may not be brought in, whatever may happen amongst yourselves.

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि मैंबरों के जो प्रिविलेजिज हैं अगर वह हाउस के बाहिर नहीं, अन्दर नहीं, तो वह आखिर हैं कहां? उसके लिए तो हम आप की प्रोटैक्शन सीक करते हैं। अगर हमारे साथ कोई धक्का हो, कोई ज्यादती हो तो स्पीकर की प्रोटैक्शन सीक की जाती है। इसलिए मैंने यहां पर दोहराया कि आखिर जो पब्लिक ने हमें यहां पर चुन के भेजा है वह कुछ ड्यूटी अदा करने के लिए भेजा है। अगर हमको कोई धमकी दी जाए तो क्या आपका यह फर्ज नहीं है कि मैंबरों को प्रोटैक्शन दें। मैंने इसी लिए यह लप्ज कहे थे, यह कोई मैंने नई बात नहीं कही और अगर यह इस हाउस के लिए नई है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह

फेयर, इम्पार्शल और कलीन उसी शख्स के हाथों हो सकती है जो शख्स इस तरह की धमकियां न दे, जो इस तरह न कहे कि चूंकि वह चीफ मिनिस्टर है आज इसलिए हमको कुचल देगा, इन्तकाम ले लेगा। इस तरह की बातों से क्या स्टेट का भला हो सकता है, और धमकियों से किसी आदमी को क्या बोलने से रोका जा सकता है? ऐसे अगर हालात हों तो आप की मर्जी है। अगर आपका वह रूलिंग हो तो मैं एक लपज भी नहीं कहूंगा और बैठ जाऊंगा।

Mr. Speaker: I can assure the hon. Member that he will always receive due help, cooperation and protection from the Chair in the discharge of his duties as a Member of this House.

चौधरी चांद राम: Thank you, Sir. स्पीकर साहब, यहां पर रूलिंग पार्टी की तरफ से बड़ा कहा गया कि हम हरिजनों के लिए यह करेंगे, वित्तमन्त्री साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसका नक्शा तो इस बजट में है, आज मेरे पास कई दरखास्तें आई हुई हैं। मैंने 13 जुलाई को चीफ मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी थी और उन की तवजुह इस तरफ दिलाई थी कि स्टेट में जितने कालेज हैं जहां बी.एड. और जे.बी.टी. के कोर्स करवाए जाते हैं उन में हरिजनों का नहीं लिया जा रहा, उसके लिए मैंने उनको रिक्वैस्ट की थी कि कोई जल्दी हुक्म जारी किया जाए। मैंने कालेजों का नाम लिया और उनसे दरखास्त की कि इस बात की वेरीफिकेशन की जाए कि अगर वह कालेज और स्कूल गवर्नर्मैंट से ग्रांटस

वगैरह लेते हैं तो उनके ऊपर जो एडमिशन के बारे प्रेस्क्राईब्ड शर्तें हैं उनकी कम्पलायंस हो रही है कि नहीं। मेरे पास उस चिट्ठी की एकनालेजमैंट तो आ गई है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, हालांकि दाखले बन्द हो चुके हैं। मैंने रोहतक में एक कालेज के प्रिंसिपल साहब को चिट्ठी लिखी कि गवर्नमेंट के आर्डर हैं आप कम से कम दो—तीन लड़कों को तो दाखल कर लो, लेकिन वह भी नहीं किए जा रहे। स्पीकर साहब, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की सेनिट का मेम्बर हूं, वहां वाइस चांसलर साहब ने औबजव्र किया कि कालेजों में दाखलों पर पगड़ी ली जाती है। मेरे दिमाग में यह चीज नहीं थी कि पगड़ी लेकर लड़कों को दाखल करते हैं। इस बार अखबारों में तो रोज आता रहा कि जे. बी.टी. और बी.एड. के दाखले किए जा रहे हैं और सीटों की तादाद भी बहुत बढ़ाई जा रही है। लेकिन इतना होते हुए भी यह कोई कमाई का साधन तो नहीं हो गया यह उन मेम्बर साहिबान को देखना चाहिए था जो मेरे साथ लड़ते रहते हैं। वह मेरे साथ बेशक लड़े, लेकिन जहां पर रिजर्वेशन के बारे में, जोकि हरिजनों का कांस्ट्रीट्यूशनल राइट है, उनके साथ बेइन्साफी हो रही हो, इस मामले में उनको सीरियस होना चाहिए। स्पीकर साहब, पिछली सरकार ने एक डी.सी. लगाया था। लेकिन मैं आगे बात नहीं करता क्योंकि अगर मैं तारीफ करूंगा तो उसकी शामत आ जाएगी और यह उसके पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि यह समझ लेंगे कि मैं उसका हामी हूं।

फिर स्पीकर साहब, इस स्टेट में एक और बात हुई है और वह यह कि पहले जो जमीन नीलाम होती थी वह बंद कर दी गई। एक भाई कहने लगे कि पांच रुप्ये से लेकर पांच हमार रुप्ये तक चांद राम ने नीलाम करवा दी। मैं उसकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि चांद राम के वक्त में तो यह बात थी कि जितनी सरकार की जमीन थी और नजूल जमीन थी वह सारी हरिजनों को दी जाएगी, जितीन शामलात देह की जमीन थी उसका भी एक तिहाई हरिजनों को दिया गया और जो रीहैबिलीटेशन की अनअलाटिड जमीन थी वह बड़ी मुश्किल से कह कर फैसला कराया कि हरिजनों को दो। उसे देने का सिवाए नीलामी के अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता था। यह मौजूदा गवर्नर्मेंट आई और इसने झट हुक्म कर दिया कि यह बंद कर दो। एक मेम्बर चन्द्रावती जी, मैं नाम ले गया चलो मैं नाम नहीं लेता और अर्ज करता हूं कि एक मेम्बर वहां जाता है और थानेदार को कहता है कि आपने सर्विस करनी है या नहीं करनी और इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा

Personal Explanation by Smt. Chandra Vati

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर। मेरे हल्के का वह मामला था और मैंने किसी थानेदार को कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि वहां उस गांव में जिसका जिक्र किया गया था वहां पर सिर्फ एक स्वर्ण जाति का घर है और बाकी सारी की सारी आबादी वहां पर

हरिजनों की है और वहां पर हरिजनों की निहायत खासता हालत है। चांद राम जी को शायद पात नहीं कि कई दूसरे प्रांतों के अफसर जो वहां पर लगे हुए हैं उस जमीन को खरीद रहे हैं और वह जमीन ढाई हजार रुपये एकड़ के हिसाब नीलाम हुई है जो वहां का कोई हरिजन नहीं ले सकता। वहां पर जो हरिजन हैं वे चमार हैं वे कहते हैं कि अगर हम दो सौ साल के पुराने मुजारों को जमीन नहीं मिलेगी तो हम मुसलमान बनकर पाकिस्तान चले जाएंगे। मैं समझती हूं कि हाउस की एक कमेटी बनाई जाए जो वहां जाकर देखे कि वह लोग कितने तंग हैं दो सौ साल के पुजारों की अगर जमीन नीलाम कर दी जाएं, तो वह लोग कहां जाएंगे।

THE HARYANA APPROPRIATION BILL 1969

(RESUMPTION OF DISCUSSION)

चौधरी चांद राम: मैं खुद रिहैबिलीटेशन मनिस्टर रहा हूं अरग मेरे किसी रिश्तेदार ने उस दौरान जमीन ली है या मैंने दिलाई है तो उसकी इन्क्यायरी कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि फेयर तरीका यही था कि यह लोग जो पसमांदा हैं, गरीब हैं और सदियों से पिछड़े हुए हैं उनके अन्दर ही यह नीलाम कर दी जाए जैसा कि बहन चंद्रावती जी ने कहा है और मैंने भी नोट लिखा था और कहा भी था कि जो डिजरविंग हरिजन हैं उनको यह दी जाए लेकिन अब हन्होने नीलामी ही बंद कर दी। मुझे मालूम नहीं कि कब इसकी डिसपोजल होगी और हुक्म जारी करने

में कितना वक्त लगेगा? कहीं ऐसा न करें जिस तरह कभी पंजाब में हुआ था कि एक दफा बंद कर दी तो दो साल तक नहीं खुली।

स्पीकर साहब, एक बात और कहनी है लेकिन फिर यह शोर करेंगे कि यह कह दिया लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस स्टेट पर किसी एक आदमी का और एक अफसर का कब्जा होता जा रहा है। मैं उसका नाम नहीं लेता लेकिन यह बताना चाहता हूँ कि उसने तीस लाख के करीब जायदाद बनाई है। मैंने उसके बारें में लिखा था कि उसको इस महकमा से बाहर करो लेकिन इन्होंने और डिपार्टमेंट्स दे दिये और अगर आप देखें तो आधी से ज्यादा गवर्नर्मेंट उस एक आदमी के हाथ में दे दी है। बाकी अफसर भी हैं और वह इन्तजाम करने वाले लोग हैं लेकिन इस तरह एक आदमी के हाथ में इतने सारे अखिलयार दे देना और दूसरे अफसरान के दिमां में डिस्कंटमेंट पैदा करना ठीक नहीं है और इससे हरियाणा का भला होने वाला नहीं है। वह ऐसा अफसर है जो सैंटर में फेल हुआ है जिसके बारे में कोई 33 मैम्बरान ने होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इसे हरियाणा को अलाट न किया जाए लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अलाट तो हरियाणा को होगा लेकिन इसे सैंटर को भेज देंगे। आज उसने हरियाणा की हकूमत पर

मुख्यमन्त्री: आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। किसी अफसर का कंडकट यहां हाउस मैं डिस्कस करना ठीक नहीं है।

अगर इस तरह की बातें करके अफसरों पर नाजायज रौब डालना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा।

If he wants to pressurize the officer for extracting something, he is mistaken.

Mr. Speaker: The hon. Member should avoid such references. He may make general reference but not point out any particular officer.

चौधरी चांद राम: बहुत अच्छा। यह चीफ मिनिस्टर साहब का काम है कि वह इन बातों को देखें। मैंने तो उनके फायदा के लिये कहा कि यह बात अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिये नावाजब है, बाकी मानना न मानना इनकी मर्जी है। अगर वह समझते हैं कि इस तरह करने से ही उनका काम चल सकता है तो करें लेकिन हमारा भी कुछ तजुरबा है इसलिये हम यह जरूर कहेंगे कि यह ठीक तरीका नहीं है। आप उन लोगों के हाथ में ताकत दें जिनको हरियाणा के साथ प्यार है और जो लोग आपको हरियाणा के इंट्रैस्ट में सलाह दे उसे ही मानें।

एक बात मैंने पहले एरियल सप्रे के बारें में कही थी कि इसका 15 लाख 80 हजार रूपये के करीब ठेका एक ही फर्म को दे दिया गया है। मैं हाउस से कहना चाहता हूँ कि इस बात की इन्क्वायरी कराई जाए क्योंकि इसमें बड़ा गोल माल है। चीफ मिनिस्टर साहब को पता होगा, स्पीकर साहब, दो दिनों के अन्दर—अन्दर सारी रिपार्टिंग हुई और जो अफसर पहले था

रिपार्टिंग की उसकी डयूटी उससे लेकर किसी और को दे दी ताकि फेवरेबल रिपोर्ट हो। क्या यह स्टेट के इंट्रेस्ट की बात है और क्या फिक्स्ड विंग्ज के जहाज से एरियल सप्रे हो सकता है और वह भी इस स्टैट में जहां स्कैटर्ड क्राप है काटन की? इसकी सप्रे या तो हैलीकाप्टर से हा सकती है या ग्रांडड से हो सकती है(विघ्न) अगर चाहते हैं कि मैं यह बात न कहूं तो इससे स्टेट का भला नहीं होगा।

ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात भी करता हूं कि इसे हमारी वह छोटी स्टेट एक करोड़ 48 लाख रुप्या दे चुकी है। अभी एक दो रोज हुए पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया कि क्या हरियाणा को यूनिवर्सिटी देंगे तो बताया गया कि अभी उसकी फीजेबिलेटी ही देख रहे हैं। मैं इसे डील करता रहा हूं और मुझे पता है कि कैबिनेट ने फैसला किया कि हरियाणा के लिये अलग यूनिवर्सिटी बने। मैं। समझता हूं कि लुधियाना की बजाए पहले ही हरियाणा में ही किसी जगह यह हिसार वगैरह में होनी चाहिए थी लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ जो तजुरुबेकार लोग है उन सबका ख्याल है और सबने कहा है कि हरियाणा में अलग यूनिवर्सिटी बनाई जाए लेकिन काल अटेनशन नोटिस का जो जवाब आया उसमें तो सरकार ने सबको भूलभुलैयों में डाल दिया है कि पंजाब इस बारे में लैजिसलेशन बनाएगी और तब हमारी अलग यूनिवर्सिटी बनेगी। एक तरफ तो कहा जाता है कि हरियाणा के पास पेसा नहीं और दूसरी तरफ एक करोड़ 48 लाख रुप्या

अब तक हम उनको दे चुके हैं। हरियाणा के लोगों की मांग है कि हमें अलग यूनिवर्सिटी दी जाए। मैं एक और बात की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं जो मुझे याद आ गई है। मैंने एक दफा लिखा था कि कोई नया स्टाफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में न लगाया जाए जब तक हमारे लिये यह अलग नहीं की जाती। हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं वह अटानोमस बाड़ी है इसलिये स्टाफ बढ़ाया जा रहा है। बाद में होगा यह कि जब अलग होगी तो हमारा कोई आदमी उसमें नहीं मिलेगा और

(चौधारी चांद राम)

दूसरे लोग ही आएंगे। आप देखेंगे कि उसको 40 फीसदी पैसा हम देते हैं लेकिन उसमें हमारे सटूडट्स सिर्फ 20 फीसदी है। और जब पूछते हैं तो कहा जाता है कि ऐप्लाई ही इतनों ने किया था, जिन्होंने ऐप्लाई किया था उन सबको ले लिया गया है। हरियाणा एक जरायती प्रदेश है और क्या आप इमैजिन कर सकते हैं कि वहां से ऐग्रीकल्चर में तालीम पाने के लिए स्टूडेंट्स तेयार नहीं हैं। यह बिल्कुल गलत और झूठ बात है कि वहां से 40 फीसदी स्टूडेंट्स दाखल होने के लिये नहीं आते। यह हो सकता है कि शायद उन्हें वक्त पर पता ही न लगता हो कि कब दाखला होगा, इसलिये पीछे रह जाते हैं। हमारी यह जबरदस्त मांग है कि हमारे लिये हरियाणा में एक अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम की जाए।

हमारे हरियाणा में मार्किटिंग बोर्ड एक छोटी सी चीज है उसका हाल देखकर भी आप हैरान होंगे। मार्किटिंग बोर्ड का मुझे यकीन था कि दो महीने के अन्दर अलग बन जायेगा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मार्किटिंग बोर्ड तो क्या अलग होना था यहां तो सीड एण्ड लैंड डिवैल्पमेंट कार्पोरेशन ही आज तक अलग नहीं हुई। यह है हमारी गवर्नमेंट की ऐफीशैन्सी और फिर कहते हैं कि हम आपने कार्य में बड़े ऐफिशैट हैं। यह कांग्रेस सरकार की कार्यक्षमता का प्रमाण है।

इसके बाद कुरुक्षेत्र के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। हर साल कुरुक्षेत्र के लिए जनता पर टैक्स लगाये जाते हैं और इस बार भी लगाए गए हैं। मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करूंगा कि वह इसे फुलप्लैज्ड यूनिवर्सिटी बनाये और जितनी भी इस यूनिवर्सिटी में कमियां हैं उनको दूर करके दूसरी यूनिवर्सिटियों के स्टैंडर्ड तक लाये। एक बार इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि एक स्पैशल सैण्टर स्टार्ट किया जाये जिसमें स्टूडेंट्स को आई.ए.एस. के एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया जाए और उसके लिए कुछ रुप्या भी यूनिवर्सिटी ने मन्जूर किया था लेकिन वहां के वाइस चांसलर ने फण्ड्ज की कमी की वजह से उस सेंटर को रन नहीं किया था। तो, स्पीकर साहब, मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स की भलाई के लिए इस किस्म के सेंटर खोलें, कोई कंस्ट्रक्टिव बातों की तरफ ध्यान दें ताकि हरियाणा की कुछ न कुछ भलाई हो सके।

जहां तक रिसोर्सिज की बात का ताल्लुक है, इसके बारे में मैंने पांच सात बातें कहीं थीं। सबसे पहली बात टौप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन को कम करने की है। जितनी पोस्टे अभी फिल-अप नहीं हुई हैं उनको फिल-अप न करें। कोई किसी किस्म की रिफूटमेंट न करें। जितने भी बड़े-बड़े आफिसर, डिप्टी सैक्रेटरी, अन्डर सैक्रेटरी, असिस्टेंट सैक्रेटरी वगैरह हैं अगर इनकी पोस्टे न भरी जाए तो काफी बचत हो सकती है। अगर किसी एक चीफ मिनिस्टर ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर भी इस काम को न करे? हरियाणा 7 जिलों का छोटा सा प्रान्त है, इसमें फाइल वर्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम कोई नहीं होता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप विकेन्द्रीकरण की पालिसी अपनाएं, हम आपका पूरा-पूरा साथ देंगे। इस स्टेट में ला-एंड-आर्डर की कोई प्राब्लम नहीं है जिसको मेनटेन रखने के लिए आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। आज हम वैलफेर स्टेट कायम करने लगे हैं। इसलिए हमें वैलफयर के कामों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, केवल हकूमत के नशे में नहीं झूमना चाहिए। जनता की सेवा करने की बात होनी चाहिए, खिदमत करने की बात होनी चाहिए और देश को डिवैल्प करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जो टैक्नीकल पर्सन्ज हैं, जैसे चीफ इंजीनियर वगैरह, इन्हें उचित स्टेट्स मिलना चाहिए ताकि हरियाणा टैक्नीकल कामों में उन्नति करे।

स्पीकर साहब, इन्कम का दूसरा रिसोर्स यह है कि ट्रांस्पोर्ट को नैश्नेलाईज किया जाए। सवा तीन करोड़ रुपये की इनवैस्टमेंट करके कुल 24 लाख रुपये का मुनाफा हुआ है जो कि बहुत थोड़ा है। अगर ट्रांस्पोर्ट को नैश्नलाईज कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि यह धाटा अकेला ट्रांस्पोर्ट के नैश्नलाईजेशन से ही पूरा हो जाएगा। हजारों लाखों रुपये की रोजाना सेल्ज टैक्स में चोरी हो रही है। अगर सरकार इस तरफ तवज्ज्ञुह दे तो उन्हे बहुत आमदनी हो सकती है।

श्री अध्यक्षः आपका टाइम हो गया है।

चौधरी चांद रामः थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। मैं अभी खत्म करता हूं। इसके अलावा, स्पीकर साहब, फरीदाबाद में बहुत सी खाली जमीन पड़ी हुई है जिसका कोई फायदा नहीं उठाया जाता। आज उस जमीन की कीमत दो रुपये फी गज है लेकिन कल उसकी बीस रुपये फी गज कीमत हो जायेगी क्योंकि उस जगह की डिवैल्पमेंट हो रही है और लोगों ने ऐसे ही दबा रखी है। वहां पर सड़कें बनी हैं, रोशनी का इंतजाम है, सैनेटरी के काम हुए हैं जिससे उन जगहों की कीमतें बढ़ी हैं। उन कीमतों के बढ़ने का मुनाफा किसी इंडिविजूयल को नहीं होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट उस जगह को एकवायर करके पाबन्दी लगा दे तो उससे काफी आमदनी हो सकती है। उनके प्लाट बनाकर नीलाम करके गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है।

चीफ मिनिस्टर साहब ने एलान किया है कि हम देहातियों पर टैक्सा नहीं लगायेंगे। यह अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ—साथ बजट में जो आठ करोड़ रुपये का धाटा है उसको पूरा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में इकानोमी करें। अगर टैक्स लगाने भी हुए तो डायरेक्ट टैक्स लगाएं, कहीं इंडायरैक्ट टैक्स न लगाएं क्योंकि यह पब्लिक के लिए अच्छी चीज नहीं है।

एक और बात कह कर मैं बैठ जाता हूं। ये लोग कहते हैं कि हम किसानों और हरिजनों के लिए हर मुमकिन सहायता देंगे। मैं इन्हे कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए सबसे पहले ट्रैक्टर दें जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। अभी फसल आने वाली है उसके लिए अभी से इंतजाम करना शुरू कर दें। चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि हम वह काम करेंगे जो कोई भी दूसरी मिनिस्ट्री नहीं कर सकी। इसी बात पर मैं इन्हें कह रहा हूं कि किसानों को ट्रैक्टर लेकर दें। जितनी कम्पनीज देश में ट्रैक्टर्ज बनाती है वे सब ट्रैक्टर एग्रोइंडस्ट्रियल कारपोरेशन को सप्लाई करें ताकि किसानों को ठीक-ठीक कीमत पर ट्रैक्टर मिल सकें। अगर थोड़े ट्रैक्टर्ज होंगे तो ज्यादा नुकताचीनी होगी और अगर ज्यादा ट्रैक्टर होंगे तो लोग सैटिस्फाई हो जाएंगे। इस दिशा में आफिसर्ज की भी हिम्मत बढ़ानी चाहिए ताकि वे किसानों को कहें कि लो, तुम्हें और ट्रैक्टर देते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करो। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसका दारोमदार खेती पर है।

इसके इलावा गवर्नमेंट स्वयं सप्रेयर्ज का इन्तजाम करे क्योंकि यह काम गवर्नमेंट के करने का है, यह जमीदारों के बस की बात नहीं है। इस काम के लिए मोबाईल सप्रेयर्ज युनिट्स होनी चाहिए ताकि वे जगह-जगह जाकर समय पर फसलों पर स्प्रे कर सकें। हरिजनों की डिवैल्पमैंट के लिए एक हरियाणा डिवल्पमैंट कारपोरेशन कामय करने के लिए सरकार ने जिक्र किया है, यह अच्छी बात है लेकिन मेरा सुझाव यह है कि हरिजनों के कल्याण के लिए जितना भी फण्ड है वह इस कारपोरेशन को दें ताकि कारपोरेशन हरिजनों की भलाई के काम कर सके। इस कारपोरेशन को दस करोड़ रुप्या सैंट्रल गवर्नमेंट से मिलने की उम्मीद थी। अब तो यह रुप्या मिल ही जाएगा क्योंकि सैंटर में भी कांग्रेस गवर्नमेंट है और यहां पर भी कांग्रेस गवर्नमेंट है। अगर कोशिश करें तो आप सैंटर से ज्यादा से ज्यादा रुप्या ले सकते हैं। इस तरह अगर हरिजनों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो अगले चुनाव के अन्दर आप उनका मनजीत सकेंगे। लेकिन जिस तरह से आज आप हरिजनों से पेशा आ रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से 22 तारीख के मिलाप में आई एक खबर को सदन की सूचना के लिए पढ़ देता हूँ—

“जमीदारों के अत्याचारा से दुःखी सैंकड़ों हरिजन परिवार अपने गांव छोड़ गए। नरवाना के एक दर्जन देहात में हरिजनों का बहिष्कार।”

अगर इस तरह से हरिजनों को गांवों में तंग किया गया तो, स्पीकर साहब, यह हरियाणा स्टेट, एक वैल्फेर स्टेट नहीं बन सकती। नरवाना में हरिजनों के जमींदारों के साथ कुछ झगड़े हैं, सरकार उन झगड़ों को दूर करे, जो बुराई की जड़ है उसे दूर करने की कोशिश करे और इन्हें रीहैबिलिटेट करने की कोशिश करे।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमें हाउस में यह कहने का पूरा हक है कि गवर्नर्मेंट ने यह खराबी की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नर्मेंट की हर कमजोरी को हाउस में पेश करने का हर मेम्बर को हक है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं। कि वे अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करें। इस तरह अगर ठंडा दिमाग रहेगा तो मिनिस्ट्री ज्यादा देर चलेगी और वे कुद काम भी कर पायेंगे। जब आदमी में जवानी की ताकत होती है त बवह हर तरह की बातें करता है और कहता है कि मैं यह भी कर दूँगा, वह भी कर दूँगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हिन्दुस्तान में और इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट बनकर नहीं आई है। पावर आती है और फिर चली जाती है। आदमी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह मेरी परमानेंट स्टेट हो गई है। मुगल राज के जमाने में, स्पीकर साहब, जो सूबेदार जबरदस्त होता था उसको दक्षिण में लगा दिया जाता था। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी उसी तरह जबरदस्ती वाली बात करेंगे और लोगों को विकटेमार्झ ज करेंगे तो

मैं उनको वार्निंग देता हूं कि वे जितना चाहें जोर लगा लें, उनकी हकूमत ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। इन शब्दों के साथ, स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

(स्पीकर साहिब के सूबेदार प्रभुसिंह का नाम पुकारने पर सदन के कुछ सदस्य हंस पड़े और कहने लगे कि अभी सूबेदार का जिक्र हो रहा था इसलिए सूबेदार ही बोलने लग पड़े)

सूबेदार प्रभु सिंह (बवानीखेड़ा एस.सी.): स्पीकर साहब, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे खड़े होते ही सब दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया लेकिन यह हंसने वाली बात नहीं है। चूंकि वक्त बहुत कम है इसलिए मैं ज्यादा इधर—उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि —

जुबान कुछ और कहती है,

शक्ल कुछ और कहती है,

नक्ल कुछ और कहती है,

खुदा जाने अन्जाम क्या होगा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि हरियाणा के लिए जो ऐप्रोप्रिएशन बिल सदन के जेरे बहस है, इसके ऊपर तजवीज देने और खमियां निकालने की बात तो जायज है, लेकिन इन सारे हालात को देखते हुए मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरे पुराने दोस्त सारी स्पीच में चीफ मिनिस्टर साहब से दोस्ती करने की

कोशिश करते रहे हैं मगर यह बात किसी अलग करमें में भी हो सकती थी।

4 p.m.

लाला बलवन्त राय तायलः वह तो आपके लीडर है।

सूबेदार प्रभु सिंहः क्योंकि तायल साहब पूछ रहे हैं इसलिए उनसे मेरी यही गुजारिश है कि यह बात मैं उन्हें अकेले में बता दूंगा परन्तु फिर भी मैं इतना कह ही देता हूं कि वे हमारे दोस्त भी हैं और लीडर भी हैं। मगर एक बात है:

गुजाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नावाकिफ हूं,

सजा को जानता हूं, खुदा जाने खाता क्या है।

जिन हालात से हाउस गुजरा, मैं दोबारा उस तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि यह मजाक का बायस बन जाता है मगर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब एक आदमी पानी में गिरता है तो वह बचने के लिए हाथ पांव मारता है और कभी—कभी तो एक ढूबते हुए को तिनके का सहारा भी काफी होता है और मैं तो इस राय का हूं कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को इस तरह के सहारे की जरूरत हो तो उसे यह मिलना ही चाहिए। आदमी से गलतियां हो जाया कारती हैं, आदमी फिसल जाता है, आदमी बहक जाता है और फायदा उठाने के लिए इधर—उधर वह हाथ पांव मारता है। मैं किसी आदमी का नाम लेकर नहीं कहना चाहता क्योंकि, स्पीकर

साहिब की रूलिंग है और उनकी रूलिंग पर अमल करना एक डिसिप्लिण्ड सोलजर के नाते मेरा फर्ज है।

(At this stage Smt. Chandravati a member of the Panel of Chairman occupied the Chair)

चेयरमैन साहिबा, बजट के ऊपर तीन चार दिन से बहस चल रही है और आज भी बहस के लिए हमारी वित्त मन्त्री महोदया ने एप्रोप्रिएशन बिल इस हाउस में पेश किया है। सारे हालात को देखते हुए, चेयरमैन साहिबा, डिस्ट्रिक्ट हिसार सबसे पिछड़ा हुआ जिला है परन्तु मेरे यह कहने से कोई मानेगा नहीं क्योंकि गवर्नरमेंट के पास आंकड़े हैं, इनके पास फिरगर्ज हैं और इनके आफिसर्ज हर बात का हिसाब रखते हैं। मगर, चेयरमैन साहिबा, अगर कोई बात मैं आंकड़ों से सिद्ध कर दूं तो इस सरकार को उसे मान लेना चाहिए। यह मेरी आपके द्वारा अपनी सरकार से प्रार्थना है। जिला हिसार का क्षेत्रफल 13,890 वर्ग किलोमीटर है। इस एरिये के हिसाब से जिला हिसार में 872 प्राइमरी स्कूल हैं जबकि 6040 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले जिला रोहतक में 658 प्राइमरी स्कूल हैं। इस एरिया का हिसाब रखते हुए इनसे डेढ़ गुण तादाद जिला हिसार में होनी चाहिए थी। इसी तरह से आप गुड़गांव को देखिए। उसका एरिया 6080 वर्ग किलोमीटर है और प्राइमरी स्कूल 833 हैं जबकि 13890 वर्ग किलोमीटर वाले हिसार में 872 हैं। इसी तरह से जींद का क्षेत्रफल 2712 वर्ग किलोमीटर है और उसके अन्दर 230 प्राइमरी स्कूल हैं। इसी तरीके से,

चेयरमैन साहिबा, यदि आप हाई स्कूलों को देखें तो आपको पता चलेगा कि 13890 वर्ग किलोमीटर के एरिया वाले हिसार में तो 82 हाई स्कूल हैं जबकि 6040 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले जिला रोहतक में 97 हाई स्कूल है। अम्बाला जिले का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है और इसमें हाई स्कूलों की तादाद 87 है जबकि हिसार में जिसका क्षेत्रफल 13890 वर्ग किलोमीटर है 82 हाई स्कूल है। तो, चेयरमैन साहिबा, आपके द्वारा मैं इस सदन को बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में सबसे बड़े जिला हिसार को शिक्षा के क्षेत्र में आज तब बहुत पिछड़ा दुआ रखा गया है और साथ ही साथ मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अब इसकी ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री सत्य नारायण सिंगोलः स्कूल तो गांव में खुलते हैं, एरिया में नहीं।

सूबेदार प्रभु सिंहः चेयरमैन साहिबा, उधार से जो भाई बोल रहे हैं उन्हें तो जब मौका मिलता तभी कहना चाहिए था, मगर अब चूंकि उन्होंने बात कही है इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एरिये में भी तो चलकर जाते हैं। अगर एरिया ज्यादा है और स्कूल कम हैं तो कुदरती तौर पर बच्चों को ज्यादा चलना पड़ेगा जो कि एक तकलीफ देने वाली बात है।

स्कूलों की तरह ही, चेयरमैन साहिबा, जिला हिसार में हस्पतालों की हालत है। वहां 50 हस्पताल हैं जबकि 6040 वर्ग

किलोमीटर के क्षेत्र वाले जिला रोहतक में 33 हस्पताल हैं। उधर से एक साहिब ने बताया है कि ये सब चीजें आबादी के लिहाज से खोली जाती हैं, मगर मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर आबादी के लिहाज से भी यह रेशो निकाली जाए तो जिला हिसार को प्राइमरी स्कूलों, मिडल स्कूलों, हाई स्कूलों और हस्पतालों का बहुत कम हिस्सा मिला है। पुलिस स्टेशनों का भी इसी तरह हिसाब है। जिला हिसार में जिसका क्षेत्रफल 13890 वर्ग किलोमीटर है, 19 पुलिस स्टेशन हैं जबकि जिला गुड़गांव में जिसका क्षेत्रफल 6085 वर्ग किलोमीटर है 19 पुलिस स्टेशन हैं। चेयरमैन साहिबा, आजकल चोर देवता जीप में चलते हैं मगर थानेदार देवता इतने लम्बे एरिया में घोड़ी पर चलते हैं, जिसे पहले के पुराने जमाने में अंग्रेज चला गए थे। तो, चेयरमैन साहिबा, आप ही बताएं कि क्या घोड़ी वालाजीप वाले को कभी पकड़ सकता है कभी नहीं। इसलिए, चेयरमैन साहिबा, आपके द्वारा मेरी सरकार से प्रार्थना है कि एक तो ज्यादा एरिया के लिए ज्यादा ही पुलिस स्टेशनों का इंतजाम होना चाहिए, ताकि ला एंड आर्डर में कोई कमजोरी न आए और दूसरे थानेदार देवता को चोर देवता को पकड़ने के लिए जो कि जीप में चलता है उसी तरह का हथियार दिया जाना चाहिए।

इसी तरह, चेयरमैन साहिबा, आप देखेंगे कि जिला हिसार में सिंचाई वाले एरिया की परसैन्टेज बहुत कम है और रोड भी बाकी जिलों से वहां कम बनाई गई है। तो इन सब बातों को

देखते हुए मेरी, चेयरमैन साहिबा, आपके द्वारा इस सरकार से प्रार्थना है कि वह पिछली सरकारों की तरह सबसे बड़े और पिछड़े हुए जिला हिसार को उसका हिस्सा देने में कोताही न करें।

जिला हिसार के बारे में एक और जरूरी बात सरकार के नोटिस में, चेयरमैन साहिबा, मैं आपके द्वारा लाना चाहता हूं। ब्लाक बरवाला में पारता, पृथला, ठख्वा, ठरवी और इसके आप पास के 22 गांव ऐसे हैं जहां आने जोने के साधन बिल्कुल नहीं हैं। अगर इन गावों में कोई मेहमान जाना चाहे तो वह भी नहीं जा सकेगा। किसान अगर अपने चने बेचना चाहें तो बैलगाड़ी भी वहां नहीं चल सकती। इसी तरह बवानी खेड़ा कांस्टीच्युएंसी में कैमरी, डाया, शाड़वा, रावत खेड़ा, चारनौन, बाड़ों, हरिता आदि हिसार ब्लाक के 24 ऐसे गांव हैं जहां आने जाने के कोई साधन नहीं हैं। लोग बैलगाड़ी लेकर शहर तक नहीं जा सकते। सड़कों की बहुत बुरी हालत हैं किराबड़, बाड़ों, चारनौन और पहला गांव में पीने के पानी की बड़ी तकलीफ हैं पानी खारा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पीने के पानी के लिए यदि कोई स्कीमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से वहां बन सकती हों तो हैल्थ मिनिस्टर साहब उसकी तरफ ध्यान दें और इरीगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ हो सकता हो तो वे वहां जाकर देंखे और कुछ करें। बहन ओमप्रभा जी से भी मेरी प्रार्थना है कि जब कभी वे पैसे का बंटवारा करें तो हमेशा सारे हरियाणा का नक्शा सामने रखा करें और जो चीज किसी डिस्ट्रिक्ट में आबादी के लिहाज से मिलनी हो

उसे आबादी के लिहाज से दी जानी चाहिए और जो चीज एरिया के लिहाज से मिलनी हो उसे एरिया के लिहाज से दी जानी चाहिए ताकि गुड़गांव भी पीछे न रह जाए और अम्बाला या हिसार भी पीछे न रह जाए बल्कि सबको हिस्सा बराबर मिले और सब जिले तरक्की कर सकें।

इसके बाद, चेयरमैन साहिबा, मैं हरिजन वैलफ्रेयर की तरफ आता हूं। मेरे साथी ने इसके बारे में जिक्र किया है। बहुत दर्द है उनके दिल में। हमारे दिल में भी दर्द कम नहीं। दर्द सबको बराबर है। 6690 गांवों के जितने हरिजन हैं वह आज इस बात पर आंखें लगाए हुए हैं कि कांग्रेस सरकार के वक्त में जमीनों का क्या होगा। चेयरमैन साहिबा, मैं अपनी सरकार से आपके जरिए कह देना चाहता हूं कि पीछे जिस तरह का सलूक कुछ भले आदमियों ने हमारे साथ किया उस तरह का यह न करें।

चेयरमैन साहिबा, अभी तब सरप्लस लैंड का बंटवारा नहीं हुआ। यह केवल एक फराड है, हरिजनों के साथ धोखेबाजी है। पुराने हुक्मरान समझते हैं कि कानून बना दिया सरप्लस लैंड, नजूल लैंड का, भूमिदान में मिली जमीन और कई प्रकार की लैंड है हरिजनों को देने को, लेकिन, चेयरमैन साहिबा, मैं आपके हरिए एक बात कह दूं कि इस लैंड का बंटवारा तो क्या करेंगे, ये जिन्दा इन्सान तो जमीन कैसे छोड़ेंगे जबकि इनके देवी-देवता हनुमान, महेश, शिवजी, विष्णु, काली देवी आदि, जो हजारों एकड़ जमीन को धोरे बैठे हैं, वे जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं।

चेयरमैन साहिबा, हरिजनों के लिए जमीन देने के लिए ऐकट बनाया गया, सब कुछ किया लेकिन मैं तो कहता हूं अगर हरिजनों को, बैकवर्ड क्लासिज को ईमानदारी से गले लगना चाहते हो तो दिन खोल कर लगाओ, वक्त बदला है, जमाने के साथ हम सबको बदलना है। चेयरमैन साहिबा, सबसे पहले हमें जातिवाद को खत्म करना है, जब तक यह जातिवाद का नंगा नाच इस देश में रहेगा तब तक यह देश मजबूत नहीं होगा। मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि मेरे साथी हाउस में नैशनल इंटैग्रेशन पर बोलते हैं, सब जगह लोग नैशनल इंटैग्रेशन में बिलीव करते हैं लेकिन जब उसकी इम्लीमेटेशन का सवाल आता है तो जातिवाद पर बिलीव करते हैं। इसलिए जातिवाद का नंगा नाच मिटाना बहुत जरूरी है। मैं इसमें नहीं जाता कि हरिजन वैलफेर के लिए आप कम पैसा देते हैं या ज्यादा देते हैं उससे मैं मानता हूं कि हरिजनों का कुछ भला हुआ है और हमारी सरकार आइन्दा भी करेगी, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा कि फील्ड में जितने एस.पी.,डी.सी.,एस.डी.ओ. हैं ये सारे जब तक हरिजन नहीं लगेंगे तब तक यह सिलसिला जो हरिजनों के बाईकाट का चल रहा है खत्म नहीं होगा। मैं आपको गांव की हालत बताऊं गांवों में हरिजनों को कहते हैं कि गांधी जी के खेत से धास काट लाओ, वह इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दी हैं। मैं सरकार को क्रटिसाइज नहीं करता लेकिन फिर भी जब तक ये चीजें सरकार के नोटिस में नहीं आएंगी उस वक्त तक उस पर अमल नहीं हो सकता।

अब जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, मैं, सरकार को बता दूं मेरे भाई चांद राम जी 13 साल तक हकूमत में रहे और फिर संयुक्त दल की सरकार में भी रहे और बाद में वह सरकार अठमासा गर्भ फैंक गई। तो उन्होंने हरिजनों के लिए क्या किया केवल ढाई परसैट सर्विसिज में रिजर्वेशन। आज ये बातें करते हैं क्या 13 साल तक इसकी आंखें बन्द रहीं? हमने चौधरी चांद राम को पहलवान बनाकर भेजा था लेकिन ये तो भगोड़े-गीदड़ निकले और मैदान छोड़कर भाग गये।

चौधरी चांद रामः चेयरमैन साहिबा, यह नाकाबले बरदाशत बातें हैं इन चीजों को बरदाशत नहीं किया जायेगा। इस प्रकार से गीदड़ और भगोड़े कहना ठीक नहीं है। मैं तीन-चार मिनिस्ट्रियों में कांग्रेस सरकार के साथ रहा हूं। जब मैंने देखा कांग्रेस ठीक काम नहीं कर रही तो मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया, लेकिन जो कुछ यह कह रहे हैं मैं बरदाशत नहीं करूंगा।

सूबेदार प्रभु सिंहः भाई चांद राम जी का नाम लेने से उनको दर्द हो गया है। मैं उनका नाम आइन्दा नहीं लूंगा। वे नाराज न हो मैं ईमानदारी से कहता हूं नाम नहीं लूंगा चेयरमैन साहिबा, मैं सदन को बताना चाहता हूं—

मस्तिष्क तो बना ली शब भर में,

ईमां की हरारत वालों ने।

मन अपना पुराना पापी है,

बरसों से नमाजी बन न सका।

मैं किसी से तनाजा नहीं करता लेकिन जो आदमी सीना जोर कहे जाते थे उनकी आज यह हालत है।

चौधरी चांद रामः आपके बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। मुझे मालूम है जैसा आपका ऐटीच्यूड रहा है।

सूबेदार प्रभु सिंहः चेयरमैन साहिबा, मैं आपके द्वारा एक बात कहना चाहता हूं और मेरे में इतनी गर्मी तो नहीं आती जितनी चांद राम जी में आ गई। कोई आदमी बहक जाये तो दूसरी बात है मैं तो उसके फायदे की बात कह रहा था।

चेयरमैन साहिबा, मैं अब ट्रांसपोर्ट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। सरकार को चाहिए कि जितने भी नए रुट निकलें उन रुटों के परमिट तमाम हरिजनों को दिये जायें, उन बेचारे गरीब हरिजनों को, ताकि उनको भी पता चले कि बस में टिकट कैसे बांटी जाती है, कैसे खरी जाती है। उन गरीबों को भी तो पता लगना चाहिए।

उन गरीब हरिजनों को कोयले के डिपो भी मिलने चाहिए ताकि वे आगे आ सकें। ब्रिक-किल्न भट्ठे के लाईसेंस मिलने चाहिए। जब ईट हरिजन बनाते हैं, पकाते हरिजन हैं, सारा काम हरिजन करते हैं और सारे लाभ को ले जाता है लाला गिरधारी लाल। लाल गिरधारी लाल तो तीस हजार रुपये का

फायदा उठा ले और गरीब हरिजनों को कुछ भी न मिले। इसलिए उनको भी लाइसेंस मिलने चाहिए।

चौधरी नारायण सिंह: अगर उनको भट्ठों के लाइसेंस दे दिये गये तो उनका भट्ठा बैठ जायेगा।

सूबेदार प्रभु सिंह: अभी मेरे एक भाई ने कहा कि भट्ठे के लाइसेंस दे दिये गये तो उनका भट्ठा बैठ जायेगा। अगर रेल में बैठ जाने से रेल का भट्ठा बैठ जाये और कार में बैठ जाने से कार का भट्ठा बैठ जाये तो बैठ जाने दो, हरिजनों से ही भट्ठा बैठता है, तो बैठने दो।

चेयरमैन साहिबा, हमको व्यापार में हिस्सा मिलना चाहिए। हमारी सरकार को चाहिए कि इन गरीबों को व्यापार सिखाने के लिए कोई इंस्टीच्यूशन खोले और वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाये। उनको व्यापार करने का पता लगना चाहिए कि जापान से सूई कैसे आती है, कैसे बाजार से कांटे की धोती खरीदी जाती है। बस अन्त में यही कहता हूँ कि जो भी गरीब हैं चाहे हरिजन हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे कोई जाट है सबको सुविधायें मिलनी चाहिए। सरकार को सोशिलस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी बनानी चाहिए।

आपको पता ही है कि देहातों के बच्चे उतने नम्बर वगैरह नहीं ले सकते जितने की दूसरे शहरों के बच्चे, जोकि पब्लिक स्कूलज में पढ़ते हैं, लेते हैं। पब्लिक स्कूलज में पढ़ने वाले

बच्चे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. के इम्तहानों में बैठते हैं और सिलैक्ट होते हैं। मगर जो बच्चे चांद की रौशनी में बैठ कर पढ़ते हैं वह उनके साथ कम्पीटीशन में नहीं बैठ सकते और उन लोगों का मुकाबिला नहीं कर सकते। चेयरमैन साहिबा, मेरा कहना है कि अगर सरकार चाहती है कि देहात के बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह आगे बढ़े तो पब्लिक स्कूल्ज में उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखनी चाहिए।

चेयरमैन: आप बीस मिनट से ज्यादा टाइम ले चुके हैं। कितना समय और लेंगे?

सूबेदार प्रभु सिंह: दो मिनट में ही खतम कर दूंगा।

चेयरमैन साहिबा, हरिजनों के बच्चों को जो वजीफा दिया जाता है वह 1953 में फिक्स हुआ था। आज 30 या 31 रूपये बहुत कम हैं जबकि इस अरसे में आप जानते ही हैं कि किताबों की कीमतें बढ़ गई हैं, कपड़े की कीमत भी बढ़ गई हैं, खुराक भी मंहगी हो गई हैं। लिहाजा इस अरसे में हर चीज की कीमत बढ़ गई है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो हरिजन को वजीफा दिया जाता है वह इन हालात को देखकर बढ़ा दिया जाये।

मैं इतना कहकर बैठ जाता हूं। मुझे आशा है कि जितनी बातें मैंने सरकार के सामने रखी हैं वह उन पर ध्यान देगी और उन पर अमल करेगी। अगर ऐसा न किया गया तो जैसे

पुराने दोस्तों के दिल में टैनेंट्स, किसानों तथा दूसरे पिछड़े हुए लोगों के बारे में दर्द है, वैसे हमारे दिल में भी दर्द होगा। उस दर्द से बचाने के लिए मैं सरकार से कहूंगा कि वह दर्द की दवा बन जाये।

श्रीमती प्रसन्नी देवी (इंदरी): चेयरमैन साहिबा, आज हाउस के सामने एप्रोप्रियेशन बिल पेश है। मैं भी इस पर अपने विचार हाउस के सामने रखना चाहती हूं।

चेयरमैन साहिबा, मैडिकल के लिए हमारी सरकार ने काफी राशि रखी है। हरियाणे में एक मैडिकल कालेज रोहतक में चल रहा है। मैं आपके जरिये सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूं कि देहात की लड़कियों के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व करें क्योंकि जो सीट्स लड़कियों के लिए आजकल रखी हुई हैं उनसे देहात की लड़कियों को कोई फायदा नहीं पहुंचता। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार चाहती है कि देहात की लड़कियों को कुछ फायदा पहुंचे तो इसको उन लड़कियों की सीट्स में से जो आजकल रखी जाती हैं कुछ परसेंटेज सीट्स की देहात की लड़कियों के लिए भी रखनी चाहिए। उसी हालत में ही देहात की लड़कियां डाक्टर बन सकती हैं। आप जानती हैं कि जो आजकल देहात में वातावरण और हालात हैं, उसके मुताबिक वह शहर वाली लड़कियों के बराबर नम्बर नहीं ले सकती और उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकती। अगर देहात की लड़कियों के लिए भी कुछ रिजर्वेशन सीट्स में हो जायेगी तो देहातों में जो डाक्टर्ज की

कमी है वह कुछ सालों में पूरी हो सकती है। आजकल हम देखते हैं कि जो लड़कियों कालेजिज से निकलती है वह शहरों में ही सरविस करना चाहती हैं जिस की वजह से गांवों में हस्पताल बगैर डाक्टर्ज के रह जाते हैं। अगर देहात की लड़कियों को, कुछ परसेंटेज सीट्स की मैडिकल कालेजिज में दी दे जायेगी तो वह उस कमी को पूरा कर सकती है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी।

मैं कुछ एजुकेशन के बारे में भी कहना चाहती हूं। मैं मानती हूं कि जो स्कूल्ज पांच साल में अपग्रेड करने थे वह पिछली सरकार ने आठ महीने में भी कर दिये थे और अब स्कूल्ज को अपग्रेड करने के लिए सरकार के पास फंड्ज की कमी है लेकिन उसके लिए कई रास्ते निकाले जा सकते हैं। इस सिलसिले में मेरा सुझाव है कि शहरों के अन्दर अब सरकारी स्कूल्ज न खोले जायें। वहां सर प्राइवेट स्कूल्ज और कालेजिज इतने हैं कि उनको बढ़ावा दिया जा सकता है और नये गांवों में खोले जा सकते हैं। मेरे हल्के में 60–70 मील में सिर्फ दो हाई स्कूल्ज हैं। अब बटवारे के हिसाब से वहां बढ़ाने का नम्बर आये तो शायद कितने ही साल लग जायें। मेरे इलाका 6 महीने पानी में ढूबा रहता है। सरकार ने यह शर्त लगाई हुई है कि अगर गांव व बिल्डिंग बना कर दे दे तो स्कूल अपग्रेड हो सकता है। चेयरमैन साहिबा, मेरा ऐसा इलाका जहां की आबादी कई बार जमुना के फ्लॉज से उजड़ चुकी है और ऐसे हालात में उनका गुजारा भी

मुष्किल से होता है। तो मैं कहूँगी कि सरकार उन गांवों में लकड़ी के किवाड़ और टीन की छतों द्वारा बिल्डिंग तैयार करवा सकती है। इसके लिए कुछ हिस्सा गांव वालों से लिया सकता है और कुछ सरकार खुद दे। अगर ऐसा किया जाए तो स्कूल वहां पर खोले जा सकते हैं। मेरे हल्के में ऐसी भी जगह है जहां पर बीस-बीस मील तक कोई मिडल स्कूल भी नहीं है और न वहां पर आने जाने के लिए कोई रास्ता है। आजकल बच्चों को किशितयों में पढ़ने के लिए आना पड़ता है क्योंकि पुल नहीं हैं। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

जहां तक सड़कों का ताल्लुक है, इस बारे में भी सरकार ने काफी राशि रखी हैं। लेकिन सरकार प्लैनिंग के लिहाज से सड़कें बनाती हैं। चेयरमैन साहिबा, मेरा इलाका और कुछ और इलाकों में ऐसा इलाका हरियाणे में होगा जहां फ्लॉज ज्यादा तादाद में आते हैं अगर वहां पर प्लैन हिसार से सड़कें बनाई जाये तो शायद कभी कोई सड़क वहां पर बने ही नहीं क्योंकि अगर इस साल मिट्टी डाली जाती है तो वह फ्लॉज आने पर सारी बह जाती है। इसलिए मैं सरकार कहना चाहती हूं कि ऐसे इलाकों में जितना भी सड़कों का हिस्सा हो वह एक ही साल में पूरा कर दिया जाये। ऐसा करने से तो कुछ सड़कें शायद बन जायें वरना नहीं। दूसरा मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अगर वहां से पानी को निकालने का कोई जरिया नहीं है तो कम से कम

सरकार ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो।

चेयरमैन साहिबा, पंचायतों की जो जमीन होती है उसमें से कुछ तो हरिजनों को दी जाती और बाकी को नीलाम किया जाता है। आक्षण का जो तरीका है उससे गरीब लोग तो जमीन को खरीद भी नहीं सकते। मेरे नोटिस में ऐसे केसिज जाये हैं जहां लोगों के पास जमीन पांच सात साल से है मगर नीलामी इतनी चढ़ जाती है कि उसको छुड़वाने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता क्योंकि बोली में बहुत ज्यादा कीमत चली जाती हैं तो इस वक्त जो सिस्टम उसको चेंज करना चाहिए। दूसरा जिन आदमियों के पास अपनी जमीन है उनको नीलामी जमीन लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह इस जमीन में से कुछ जमीन हरिजनों को दी जाती है उसी तरह से जो बैकवर्ड क्लासिज और दूसरे गरीब लोग जिनके पास जमीन नाम है उनके लिए भी कुछ परसेंटेज मुकर्रर कर देनी चाहिए। ऐसा करके हम पिछड़े हुए लोगों को कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। हरियाणे में जो इलाका एजूकेशन, सड़कों, पानी तथा दूसरी चीजों पिछड़ा हुआ है उसको ऊपर उठाने का एक ही तरीका है। जैसा मैंने जनरल बजट और डिमांड पर बोलते हुए कहा गवर्नर्मेंट को एक स्टेट लेवल की कमेटी बनानी चाहिए जो यह देखे कि हिरय को और कौन सा हिस्सा पिछड़ा हुआ है। बजट उसी इलाके में खर्च हो जो जिस लिहाज से पिछड़ा हुआ है। जो इलाके पहले ही एडवांसड हैं और

जहां पर पहले ही दूसरे इलाके की निर्संबत सहूलियत ज्यादा हैं वहां कुछ देर के लिए और सहूलियत न दी जाये ताकि पिछड़े हुए इलाके भी उनके बराबर पहुंच सकें।

Sh. S.P. Jaiswal (Karnal): Madam Chairman, we have the Appropriation Bill today arising out of the passing of the Budget Estimates of our State for the current financial year. The other day, an hon. Member of this House while speaking on the Budget said that he did not know how the Budget was prepared or demands were created. He said he had asked Sh. Mool Chand Jain, ex-Finance Minister of our State, to guide him about the manner in which the Budget is prepared, but was told “that he also did not know it; and that actually this was the work of the Secretaries”. Madam Chairman, I am wondering if our present Finance Minister knows how budget is made or she is also entirely dependent on the Secretaries.

The Budget system, as you are aware, Madam, of the Government, is quite different from other budgets. Whereas all the other budgets are prepared so as to adjust the expenditure according to the income, the Government Budget is prepared so as to create income to meet the expenditure. Just imagine, Madam Chairman, our Finance Minister applying the Government Budgeting system to her personal Budget. By the Government Budget method cars, air conditioners and so on. After she has prepared this Budgetary expenditure of approximately Rs. 10 lakhs, she would sit down and look for revenues, how to create the income to meet this expenditure. To meet this expenditure she will then have to

resort to pick pocketing or picking pockets, the same way as the Government does.

Madam Chairman, the time has come when the system of Government Budgeting must be altered.

I would suggest that our Government should prepare the Budget according to the normal methods of budgeting; the first person to give a lead in this will create history of having managed to get out of the clutches of the civil servants.

Now, Madam, our Excise Department has demanded a sum of Rs. 1,50,000 for payment to the Uttar Pradesh Government as export duty. If our budgeting system was proper, I am sure such wasteful expenditure could be completely eliminated. This demand or I would say this expenditure is the result of the desire of a senior officer of this Government, who happens to be a personal friend of Sh. N.N. Mohan of the Mohan Meakin Breweries, to help his friend. With this end in view the supplies of country liquor are being obtained from Uttar Pradesh in spite of the fact that there are two distilleries, one at Karnal and the other at Modinagar, in the State which can easily meet the demand of country liquor. They are by far capable of producing the liquor needed by our State. But by purchasing country liquor from this particular Distillery in Uttar Pradesh, this Department is on the one hand helping the Mohan Meakin Breweries and on the other hand are out to harm the cause of Haryana State. Such people, who are responsible for actions like this have no love for Haryana and are people who are against the prosperity of the State.

Madam, if the budgeting system suggested by me is followed, it will eliminate parasite schemes like :-

(1)the Block Development; and (2) Public Relations.

There is no utility of these schemes, so far as the general public is concerned. The Block Development scheme has nothing to do except to provide employment and pleasure to those who are working under this scheme. The Public Relations Department has actually become a 'Dhandorchi' Department for the hon. Ministers. When a Minister goes to a place, the publicity department spends thousands of rupees in making arrangements for a Jalsa' to be addressed by that Minister. Then, Madam, what is Provided at that 'Jalsa' interesting for you to know. This Department makes arrangements for dance and music by the staff of the public Relations Department kept on its role just to entertain the Minister. These are expenses which can be easily reduced. This pleasure at the cost of the poor people, who do not get even one square meal a day can hardly be said to be justified. It does not do us any credit on the contrary it puts us to shame. If we change our system of budgeting, we will also be able to reduce excessive and undersireable incomes as at present derived by way of excise duty and surcharge on land revenue and on property tax. This excessive income from excise is being earned at the cost of the health of our people Haryanavis, the people of Haryana. Because of heavy taxation on country liquor its price in the market is high. The result is that the poor people resort to drinking methylated spirit. This spirit is denatured by slow acting poisons, and by the use of this denatured spirit the health of the people is drastically

affected. This denatured spirit shortens the life of the people and weakens the eye-sight. We must, therefore, cut down our excessive income from excise as it causes great damage to the health of our people. We do want revenue but not at the cost of tears of widows and their children. Then, Madam, there is this surcharge on land revenue. This tax could easily have been reduced or abandoned, if only there had been proper economy in the State expenditure. Therefore, as suggested by me earlier, we should change our budgeting system so that we have minimum taxes.

Mada, coming to the investment side, I would submit that Government funds are not being invested properly. Improper investments are being made on Bandobast and on the establishment of industrial colonies. The people will be taxed for the next three or four years for meeting the charges of Bardobast. The Chief Minister was pleased to say that the Bandobast has to be done because it is ordinarily expected to be done after forty years and that now it is long over due. May I say, Madam, that if this Bandobast is not done now and unnecessary expenditure is saved by postponing it, heavens are not going to come down. This Bandobast can certainly be postponed till our State is in a better financial position.

Similarly, Madam, these industrial colonies are taking large sums of the public expense. I said the other day in this House that this expenditure is going to be all waste. Even this morning I was reading that the Madhya Pradesh Government have discontinued the setting up of industrial colonies. Our Government should learn a lesson from the fate

of the industrial colonies already created. Take the case of Sonepat and Panipat. They are lying uselessly and the expenditure incurred thereon has all gone waste.

Madam, there is another important point that I would like to make here about the Industries Department. We should have in this Department, only officers as departmental heads, who know a great deal about the industries and their difficulties so that they can be of some help to the industry in the State. I have already said when I spoke on the Industries Demand that the promises made to the industry are merely tall talk. In fact, the industries instead of being given proper assistance and help by the Department, are being harassed by and large by the various Departments.

The people at the head of the Industries Department, are such who know little or nothing of industries. They are incapable of understanding the difficulties of industries and so cannot create any faith in the minds of the entrepreneurs. The Heads of the Industries Department should be technically qualified people and not merely an I.A.S. Such persons are only capable of destroying industry by cancellation of licenses of old established industries for personal reasons as has been repeatedly attempted in the case of the Karnal Distillery. Madam, I may suggest to the Government that a couple of industries that are under the Excise Department should also be transferred to the Industries Department as that may cause lesser difficulties for these industries.

Much has been said about prohibition and nationalization. The experiment of prohibition has failed and it is time that we should give it up. If the prohibition is

introduced people start illicit distillation which not only tells upon the health of the people but also erodes the economy of the country. Similar is the case of nationalization. All the industries in the Public Sector are running at a loss. Therefore, fads like prohibition and nationalization should be given up as they result in no good to the people and only in losses to the Government and consequent burden on the people.

The expenses on administrative machinery and its pleasures, such as the creation of and maintenance of Circuit and Rest Houses, luxury cars, residential telephones and free medical aid should be drastically curtailed; if not eliminated altogether. I have already pointed out in this House the other day that a senior officer in the Government spent a sum of Rs. 25000 for going to U.K. for the treatment of his eye. In a State like ours where people die everyday for want of medical aid, this sort of expenditure is a luxury which we can hardly afford.

And the last but not least the Government must desist from administrative and political victimization and avoid the consequent waste on litigation as a result thereof. The house will be surprised to know that as a result of such victimization some 3000 writ petitions have been filed in the High Court during the year. And in fact the justification for a High Court arises out of writ petitions against the Government.

As for the supersession of Karnal Municipal Committee, much has been said. I must say that it is wholly justified. Since I represent that constituency which is directly

concerned with this Committee, I am in a position to make this statement with authority.

In the end I hope and pray that good sense will prevail on our Government and they will begin to look more to the benefit and the interests of the people of our State.

चौधरी प्रतात सिंह (बहादुरगढ़): चेयरमैन साहिबा, प्रदेश की अधिकतर जनता किसान है और उनका गुजारा खेती बाड़ी पर है। इरीगेशन और एग्रीकल्चर के लिए जो रूपया हमारी सरकार ने प्रोवाइड किया है मैं समझता हूं कि वह इस प्रदेश के किसानों की जरूरतों को देखते हुए काफी नहीं है। क्या अच्छा होता अगर जो रूपया प्रोवाइड किया गया है वह ज्यादा होता और दूसरे जो हैं जिनके अन्दर इतने रूपये की जरूरत नहीं है उनसे निकाल कर इरीगेशन और एग्रीकल्चर के लिए रूपया ज्यादा दिया जाता। आप जानती हैं कि हमारे प्रदेश के किसानों की होल्डिंगज छोटी है और उनके जीवन का आधार खेती पर ही है। हमारे किसान अनपढ़ होने की वजह से दूसरे प्रोफैशन्ज की तरफ ज्यादा नहीं जा रहे। इसलिए किसान को ऊंचा उठाने के लिए ज्यादा सहूलतें देने की जरूरत है। मैं यह निवेदन करूंगा कि किसान को इरीगेशन के साधन मुहैया करने के लिए दूसरे हैंड्ज से रूपया निकाल कर ज्यादा से ज्यादा रूपया इस और खर्च किया जाए। हमारे प्रदेश के अन्दर पानी की कमी नहीं है। हमारे हाँ बहुत से इलाकों में डीप ट्यूबवैल ओर हो सकते हैं। आज हमारे प्रदेश के अन्दर सिर्फ 20 फीसदी भूमि का पानी लगता है। किसना को पानी

देने से न सिर्फ किसान का ही भला होगा बल्कि सारे प्रदेश की काया कल्प हो जाएगी, व्यापार में भी बढ़ावा होगा और लोगों में भी खुशहाली आएगी, सरकार को भी टैक्सों में जरिए रूपया मिलेगा। इसलिए सरकार को इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जो इरीगेशन की स्कीमें रूपए की कमी की वजह से अधूरी पड़ी हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। पानी तरीके से दिया जाए तो किसान के लिए जिन्दगी है और अगर पलड़ की सूरत में आता है तो वह मौत है। इसलिए गवर्नर्मेंट को फ्लड कन्ट्रोल की तरफ ध्यान देना चाहिए और हमारे जो इरीगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान हैं उनको इस तरफ ज्यादा तबज्जुह देनी चाहिए। हमारे देहातों में कोई ऐसा एरिया नहीं जहां लोकल डिप्रैशन्स न हो। सरकार लोलक डिप्रैशन्ज को ज्यादा गहरा करवा कर उनमें फ्लड का पानी जमा करे और जब पानी की जरूरत हो तो पम्पिंग सैट के जरिए वहां से खेतों को पानी दिया जाए। इस तरीके से फ्लड भी कन्ट्रोल हो जाएंगे और किसानों को पानी भी मिल सकता है। इस काम पर जो रूपया खर्च होगा वह दो सालों में किसनों से वापिस लिया जा सकता है। इससे हमारे हरियाणा में खुशहाली आएगी।

इसके अलावा यहां पर ट्रांस्पोर्ट को नैशनेलाइज करने के लिये बहुत से भाइयों की तरफ से कहा गया, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं अपनी तरफ से यह सुझाव दूंगा कि हमें अभी इस तरफ नहीं जाना चाहिये क्योंकि जरायत को तरक्की देने के

लिये रूपए पर अजहद जरुरत है। किसन को जो कि हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है पानी और इम्पलीमेंट्स वगैरह देने की जरुरत है। अगर हम ट्रांसपोर्ट को नैशनललाइज करें तो उसके लिये कम से कम चार पांच करोड़ रुपए की जरुरत होगी, अगर हम उस रूपए को इरीगेशन और ऐग्रीकल्चर पर लगाएं तो उससे स्टेट को बैटर रिटर्न मिलेगी। ट्रांसपोर्ट नैशनलाइजेशन तो बाद में भी हो सकती है। चेयरमैन साहिबा, मैं अपनी तरफ से यह सुझाव दूंगा कि जो रुट परमिट हैं ये कोआप्रेटिव सोसायटीज को, एक्स सर्विसमैन और हरिजनों को दिए जाने चाहिए।

मेरा सरकार से एक सुझाव है कि ट्रॉबवैल में लिये बिजली के कनैक्शन सिर्फ उस जगह दिये जायें जहां पर पानी गहरा है और जहां पानी नजदीक मिलता है वहां सरकार पम्पिंग सैट्स प्रोवाइड करे।

तालीम के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो श्री सरकार बनी है किसार लगान की शक्ल में और दूसरी शक्ल में सरकार को पैसा देते आए है। अब यह सरकार पालिसी बना रही है, जैसा कि पता लगा है, पता नहीं कहां तक ठीक है कि वही स्कूल अपग्रेड होंगे जो सरकार को उसके लिये कुछ पैसा देंगे। यह ठीक बात नहीं है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि रुरल एरियाज में बगैर पैसा लिये स्कूलों को अपग्रेड करे क्योंकि हमारे देहात की हालत ऐसी नहीं है कि वह तालीम हासिल करने के लिये रूपया दें, हां अगर किसी

के पास देने को हो तो बेशक दे लेकिन यह कंडीशन नहीं होनी चाहिये ।

स्माल सेविंग के बारे में मैं अर्ज करता हूं कि देहात से जो रूपया इसमें इकट्ठा किया गया है वह किसानों की बेहतरी के लिये ही खर्च किया जाए न कि दूसरी जगह शहरों की बेहतरी के लिये खर्च किया जाए । वह रूपया सिर्फ इरीगशन और एग्रीकल्चर पर ही खर्च किया जाना चाहिये । हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है और जहां पर लोग अच्छी नसल के पशु पालते हैं इसलिये इस प्रदेश में ज्यादा डेरी डिवैल्पमेंट की तरफ ध्यान दिया जाए । हमारा प्रदेश देहली के नजदीक है जहां पर कि मिल्क प्रोडक्ट्स की बड़ी मांग है । इसलिये अगर किसानों को डेरी के लिये कर्ज दिये जाएं तो देहली नजदीक होने की वजह से किसानों को अच्छा रोजगार मिल सकता है और वह खुशहाल हो सकते हैं ।

रोड्स के बारे में अकसर देखा जाता है कि जहां मिट्टी पड़ जाती है, वहां ईट, रोड़ी, बजरी नहीं आती और यह मिट्टी बरसात में वह जाती है और किया कराया बरबाद हो जाता है । सरकार उन अफसरों को ऐक्सप्लेनेशन मांगे जो टाइम लिमिट के अन्दर किसी राड के काम को पूरा नहीं करते ।

इंडस्ट्री की हमारे प्रदेश में बड़ी कमी है । मुख्यमन्त्री जी का पता है कि उनके भिवानी शहर के व्यापारी सारे देश में फैले हुए हैं और उन्होंने इंडस्ट्री के मामला में काफी नाम पैदा किया

हुआ है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह हरियाणा के इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ऐप्रोच करें और कहें कि वह अपने प्रदेश में आकर इंडस्ट्री लगाएं और इसकी तरक्की करें। उन लोगों को भी दूसरे प्रदेशों में काफी दिक्कतें आ रही हैं और पीछे जो नक्सलबाड़ी का किस्सा हुआ था वह आपको पता ही है। दूसरे प्रदेशों में ऐसी भावना पैदा हो रही है कि बाहर के लोगों को प्रोत्साहित न किया जाए। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अपने उन हरियाणा के रहने वाले व्यापारियों को जिन्होंने दूसरे प्रदेशों में करोड़ों रुपया लगाया हुआ है यहां बुलाएं और उनको सारी सहूलियतें दें।

बाकि इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ ज्यादा रुपया खर्च नहीं करना चाहिये क्योंकि कारखानेदार पैसे वाले लोग होते हैं और वह खुद खर्च कर सकते हैं। इसलिये ज्यादा रुपया एग्रीकल्चर पर खर्च करना चाहिए। (At this stage Mr. Speaker occupied the Chair) फरीदाबाद, यमुनानगर और सोनीपत वगैरा में जो कारखने चल रहे हैं वहां देखा जाता है और सुना जाता है कि वहां के जो कारखानेदार हैं वह हरियाणा के रहने वालों को नौकरियां नहीं देते और देहली और दूसरी जगहों से आदमी बुलाते हैं। यह ठीक है कि हमारे यहां टैक्निकल आदमी नहीं मिलते मगर अनस्कल्ड लेबर तो काफी मिलती है। उसे तो नौकरी दी जा सकती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उड़ीसा में जब रुड़केला का स्टील प्लांट

बनने लगा और नेहरू जी वहां गए तो वहां के लोगों ने मांग की कि बड़े टैकिनकल कामों को छोड़कर बाकी सारे कामों पर उड़ीसा लोगों को ही लगाया जाए। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो भी कारखाने लगें उनके मालिकों को साफ तौर पर कहें कि जितनी भी छोटी प्रकार की नौकरियां हैं वह वहां के रहने वालों को ही दी जाएं।

ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है कि इस पर बहुत खर्च होता है और 22 फीसदी रैवेन्यू का इस पर खर्च हो जाता है। हमारी स्टेट बहुत छोटी है और यह ठीक है कि यह इतना खर्च बरदाश्त नहीं कर सकती। लेकिन कर्मचारियों के बगैर काम भी तो नहीं चल सकता। इसलिये हमें उनको खुश रखना चाहिये और उनसे काम लेना चाहिए।

एक बात और है जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं कि अक्सर सुना जाता है कि यह अफसर हरियाणा का है और यह पंजाब का है। यह बात करना ठीक नहीं है। हमें अपने दिमाग से हरियाणा और पंजाब और नान-हरियाणा की बातें निकाल देनी चाहिये। जो भी अफसर हरियाणा को अलाट हुआ है वह सरकारी मुलाजिम है चाहे उसका घर दूसरे प्रदेशों में है। हमें उन सब भाइयों को महसूस कराना चाहिये कि आप हरियाणा के सरकारी मुलाजिम हैं और आपके राइट्स इस सरकार के पास महफूज हैं। यह डर जो है इसे ऐडमिनिस्ट्रेशन से निकालना चाहिए। कोआप्रोटव के बारे में सरकार को बताना चाहता हूं कि यह

किसानों के लिये बहुत अच्छा है लेकिन इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है और लोगों को इसके अन्दर शौक दिलाने के लिये सरकार को चाहिये कि उन लोगों को ही फील्ड ड्यूटी पर लगाएं जो कोआप्रेटिव के अन्दर विश्वास रखते हैं।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): स्पीकर साहिब, हमारे सामने जो यह एप्रोप्रिएशन बिल आया है मैं इस पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो लेबर के लिये फंडज रखे गए हैं ये बहुत कम हैं। मैं इस बारे में कुछ बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं लेकिन लेबर मिनिस्टर साहब यहां बैठे नहीं हैं। यहां जितनी फैक्टरियां चलती हैं और कारखाने चलते हैं उनमें एक बात देखने में आती है कि वहां उनमें एक भी मजदूर आपको 40 साल से ज्यादा उम्र का नहीं मिलेगा। उन्होंने एक कायदा ही बना रखा है कि वह बीच में ही उनको सर्विस से हठा देते हैं ताकि कम से कम उनको बोनस देना पड़े। इसके अलावा यह देखने में आया है

5 p.m.

कि कारखाने के मजदूर चाहे वे देहात के हो चाहे शहर के, लेकिन इतना जरूर है कि वे सल्मज एरियाज में रहते हैं। जब कोई मजदूर छुट्टी चला जाता है तो कारखानेदार उसकी सर्विस को ब्रैक कर देता है। यही वजह है कि वे ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक जिन्दा रहते हैं। कारखानेदार किसी न किसी बहाने

मजदूरों को हटाने की कोशिश करते हैं। उन्हे परमानेंट भी होने नहीं देते बल्कि ज्यादातर सर्विस में ब्रेक डालने की कोशिश करते हैं। इन कठिनाईयों के कारण मजदूर लोग बुढ़ापे में तंग होते हैं। अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाते और वे छोटी उम्र में ही मर जाते हैं। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि वे मजदूरों के लिये एक ऐसा कमीशन बैठाये जो यह जांच करे कि कितने मजदूरों की सर्विसिज में ब्रेक किया जाता है और कितने मजदूरों को बिना वेजिज दिए निकाला जाता है। ऐसा कमीशन बनने से मजदूरों को सेफगार्ड मिलेगा और उनके हकूक मजफूज रहेंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता, मजदूर को उसकी जिन्दगी की सिक्योरिटी नहीं दी जाती तो मैं समझती हूं कि मजदूर तबके की जान के लिये खतरा है। ये लोग गन्दगी में काम करते हैं, मशीनों के शोर शाराबे में काम करते हैं और सख्त मेहनत करते हैं। यही कारण है कि वे 60-70 साल की बजाये 40 साल में ही बुड़डे हो जाते हैं।

दूसरे बात में एक्स-सर्विस-मैन के बारे में अर्ज करना चाहती हूं। एक्स-सर्विस-मैन के लिए इस एप्रोप्रिएशन बिल में कोई पैसा नहीं रखा गया, केवल पैन्शन के लिए एक खाना जरूर है। स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करना चाहती हूं कि हरियाणा प्रान्त में सबसे ज्यादा मिल्ट्री की भर्ती होती है और यहां सबसे ज्यादा एक्स-सर्विस-मैन हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि इनके लिए इस बिल में कोई प्रोवीजन नहीं है। जो सरकारी सोल्जर बोर्ड है उसमें

जो लोग काम करते हैं वे नातजरुबेकार हैं, वे साल—साल छः छः महीने सर्विस करने के बाद पोलिटिकल पार्टीज की तरफ भागते हैं। इस तरह एक्स—सर्विस—मैन का भविष्य सुरक्षित नहीं है। फण्ट पर जो नौजवान शहीद हुए हैं उनके बाल बच्चों को यानी विड्डोज को सरकार सहायता के तौर पर मशीनें देती है लेकिन वे भी बगैर फेवर किए नहीं दी जाती और जिन्हें सहायता की सख्त जरूरत होती है उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है और जिन्हें सहायता दी जाती है वह बड़ी दुर्गति के साथ दी जाती है। कभी भी उन्हें जरूरत के वक्त सहायता नहीं दी गई। इसके लिए कई तरह की कंडीशंज लगाई जाती है। रैवेन्यू आफिसर्ज, जैसे तहसीदार, नायब तहसीलदार, ये लोगों के साथ बुरा बताव करते हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। इसलिए सरकार से दरखास्त है कि वे एक्स—सर्विस—मैन की सहायता के लिए कोई कायदे कानून बनायें। उनकी बेहतरी के लिए पोस्ट आफिस में पैसा रखें ताकि उन्हें आफिसरों और चपड़ासियों की खुशामद न करनी पड़े।

अब मैं पी.डब्ल्यू.डी. के मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहती हूं। मैंने ट्रांसपोर्ट के बारे में रिक्वेस्ट की थी कि सिकनी से लोहारू तक बस सर्विस चलाई जानी चाहिए। एक और बस सर्विस हिसार से सौंपा को चलनी चाहिए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि सड़क खराब हैं। मैंने सचमुच उस सड़क को देखा है, वह सड़क बहुत ही खराब है। इसलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि

वे इस सड़क को ठीक करके वहां पर बस सर्विस चलाने का इंतजाम करें एक और सड़क है जिसका नाम नैशनल हाई—वे है और जिस पर बीकानेर के सिवाये और कुछ नाम नहीं लिखा हुआ। वह सड़क इतीन खाराब है कि उस पर जीप भी नहीं चल सकती। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस सड़क की मुरम्मत करें ताकि उस इलाके के लोगों का आने जाने में सुविधा हो सके। एक सड़क दादरी से दिल्ली को जाती हैं। यह सड़क वाया झज्जर जाती है। झज्जर एक इम्पाटेंट तहसील है और सारे हिसार जिले के लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कभी इस सड़क को पूरा बना हुआ नहीं पाया। लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। हमेशा ही उस सड़क पर कोई न कोई काम होता रहता है लेकिन मैंने देखा कि वह काम कभी पूरा भी हुआ हो। उस काम की चैकिंग भी कोई नहीं करता कि कितना काम हुआ है और कितना बाकि रहता है। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहती हूं कि जिस मुल्क में सड़कें नहीं हैं वह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क की तरक्की के लिए सड़कों का होना बड़ा जरूरी है।

एक बात मैं रैस्ट हाउसिज के बारे में कहना चाहती हूं। रैस्ट हाउस बनवाने के लिए बहुत पैसा रखा गया है। स्पीकर साहब, हम अपनी स्टेट को एक वैलफेर स्टेट कहते हैं और हम यहां सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी का ढांचा कायम करना चाहते हैं। अगर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी कायम करनी

है तो हमें रैस्ट हाउसिंज पर इतना रूपया खर्च नहीं करना चाहिए। इस छोटी सी स्टेट में एक स्पेशल क्लास के लिए इस तरह से रैस्ट हाउसिंग नहीं बनाने चाहिएं, व तो होस्टल में ठहर सकते हैं, सराय में ठहर सकते हैं, जैसे और मुल्कों में होता है। फिर आप कहते हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं यह किस तरह का समाजवाद है जबकि आप एक स्पैशल क्लास के आराम के लिए लाखों रूपया खर्च करते हैं और गरीबों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते। फिर हम कहते हैं कि हमारी इकोनोमिक हालत इतनी कमजोर है कि हम एक मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं दे सकते। मजदूर की मजदूरी देने के लिए हम कहते हैं कि हम गरीब हैं, किसान का इकोनोमिक स्टैडर्ड ऊंचा करने के लिए हम कहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन जब हम मिनिस्टरों तथा आफिसरों का स्टैडर्ड आफ लिविंग देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि इनका स्टैडर्ड रूस, अमेरिका आदि दूसरे मुल्कों से भी ऊंचा है। ये लोग अपना स्टैडर्ड आफ लिविंग रूप, अमरीका आदि मुल्कों के स्टैडर्ड से कम नहीं रखना चाहते। मैं नहीं कहती कि उनका स्टैडर्ड कम हो जाए, लेकिन इतना जरूर कहती हूं कि उनके स्टैडर्ड में और आम लोगों के स्टैडर्ड में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। गरीब किसानों और मजदूरों का पैसा इस तरह खच्च नहीं किया जाना चाहिए।

एक बात चौधरी चांद राम ने कही कि हरिजनों की तरक्की की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं उन्हें कहना

चाहती हूं कि हमारे दिलमें भी हरिजन भाईयों के लिए उतना ही दर्द है जितना कि उनके दिल में। हमारे दादा तो हरिजनों को कूएं पर चढ़ने भी नहीं देते थे लकिन हम ऐसा नहीं करेगे। मैं चाहती हूं कि जो भी मुजारा, चाहे जाट है, ब्राह्मण है, हरिजन है, सिवानी के एरिये मैं जो भी जमीन जोतता है, उसे ही जमीन मिलती चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि अगर कोई जाट या खाती जमीन जोतता है तो वह जमीन उससे लकर किसी और को दे दी जाए। मैं तो चाहती हूं कि हरिजन भाईयों को जो सदियों से पिछड़े हुए हैं और समाज के ठेकेदारों ने उन पर अनेक अत्याचार किए हैं, उन हरिजनों को ऊपर उठाना है। जो लोग उन्हें धर्म के नाम पर एक्सप्लायट करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। अगर चौधरी चांद राम जी उन लोगों के खिलाफ कदम उठाएं जो यह कहते हैं कि उन्हें परमात्मा ने जन्म से बड़ा बनाया है तो हम चौधरी चांद राम जी का साथ देंगे।

Mr. Speaker: I am in agreement with Smt. Chandravati's observations that the soldiers are not getting their due share. So far as the Secretaries of the Boards are concerned they have been there for so many years but they have become stale. The Government is not doing what it should have done.

चौधरी बनवारी राम(जुण्डला, एस.सी.): स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले, आपके द्वारा अपनी इस लाडली सरकार को एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह हरिजन लोगों की तरफ जल्दी से

जल्दी ध्यान दें। स्पीकर साहब, आज देहात के अन्दर, हरिजन बूढ़ों की, जिनके न लड़के हैं और न लड़कियों हैं, बहुत बुरी हालत है। बड़ी मुसीबत से ये लोग दिन काट रहे हैं। स्पीकर साहब, यह बड़े जुल्म को बात है और इन जुल्मों को देखते हुए मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूं जिनकी दया से यह हिन्दुस्तान टिका हुआ हूं मैं इस सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस तरफ ध्यान दें। बहन ओमप्रीता जी तो फिरती बहुत हैं टारे इनको इन सब बातों का पता भी है मगर ये भी भूल जाती हैं। बड़े अफसोस की बात है, स्पीकर साहब, कि 21 साल के राज में भी कांग्रेस पार्टी हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकी जबकि यदि गवर्नर्मेंट चाहे तो 21 घंटे के राज में राम-राज्य स्थापित कर सकती है। स्पीकर साहब, आज तब कोर्ट भी मुख्यमन्त्री या मन्त्री मैंने ऐसा नहीं देखा जो कि हरिजन के नाम की माला न रटता हो। हरिजन, हरिजन कह करके ये माला तो रटते रहते हैं मगर करते कराते कुछ नहीं हैं। मैं तो इन कांग्रेसियों से कहूंगा कि या तो ये हरिजन के नाम की माला रटना छोड़ दें या फिर कांग्रेस को ही छोड़ दे। स्पीकर साहब, आज तक चार हकूमतें मैंने देखी हैं। पहली हकूमत सरदार प्रताप सिंह कैरो की थी। उसके राम में गरीबों पर चार आने जुल्म होते थे। कैरों साहब के बाद पंडित भगवत दयाल की हकूमत आई। हमने सोचा कि पंडित जी तो कोई अच्छा काम करेंगे मगर अफसोस कि उनके जमाने में गरीब हरिजनों पर आठ आने जुल्म होना शुरू हो गया। फिर राव साहब की सरकार आठ जो कि आपोजीशन

पार्टीयों की मिली जुली थी। हमने सोचा कि इसमें तो राम राज्य होगा लेकिन अफसोस कि इसमें 12 आने जुल्म हुआ और अब जबसे चौधरी बंसी लाल जी की सरकार आई है तो बेचारे गरीब लोगों पर पूरा एक रूपया जुल्म होना शुरू हो गया है। पीछे जैसे, स्पीकर साहब, फल्ड आए और अखबारों में लिखा हुआ था कि खतरे के निशान के ऊपर पानी पहुंच गया है, मैंने सोचा कि यह तो जुल्म हो गया। आजतक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था और मुझे डर लगा कि कहीं अगर पांचवीं सरकार हमारे यहां बन गई तो खरे के निशान से ऊपर तक पानी पहुंचने का तो क्या उससे सैकड़ों हजारों आदमियों और गांव के गांव बह जाने का पता नहीं लगेगा। स्पीकर साहब, हम तो अब इन जुल्मों को सहने के आदी हो गए हैं, अब हम नहीं धबराते क्योंकि हमें इन लोगों की हरकतों का पता लग गया है लेकिन एक बात में इन लोगों को बता दूं कि मजदूर अब पुराने दबाव में आने वाला मजदूर नहीं रहा है। अगर कहीं वह उठ गया तो बहुत बुरा होगा। स्पीकर साहब, हमें अपने मुल्क से प्यार है, इसलिए हम अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते (विरोधी दलों की तरफ से प्रशंसा)। स्पीकर साहिब, आज हमारी लड़कियों बहुत तंग है उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गांवों से लड़कियों का उठाया तक जाता है, कर्त्त्वों का कोढ़ हिसाब नहीं, मगर इधर चौधरी बंसीलाल जी कहते हैं कि राज्य में बड़ा अमन है, पुलिस बड़े अच्छे ढंग से काम करती है और पुलिस की तरफ से कोई जुल्म नहीं होता। स्पीकर साहब, पुलिस के अच्छे काम की मैं आपको मिसाल देता

हूं। आज खून हो जाते हैं। कातिल पुलिस से मिल जाता है। पुलिस डाक्टर से मिली होती है और डाक्टर पोस्टमार्टम करके लिख देता है कि आदमी खुदकशी से मेरा है और पुलिस डाक्टर की ऐसी रिपोर्ट के बाद कोई इनक्वायरी नहीं करती। इस तरह के जुल्मों के बारे में, स्पीकर साहब, अगले सैशन में बताऊंगा। इस वक्त तो आपके द्वारा सरकार से मेरी प्रार्थना इतनी ही कि वह इतने जुल्म न करे क्योंकि छाया अगर आज इधर है तो कल वहां भी हो सकती है। किसी का भी झंडा हमेशा फहराता नहीं रहता। कल का इनका झंडा नीचे भी आ सकता है और उसकी जगरह आसमानी झंडा फहरा सकता है। हमने तो, जैसे मैंने पहले कहा, इनके जुल्म सह लिए मगर ये लोग हमारा एक झटका सहन नहीं कर सकते, मगर हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम तो मुल्क को अपना दिल समझते हैं हम मुल्क को बर्बाद नहीं देखना चाहते। हम तो मुल्क को अच्छा देखना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेसी नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि या तो यह हरिजनों के नाम की माला रटनी छोड़ दें या हरिजनों के लिए जो ये वायदे करते रहे हैं उन्हें पूरा करें। यदि ये ऐसा नहीं करेंगे तो अगली बार ये इस गददी पर नहीं बैठ सकते।

अभी, स्पीकर साहब, करनाल में 346 अध्यापक और 200 से ऊपर अध्यापिकाएं ली गई थी मगर हरिजनों को केवल 45 जगहें मिलीं हैं। मैंने डी.ई.ओ. से कहा कि हरिजनों को तो 150 सीटें मिलती चाहिए थी। उन्होंने कहा कि क्या करें, चण्डीगढ़ से

45 की लिस्ट आई है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इसके पास हरिजनों की कुल 45 ही दरखास्तें थी? मैं तो कहता हूं कि 45 नहीं कोइ हजार दरखास्तें इनके पास आई होगी। मगर, स्पीकर साहब, हमें दबाया जा रहा है, हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया जा रहा। तो मेरी, स्पीकर साहब, आपके द्वारा सरकार से यही अर्ज है कि यह तो इन हरकतों से बाज आ जाओ वरना पांडवों की तरह कहीं हमें पांच गांवों की तरह आपसे सारा राज न छीनना पड़े।

श्री अध्यक्षः आपका टाइम हो गया है।

चौधरी बनवारी रामः स्पीकर साहब, लोग तो फजूल फजूल बातों के लिए आधा-आधा घण्टा ले जाते हैं मगर मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आधा घण्टा न सही पांच मिनट हर रोज दे दिया करें ताकि मैं अपने हल्के की बातें आपके द्वारा सरकार के आगे रख सकूँ।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि शाह कमीशन ने चण्डीगढ़ हरयिणा को दिया था। हिन्दुस्तान की सरकार ने कुछ वजूहात की बिना पर चण्डीगढ़ को यूनियन टैरेटरी बनाया। लकिन इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी, जो अब चण्डीगढ़ में है, जिसका नाम भी बदलना चाहिए था क्योंकि वह पंजाब की तो रही नहीं, अभी उसका नाम नहीं बदला गया। चण्डीगढ़ अगर हमारे पास

होता तो उसका नाम हरियाणा यूनिवर्सिटी हो गया होता और इसी तरह से यह जो इंजिनियरिंग कालेज है, वह भी हरियाणा का होता लेकिन आज उसका नाम पंजाब इंजिनियरिंग कालेज है। इससे, स्पीकर साहब, दिल को एक चोट पहुंचती है। चण्डीगढ़ हरियाणा का है और जितनी संस्थाएं इसमें हैं वे हरियाणा की होनी चाहिए। इससे आगे चलकर, स्पीकर साहब, यह जानकर और भी दुःख होता है कि 1965–66 के अन्दर जिस पंजाब यूनिवर्सिटी का खसारा चार लाख रूपये था, वह खसारा 1966–67 में तेईस लाख हो गया और 1967–68 में 28 लाख हो गया। स्पीकर साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा आमदनी का साधन मैट्रिक और हायर सैकण्डरी के इम्तहान हैं। पंजाब विश्व विद्यालय को आमदनी तकरीबन एक करोड़ रुपये की है जबकि खर्च कोई 60 लाख रूपये से ऊपर होगा। अन्दाजन 36 लाख रूपये बचते थे और बाकि आमदनी खर्च आदि निकाल कर एक तरह से पहले चार लाख का खसरा था जिसको कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बांटा गया था। लेकिन स्पीकर साहब, अब यह धाआ और बढ़ जाएगा जब 1970 से हर राज्य अपने बोर्डों द्वारा मैट्रिक और हायर सैकण्डरी के इम्तहान लेने शुरू करवा देगा। यह धाटा तकरीबन 36 और 43 लाख के बीच बीच होगा और नतीजा यह होगा कि कोई 60 लाख रूपये के करीब का धाटा हम बांटेंगे। धाटा देने में हमें कोई एतराज नहीं है। हम जो हरियाणे की यूनिवर्सिटी चाहते हैं, जहां हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनायेंगे अगर हमें बनी बनाई पंजाब यूनिवर्सिटी मिल जाये तो इससे बढ़कर और

खुशी की क्या बात हो सकती है। लेकिन हमें यह जानकर ताज्जुब होता है कि वहां पर जो भी बच्चे पड़ते हैं और जो भी काम करते हैं उनको छोड़ दीजिए, वहां पर आज तक 85–86 साल में हरियाणे का कोई भी भाई वाईस चांसलर नहीं रहा है, वहां पर तीन डिप्टी रजिस्ट्रार होते हैं वे भी तीनों पंजाब के हैं। हां एक दफा थोड़े से अरसे के लिए श्री भोपाल सिंह रजिस्ट्रार होते हैं वे भी तीनों पंजाब के हैं। हां एक दफा थोड़े से अरसे के लिए श्री भोपाल सिंह रजिस्ट्रार लगे थे। असिस्टेंट रजिस्ट्र भी पंजाब सूबे से आते हैं, इसके इलावा वहां पर 350 प्रोफैसर लगे हुए हैं वे तकरीबन सारे पंजाब के सूबे के हैं। यहां पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई 43 टीचिंग डिपार्टमैन्ट है और हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के केवल 13 डिपार्टमेंट हैं। जिस स्तर पर आज पंजाब युनिवर्सिटी को धाटा भी देना पड़े तो भी वहां पर जो आसामियां हैं उनमें हरियाणे के बच्चों को और हरियाणे की जनता को हिस्सा मिलना चाहिए। जब तब हरियाणे को हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक हमारा दिल दुखता ही रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, यही हालत पांजा इंजिनियरिंग कालेज की है। वहां पर भी जो हरियाणे के बच्चे आते हैं वे भी बहुत कम तादाद में जाते हैं। जहां तक इंजिनियरिंग का ताल्लुक है वह तो पंजाब सरकार के पास भी नहीं है, वह तो भारत सरकार के पास है, उनके जो चान्सलर होते हैं वह न पंजाब के गवर्नर के अधीन हैं और न हरियाणा गवर्नर के अधीन हैं। वहां पर जो

कायदे—कानून हैं वह हिन्दुस्तान की लोक सभा और राज्य सभा ही बनाती है। इस हालत में जब तब चंडीगढ़ हमको नहीं मिलता तब तक इस विश्वविद्यालय को एक तरह से जैसे बनारस और अलीगढ़ की दो अहम यूनिवर्सिटीज हैं, वैसे ही इसको बनाया जाए, और सैन्टर इस यूनिवर्सिटी को अपने हाथ में ले। इसमें जो भी धाटा हो यह सारा धाटा हिन्दुस्तान की सरकार दे। जहां तक रिजनल इंजिनियरिंग का ताल्लुक है आज भी जो कुरुक्षेत्र में इंजिनियरिंग कालेज है उसमें 250 सीटें हैं उनमें हरियाणे को केवल 125 सीटें मिलती हैं और बाकि की दूसरी स्टेट वालों के लिए होती है।

इसके इलावा अब मैं बोर्ड आफ एग्जामिनेशन के बारे में कहना चाहता हूं। हरियाणा गवर्नर्मेंट ने इसे भी बनाने का विचार किया है। हिमाचल प्रदेश ने कानून पास कर दिया और शायद पंजाब सरकार भी अपना बिल असैम्बली में ले आयेगी। मैं तो समझता था इस सदन में इस विधेयक को सरकार लायेगी, जिस विधेयक के तहत इस बोर्ड का जन्म होगा। अभी तक अगर विधेयक नहीं बनाया गया तो मुख्यमन्त्री जी से चाहूंगा कि अगर वे इस सैशन के अन्दर इस विधेयक को नहीं ला सकते हैं तो जब सैशन खत्म हो जाये इस बारे में एक आर्डिनेन्स निकालें ताकि 1970 में जो मैट्रिक के एग्जामिनेशन हो वह हमारी सरकार ले और उस बोर्ड को जो चेयरमैन हो वह मैं समझता हूं कोई तजरुबे कार हरियाणे का आदमी हो।

आपने अभी कुछ दिन हुए सुना होगा कि यहां पर हमारे किसी मन्त्री महोदय ने पंजाब एग्रीकलचर यूनिवर्सिटी के सिलसिले में एक स्टेटमैंट पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि कोई काम शुरू करने से पहले युनिवर्सिटी बनाने का कानूनी बनाना पड़ता है और उसके साथ ही कहा कि हमारी और पंजाब की जो असैट्स और लायबिलिटीज हैं उनका दोनों प्रदेशों में बंटवारा होने चाहिए। इन दोनों प्रदेशों में झगड़ा है उसका आप जल्दी से फैसला कर लें ताकि हम अपनी अलग से एग्रीकलचर यूनिवर्सिटी बना सकें। अगर आप कोई विधेयक इसके बारे में इस सैशन में ला सकते हैं तो लाये वरना जल्दी से जल्दी सैशन के बाद आर्डिनेन्स निलाले और मेरे विचार में इस सदन का कोई भी सदस्य इसका विरोध नहीं करेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक किसान का बेटा हूं, किसान के घर में पैदा हुआ। यहां पर सैटलमैंट का बड़ा जिक्र है। योजना आयोग ने किसानों की जमीन की सीमा 30 एकड़ रखी है। जिसकी अब आदमनी 3600 रुपये होती है इतनी आमदनी वाले को सेंटर की सरकार ने इन्सकमटैक्स माफ किया हुआ है लेकिन किसान का भूमिकर आपने माफ नहीं किया चाहिए उसकी आमदनी 2500 रुपये है या इससे भी कम है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि या भूमिकर का लोभ प्रदेश की सरकारों को छोड़ देना चाहिए। कई प्रदेशों की सरकारें तो इसको पंचायतों की तरकी

के लिए छोड़ देती हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर भूमिक को रखना ही है तो यह पंचायतों को दे देना चाहिए।

हमारी सरकार पर कर्ज का काफी बोझा है जो पंजाब में भाखड़ा नंगल और व्यार प्राजैकट के वक्त लिया गया था। अन्दाजन दोनों सरकारें 25 करोड़ साल का कर्ज अदा करती है। हमारे बजट का आधा पैसा कर्जे को अदा करने में लग जाता है। स्पीकर साहब, दोनों सरकारें जो कुछ कानून की बातें हैं वे तो रखें। लेकिन इनकी मत्तिक्यत का जब तब फैसला न हो जाये उस वक्त तक इस कर्जे की अदायगी न की जाये।

हाँ, जो इसके वर्किंग एक्सपैसिज हैं वह अदा करते रहें और यह भी इसलिए कि कल को पंजाब वाले ये कहने न लग जाये कि सब कुछ उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने कर्जा दिया है। मैं तो यह कहूंगा कि इन सूबों का जन्म अभी हुआ है। इनकी तरकी तब तक नहीं हो सकती जब तक यह कर्जा मुलतवी न कर दिया जावे।

मुख्यमन्त्री (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहब, एप्रोप्रिएशन बिल पर दोपहर से बहस हो रही है और बहुत सी उन बातों का ऐपिटीशन हुआ है जो राज्यपाल महोदय के एड्रैस पर बजट की जनरल डिस्कशन और डिमांड्स की डिस्कशन के वक्त कही गई थीं। उनसे बाहर कोई विशेष बात इज नहीं आई है। फिर भी,

जो दो चार बातें कही गई हैं, मैं उनका जवाब देना मुनासिब समझता हूँ।

डा. मंगल सेन ने जिक्र किया कि भिवानी से देहली जाने वाली बसिज पर से रोहतक शहर में से गुंजरने की पाबन्दी हटाई गई है, क्योंकि वह बस कम्पनी भिवानी की है, और भिवानी मेरा कर्सबा है, उस बात का क्रिटिसिजम होना स्वाभाविक ही था। मैं, स्पीकर साहब, आपके जरिए सदन को बताना चाहता हूँ कि यह पाबन्दी हमने हटाई और बहुत जायज हटाई। यह पाबन्दी सिर्फ भिवानी से देहली जाने वाली बसिज पर से ही नहीं हटाई और बहुत जायज हटाई। यह पाबन्दी सिर्फ भिवानी से देहली जाने वाली बसिज पर से ही नहीं हटाई गई बल्कि यह हिसार से देहली जाने वाली बसिज पर से भी हटाई गई है। मैंने देखा था कि चाहे बसिज में जगह हो फिर भी वह रोहतक से सवारियां नहीं बैठाती थीं। लोग सड़कों पर खड़े रह जाते थे और बसिज खाली चली जाती थीं। बहुत अरसा पहले यह पाबन्दी करनाल से दिल्ली जाने वाली बसिज पर भी थी और वह पानीपत से इधर या उधर की सवारियां नहीं उठातीं थीं। जनता की सहूलियत के लिए मैंने यह समझा कि यह पाबन्दी गलत है इसलिए उसको उठाया है। अगर इस किस्म की पाबन्दी किसी और जगह भी हटानी पड़ी तो सरकार वह भी हटाएगी। इसमें कोई इरुरेगुलैरिटी नहीं है और न ही कोई गलत बात है।

एक बात उन्होंने कही की ट्रांसपोर्ट वालों से कांग्रेस वाले पैसा लेते हैं। यह बहुत ही निराधार और गलत बात है। अलबत्ता उन्होंने पैसा इकट्ठा किया होगा, शायद उनको अपने टाईम के पाप सता रहे हों। मैं यह कह देता चाहता हूं कि मौजूदा सरकार किसी भी ट्रांसपोर्ट कम्पनी से पैसा नहीं लेगी।

चौधरी चांद राम ने बहुत कुछ कहा। उनका तो कुछ स्वभाव ही बन गया है। जैसे वह खुद हैं, दूसरों को भी वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक नाक कटा यह चाहता है कि सबके नाक करटे हों ताकि उनमें कोई फर्क न रहे उसी तरह से ही चौधरी चांद राम जी करते हैं। स्पीकर साहब, अपोजीशन का यह फर्ज होता है कि वह सरकार को प्रोवोक करें। सरकार को प्रोवोक होने से कोई फायदा नहीं है। वह जो कहना चाहते हैं, कहते रहे। अलबत्ता अगर वह अपनी कांस्टीच्युएंसी में कोई ज्यादती करना चाहें तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आज की सरकार कोई भी ज्यादती नहीं होने देगी। आज की एडमिनिस्ट्रेशन एक क्लोन एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर वह चाहें कि उनकी मर्जी के आफिसर्ज उनके हल्के में लगें और उनकी मर्जी के बगैर वहां से ट्रांसफर वगैरा न हों तो ऐसा आज नहीं होगा। आज आफिसर्ज को इन्साफ मिलेगा। जहां जिस की जरूरत होगी, वहीं उसको लगाया जाएगा।

चौधीर रणबीर सिंह जी ने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की बात कही है। उन्होंने जायज बात कही की हरियाणा के लिए

अलग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैंने इस बात को मानता हूं मगर इसके बावजूद जितना जल्दी हो सका, हम अपने लिए अलग ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश कर भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हैं। पंजाब रीआर्गेनाईजेशन एकट के तहत या तो हम पंजाब के साथ झगड़ों को हाई कोर्ट में भेज सकते हैं या सैन्ट्रल गवर्नमेंट को रैफर कर सकते हैं। अगर उनको हाई कोर्ट में भेजा जाये तो ज्यादा टाइम लग सकता है। हमने बहुत से केसिज सैन्ट्रल गवर्नमेंट को रैफर कर दिए हैं। दूसरे केसिज जो अभी तक रैफर नहीं हो सके हैं उन्हें जांच पड़ताल करने के बाद, अगर महसूस किया गया तो वह भी रैफर कर दिए जाएंगे। इस सैन्ट्रल गवर्नमेंट को परसुएड भी कर रहे हैं और जो उन पर दबाव डाल सकते हैं वह भी डाल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उन केसिज का फैसला हो। चौधरी चांद राम ने मार्किटिंग बोर्ड के बारे में कहा, वह बात जायज है। वह केस हम गवर्नमेंट को पहले ही रैफर कर चुके हैं। (विघ्न) पैप्सू रोडवेज के बारे में भी केस रैफर हो चुका है। हम सैन्ट्रल गवर्नमेंट से रिकवैस्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उन केसिज का जल्दी से जल्दी फैसला हो मगर कुछ दिक्कतें रह जाती हैं। जो प्राप्टी बाहर थी, उसका कब्जा कुद हप्तों में ही मिलने की कोशिश की है, कुछ कब्जे में ले ली हैं और कुछ ले लेंगे। मगर कानूनी दिक्कतें जो हैं उनको कानून के ढंग से ही हल करना पड़ता है।

हरिजनों के मुतालिक बहुत कुछ कहा गया है। वैसे तो किसी को भी इस बात से इन्कार नहीं कि उनको अधिक से अधिक रियायतें और सहायता मिलनी चाहिए। मैं एक बात से बड़ा हैरान हूं कि हर एक मैम्बर कहता है कि हरिजनों को खास रियासत नहीं दी गई। मैं। इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं। उनको रियायतें मिली हैं, कहुत मिली है, मगर मैं यह बात भी मानता हूं कि जितनी रियायतें उनको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली। जितनी अधिक रियायतें सरकार अपने मीन्ज और पहुंच के अन्दर जाकर दे सकती थी, दी गई है। अगर कोई मैम्बर पहुंच के बाहर की बात कहे तो वह हम कैस कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमिशन को लिखा जाता है कि इतनी रिक्रूटमेंट करनी है और उसमै इतनी परसेंटेज हरिजनों के लिए रिजर्व है, लेकिन अगर उन्हें कम्पीटेंट आदमी न मिलें तो उसमें भी सरकार का दोष बताया जाए तो ठीक बात नहीं है। पब्लिक सर्विस कमिशन एक एंडिपेंडेंट बाड़ी है, वह अपने आप रिकमेंडेशन करती है। अगर उनको कम्पीटेंट आदमी न मिले तो सरकार उस बारे में इतना कर सकती है कि उसको दोबारा रैफर कर दे। मगर पब्लिक सर्विस कमिशन की रिकमेंडेशन को न मानना बहुत गलत बात होगी। इसलिए यह इल्जाम कि सरकार कुछ नहीं कर रही, गलत बात है। मैं मानता हूं कि उन्हें अधिक रियायतें देनी चाहिएं, इस बात पर मैं हासी हूं।

इसके इलावा थोड़ा बहुत रैफ्रेस ला-एंड-आर्डर का भी किया गया। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए सदन को यकीन दिलाता हूं कि यह एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन है, इम्पार्शल एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आपोर्जीशन के भाई जोशीली तकरीरें कर कर के सरकार को डराया चाहें तो सरकार उनसे डरने वाली नहीं है। ला-एंड-आर्डर बिल्कुल मेंटेन किया जायेगा। उसे हर हालत में कायम रखा जाएगा। जोशीली तकरीरें राव साहब, जितनी भी करें, उनसे सरकार डरने वाली नहीं है।

जो बातें, फाइनांस मनिस्टर से ताल्लुक रखती हैं, उनका जवाब वह देंगी। मुझे तो इतना ही अर्ज करना था।

वित्तमंत्री (श्रीमती ओमप्रभा जैन): माननीय स्पीकर साहब, पन्द्रह तारीख से इस सदन का अधिवेशन हो रहा है और आपने सुना होगा कि अधिकतर मेम्बर साहिबान की तरफ से अपने अपने इलाके के लिए बहुत अच्छी अच्छी मांगे आई है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हरियाणा एक पिछड़ी हुई स्टेट है और जितनी तरक्की होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई और खास तौर से हमारे पडोसी सूबे पंजाब की निस्बत यहां पर बहुत कम तरक्की हो पाई है। मेम्बर साहिबान के जो भी इस विषय में फीलिंग्ज हैं, मैं भी एक पब्लिक के नुमांयदा होने के नाते शेयर करती हूं। मैं समझती हूं कि हरियाणा में बहुत कुछ करने की गुजायश है, लेकिन, स्पीकर साहब, सवाल पैदा होता है कि स्टेट के रैवेन्यूज कितने हैं। स्पीकर साहब, मैं जानती हूं कि हरियाणा की बहुत सारी

जमीन से म जदा है। मैं यह भी जानती हूं कि हमारी स्टेट इरीगेशन तथा एज्युकेशन में भी कई सूबों की रिस्बत पिछड़ी हुई है। यहां पर तमाम काम होने हैं जैसे ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी बनानी है, मैडिकल कालेज बनाना है, इंजिनियरिंग कालेज बनाना है और रिआर्गेनाइजेशन के वक्त की छोड़ी हुई समस्याओं को सुलझाना है। यही नहीं डिवैल्पमैंट के जितने साधन हैं उन सभी पर सरकार का ध्यान है। न जाने कितनी सड़कें बनानी हैं। इरीगेशन की फैसिलिटीज ऐक्सटैंड करनी हैं, यही नुक्तानजर रखते हुए सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें डिवैल्पमैंट के ऊपर ही ज्यादा ऐक्सपेंडीचर रखा गया है। 72 परसेंट प्लैन साइड में खर्च होगा और बाकी नान-प्लैन साइड में खर्च करना होगा। यह तो सभी को मालूम है कि यह सरकार अभी आई है और यह डिटर्मिड है अपनी स्टैट को बिल्ड करने के लिए, लेकिन अगर कोई भी सदस्य, चाहे वह ट्रैजरी बेंचिज का हो या कि आपोजीशन का हो, अगर हमें यह सजेंशन देता है कि इन इन मदों के वेस्टफुल ऐक्सपेंडीचर है तो हम उसे करटेल करेंगे और उसी तरह से खर्च करेंगे जो कि जनता के हित में हो।

स्पीकर साहब, बहस में हिस्सा लेते हुए श्री एस.पी. जैसवाल ने, जो कि एक बड़ी भारी डिस्ट्रिलरी में मालिक हैं, कहा कि फाइनेस मिनिस्टर को एक अच्छी हाउस वाइफ के नाते एक अच्छा बजट पेश करना चाहिए था और डिफिथ्सट बजअ की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं, जनबा, आपकी मार्फत उनके नोटिस में

यह बात लाना चाहती हूं कि घर के बजट में और सरकार के बजट में बहुत फर्क होता है। घर का बजट बनाते वक्त तो बहुत कुछ पता रहता है कि हमारी इन्कम इतनी है और ज्यादा से ज्यादा इतनी और हो जाएगी और उस लाइट में बजट बनाया जा सकता है मगर सरकार का इतना बड़ा बजट बनाना कोई आसान बात नहीं है। जहां पर कई करोड़ का बजट प्लैन करना पड़ा वहां अगर 8 करोड़ का डिफिसिट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी, अपनी स्टेट के रिसोर्सिज को देखते हुए और दूसरी स्टेट्स के बजट्स को देखते हुए उनके मुकाबले में हम कह सकते हैं कि हमारा बजट बड़ा रीयलिस्टिक, प्रैविटकल और रीजनेबल होगा। मिस्टर जैसवाल ने यह भी कहा कि इस धाटे को पूरा करने के लिए पता नहीं सरकार पिक पाकेटिंग करेगी या सरकार रूपया लूटेगी, तो इसके लिए उन्हें मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि सरकार किसी भी प्रकार की कोई मैलप्रैविटीस नहीं एडोप्ट करेगी और न बेयरेबल बर्डन से ज्यादा बर्डन किसी पर डाला जाएगा। हां, अलबत्ता मौलेसिज मैं जो बंगलिंग हुई है उसको सरकार नहीं छोड़ने वाली।

डाक्टर मंगल सैन ने अपनी स्पीच में कहा कि उनकी बहुत सी बातों का जवाब सरकार ने नहीं दिया और खादी बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने खादी बोर्ड को पैसा देकर पैसा वेस्ट किया है। तो उनकी नालिज के लिए मैं इत्तिला देना चाहती हूं कि जिस जिस खादी भंडार और खाड़ी

कमिशन के जरिए हजारों गरीबों को एम्पलायमेंट मिलता हो और फैसिलिटीज मिलती हो अपनी रोजी कमाने की, उस खादी उद्योग के लिए सरकार ने सिर्फ 3 लाख रुपए दिए हैं। यह कोई बड़ी भारी रकम नहीं है। इन्होंने भारत सेवक समाज को ग्रांट देने की बात भी कही मगर इसका जिक्र बजट में कहीं नहीं है, यह तो इनका बजट पढ़ने का और देखने का तरीका ही ऐसा है, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है?

Sh. Shyam Chand: On a point of order, Sir. May I suggest to the hon. Finance Minister that instead of spending so much money on the Khadi Bhandar, they may start export industries in the State which would earn foreign exchange also. Unfortunately I did not get any time to speak during the last 15 days and, therefore, I could not give my suggestions. Otherwise, I had got many suggestions to make....

Mr. Speaker: I am sorry, this is no point of order.

Sh. S.P. Jaiswal : An allegation has been made against the Karnal Distillery about the embezzlement of molasses. If the embezzlement is proved I will resign othersie the Finance Minister should resign. (Thumping from the Opposition)

Finance Minister: The matter has been referred to the Police. Its report will show the result. (interruptions)

श्री मंगल सैन: हल्फया ब्यान ले लो जी इन दोनों के, वरना यह बाद में बदल सकते हैं।

वित्तमन्त्री: जनबा स्पीकर साहब, डाकअर मंगल सैन ने यह भी कहा कि नैशनल डिवैलपमेंट कॉसिल से जितना पेसा लेना चाहिए था वह इन्होने नहीं लिया। मैं दाद देती हूं इनको कि इन्होने यह नाम तो लिया लेकिन इन्हें यह पता नहीं कि नैशनल डिवैलपमेंट कॉसिल हमारी क्या मदद कर सकती थी इसलिए ऐसी बातें कही हैं। नैशनल डिवैलपमेंट कॉसिल ने तो सिर्फ यह डिसाईड करना था कि सैन्ट्रल असिस्टेन्स कैसे मिलनी चाहिए और यह जानकर सदन को खुशी होगी कि जो एक प्रिंसिपल एण्ड पैटर्न ब्राड स्केल पर डिस्कमस किया गया और हमारी गवर्नरमेंट ने जो व्यू प्वांयट रखा है वह नैशनल डिवैलपमेंट कॉसिल ने मान लिया है।

श्री मंगल सैन: मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि अपना केस हमारे मुख्यमन्त्री साहब इम्प्रैसिव ढंग से नहीं रख सके।

वित्तमन्त्री: खैर, मैं यह कह रही थी कि जिस प्रिंसिपल एण्ड पैटर्स से हमारी स्टेट को फायदा हो सकात था वह उन्होंने मान लिया है। एक बात जिसको बार बार दोहराया गया है वह है सैटलमेंट की। यह कहा गया कि सैटलमेंट करके सरकार जमींदारों को टैक्स करना चाहती है। मैं उन्हें यह बतलाना चाहती हूं कि करनाल और हिसार जिलों में बहुत कुछ जमीन ऐसी है, जो बराबर अंडर कल्टीवेशन है और अंडर इरीगेशन है मगर कोई रैवेन्यू उस पर सरकार वसूल नहीं कर सकी। यह सैटलमेंट तीन साल के अन्दर मुकम्मल होगा। और उसका स्केल 40 साल के बाद

कायम हो जाएगा। यह ठीक है कि अभी उस पर कुछ खर्चा होगा मगर जो यूनिफार्मिटी रेवेन्यू में आनी लाजिसी है वह आ जाएगी जिससे स्टेट को लाभ होगा।

इसी प्रकार सूबेदार प्रभु सिंह ने भी वेस्ट लैंड की ओर कस्टोडियन प्रापर्टी की व भुदान में मिल जमीनों की ओर इशारा किया और कहा कि तमाम लेंड पउँ हुई है मगर उसको अभी तक हरिजनों को नहीं दी या लैडलैस पैजेटस को नहीं दी गयी। मैं उनको बतलानार चाहती हूँ कि यह पुरानी समस्या है। पिछली बार राव साहब को भी बड़ा मौका मिला था लेकिन उन्होंने वह काम पूरा नहीं किया। अब यह सरकार आपको मुतमईन कराना चाहती है कि हम ईमानदारी से उस काम को पूरा करेंगे। उसमें किसी किस्म की कोताही नहीं होगी।

ट्रांसपोर्ट के बारे में जो जिक किया गया उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहजब ने कह दिया है कि कोइ भी पोलिटिकल विकटठेमाइजेषन के बेसिज पर ट्रांसपोर्ट नैशनलाईज नहीं कि जाएगी। सिर्फ स्टेट की बेहतरी और ऐफीशैसी के बेसिज को देखते हुए गवर्नर्मेंट कदम उठाएगी। (राव बीरेन्द्र सिंह की ओर से विध्न)

मैं तो नहीं कहना चाहती थी लेकिन उन्होंने मुझ बार बार टोका है इसलिए पढ़ कर सुना देती हूँ।

राव बीरेन्द्र सिंह – मैं चाहता हूं कि यह शुरू हो ताकि कांग्रेस के मिनिस्टर भी सारे फांसी लटकें।

वित्त मंत्री – स्पीकर साहब, पैट्रियाडका हैडिंग है—

“CBI Report on Haryana’Maie Scandal’

The Central Government is considering what action should be taken against Rao Birendra Singh for his role in the “Maize Scandal”.

श्राव बीरेन्द्र सिंह – पहले कांग्रेस के सारे चीफ मिनिस्टर फांसी पर लटक लेंगे उसके बाद यह ऐकशन होगा।

मलिक मख्तयार सिंह: आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, मैं आप कीह रूलिंग चाहूंगा कि जब अखबारों का चर्चा आपोजीशन की तरफ से होता है तो कह दिया जाता है कि हम अखबारों की खबरों पर यकीन नहीं रखते, तो क्या इस वक्त यह अखबार का हवाला दे सकते हैं?

मुख्य मंत्री: सिर्फ इतना फर्क है कि हम हाउस में लाकर दिखा रहे हैं वह जबानी बातें करते हैं।

वित्त मंत्री: स्पीकर साहब, प्रोहिबिशन का जिक मंगल सैन जी ने बहूत जोर से किया हैं मैं दिल और दिमाग से इस चीज के हक में हूं लेकिन जब सरकार ने फैसले करने होते हैं तो उस में ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि स्टेट को रैवेन्यू भी आए। आप तो स्पीकर साहब जानते हैं कि रोहतक मैं जब

प्रोहिष्णन लागू की थी तो वहां के फौजी भार्द जब छुटटी पर आया करते थे और सोनीपत के जो बड़े बंडे इंडस्ट्रियल थे जिन को कि फारेनर्ज से डील करना पड़ता था उन को इधर उधर से शराब लानी पड़ती थी और इसके साथ ही इलियट डिस्टीलेशन बहुत ज्यादा चलती थी। तो वह चीज कामयाब नहीं हो सकी और जो हमारीह स्टेट को आमदन होनी थी वह नहीं हो पाई। इस साल हमें एकसाईंज से पौने नौकरोड़ रूप्ये की आमदन हुटठ है, इतनी बड़ी रकम को फोरगो करना कोई आसान बात नहीं है। अगर डाकअर मुंगल सैन जी को इतना ख्याल था तो 23 मार्च को जब हमे चले गए थे और उसके बाद डाकटर मंगल सैन कर्ता धर्ता थे तो क्यों नहीं उन्होंने इस पर फैसला करवा के लागू करवा दिया ?

श्री मंगल सैन : मैंने तो काफी कहा था लेकिन वह माने नहीं थे।

वित मंत्री: स्पीकर साहब, जब उन्होंने इनका कहना नहीं माना तो हमारे ऊपर यह क्यों डोरे डालने की कोशिश करते हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, बहन जी को डोरे डालने की बात नहीं कहनी चाहिए।

थवत मंत्री: बहन के प्रति आप को खुद ही यह चीज महसूस होनी चाहिए। स्पीकर साहिब,.....

Shri Mangal Sein: Sper\aker Sahib or Sahiba ?

Finance Minister: I am sorry for that. I thought the Deputy Speaker was in the Chair. I am sometimes over-awed by her personality.

Mr. Speaker: I am happy that we are getting closer.
(Laughter in the House)

वित्त मंत्री : स्पीकर साहब, यहां पर फस्ट स्टेज पर सेल्ज टैक्स लगाने की बात चली। मैं बताना चाहूँगी कि इन की पुरानी वजारत ने जो एडवाइजरी कमेटी बनाई थी उन्होंने जो सिफारिश कि थी उसमें से काफी सिफारशों को गवर्नर्मेंट ने मान लिया है। मैं यकीन दिलाती हूं कि जहां जहां भी सेल्ज टैक्स फस्ट स्टेज पर लगाया जा सके गा यह सरकार लगाएगी। (प्रशंसा) बहन चंद्रावती ने जजबात का इजहार यिका ओर कहा कि एकस-सर्विस – मैन की शिकायतें आती हैं उनकी तरफ फौरी तवज्जुह दी जाती है। हाल ही में हम ने फैसला किया है कि जिन के दो या तीन लड़के फौज में हैं उनको वार जागीरज दी जाएंगी।

श्री मति चन्द्रावती: लेकिन उस के देने का ढंग बहुत गलत है।

थवत मंत्री: उसको भी ठीक कर दिया जायेगा। इसके इलावा जो वैलफेर फंड पाकिस्तान की लड़ाई के वक्त इदकटठा किया गया था उस को कैसे खच्च किया जाए इसके लिए स्टैट लेवल पर हमने एक कमेटी बनाई है ताकि फौजी भाइयों को रकम

लेने में किसी प्रकार से तकलीफ न हो। इसके इलावा सिक्योरेटी आफ लैड टैन्योर्ज एकट कोक इस तरह अमैड करना चाहते हैं कि फौजियों का मुजारों के साथ झगड़ा न हो और जबवह फौज से वापिस आएं तो उन्हें आसानी के साथ अपनी जमीन का कब्जा मिल जाए। इसके इलावा फौजी भाई जो टैम्परेरी कमिशन में गए हुए थे और अब वापिस आ रहे हैं उनके लिये नौकरियों में खास परसेंटज रिजर्व कीह है। जिस जिस डिपार्टमेंट में एकस-सर्विसमैन का कोई वैलफेर हो सकता हे उसको ध्यान में रखा जाता है। बाकी अगर आप साहिबान उनके वैलफेर के लिये और सजैषन देंगे तो हमउ न रपूरी तरह गौर करेंगे।

स्पीकर साहिब, हाउस में डाकअर मंगल सैन ही सरकारी मुलाजिमों के सब से बड़े हमदर्द मिलै। मैंने उनका जवाब पहले भी उस दिन दिया था। वह कहते हैं कि पंजाब के बराबर ग्रेड हरियाण के मुलासजिमों को भी मिलने चाहियें। स्पीकर साहिब, मैं कहूंगी कि अगर हमारी आमदनी पंजाब के बराबर होती तो शायद हम उनसे भी ज्यादा देदेते। डीयरनैस अलाऊंस सेंट्रल रेट्स की बिना पर हिन्दूस्तान में चांद स्टेटों ने दिया है और हमने भी इनको सैटर के बराबर दे दिया है। कोठारी कहिमशन की रिपोर्ट हिन्दूस्तान में सिर्फ तीन स्टेटों में लागम हुई है और हमने भी इस को लागे करके टीचर्ज के ग्रेड बढ़ा दिये हैं। जैसा कि मैंने बताया पंजाब का मुकाबला करने सेक हमारी बात नहीं चल सकती। इस सम्बंध में मैं हरियाणा असैमबली के विधायकों और अपनी जनता

का समर्थन लेना चाहती हूं। हमने सरकारी मुलजमों के लिए पहले बहुत कुद किया है। हमारे हरियाणा के बीहुत से इलाकों में अभी पीने का पानी भी नहीं हैं इसलिये मैं गवर्नमेंट एम्पलाईज से कहूंगी कि थोड़ा बहुत जो डिफरेंस रहता है उसको वह सेक्रीफाइस करें और स्टेट के इंट्रस्ट में काम करें।

स्पीकर साहब, मुझे इस बात की खुशी है कि इस हाउस की आज ओवरआल डेलिब्रेशन्ज रही है वह हैल्दी रही है। इससे हमारे हाथ मजबूत हुए हैं। रीआर्गेनाईजेशन के बाद असेट्स और लायबिलिटीज में जो चीजें हम कम मिली हैं उसके लिए हम सैटर से जो स्पेशल असिस्टैट लेना चाहते हैं उसमें सबने हमारा साथ देने का यकीन दिलाया है। इसके इलावा भाखड़ा और चंडीगढ़ के लिये भी यूनैनीमस ब्यूज है। मैं। समझती हूं कि इन चीजों से हमें प्लैनिंग कमिशन और फाइनेंस कमिशन से काफी पैसा मिल सकेगा। स्पीकर साहब, अगरी हमें चार पांच साल के लिये पैसा मिल जाए तो हरियाणा के अन्दर इतना पोटैशल है कि यह काफी आगे जा सकता है और हिन्दुस्तान की खुशहाल स्टेटों में से एक स्टेट बन सकता है।

PERSONAL EXPLANATION BY RAO BIRENDER SINGH

राव बीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंटऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर स्पीलकर साहिब, आनरेबल वित मंत्री ने कोई एक अखबार पढ़ कर मेरे मुतालिक कुछ जिके खैर किया है।

बहुत दिनों से मेज स्कैंडल की बात हरियाणा के अंदर चलती आ रही थी और अब यह पहाड़ खोदते खोदते सैंट्रल सरकार ने हमारी मेहरबान सरकार की शाह से कोई एक रिपोर्ट का जिक्र किया है।

स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे यह नहीं मालूम कि क्या रिपोर्ट है, लेकिन जो कुछ हमने किया संयुक्त दल सरकार के टाइम में वह सब कुछ प्रोड्यूसर और फार्मर के हक में किया और इसका जो जिक्र है इसके लिये सब से ज्यादा जिम्मेदारी फार्मर के खिलाफ ऐसा कानून बनाने की और यह सारी साजिश करने की मर्कजी सरकार पद आयाद होती है। दल सरकार ने एक नई लाईन अखितयार की और मर्कजी सरकार को बताया कि स्टेट के एग्रीकल्चर के अन्दर आपको दखल देने का कोई अखितयार नहीं है। इसके बाद हिन्दुस्तान में लोगों ने कुछ ऐसे रास्ते अपनाएं लेकिन एब से पहले हरियाणा सरकार ने मर्कज को चपत लगाई। अब अगर उस सरकार के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बदला लेने की भावना से कुछ करना चाहते हैं तो बेशक यह रास्ता अखितयार करें और यह रस्म कायम करें ताकि कांग्रेस सरकार के मिनिस्टर साहिबान भी किसी वक्त दरखतों से फांसी लटकाए जाएं (विधन) मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ उस वक्त दल की सरकार ने किया वही अब मर्कज में आपकी कांग्रेस सरकार ने किया है और मोटे अनाज पर से पाबन्दी हटा दी है। दल की सरकार ने उस वक्त ऐसा इसलिये किया था क्योंकि मोटा

अनाज सड़ रहा था और उस की कीमतें घट रही थीं और स्पीकर साहिब, आप जानते हैं कि सोनीपत में मक्की का भाव 60 रुपए और दो मील बाहर जाकर स्मगलिंग से 110 रुपये देहली में और कलकता में जाकर 140 रुपये में यह बिक रही थी। सारा मुनाफा ब्लैक मार्केटिये और पुलिस वाले कमा रहे थे। हम ने चाहा किसानों के पास यह पैसा आए और

लोक कार्य मंत्री: किसान के पास से तो आ कर सारा अनाज ट्रेडर के पास आ चुका था।

राव बीरेन्द्र सिंह: अनाज किसान के पास था या छोटे व्यापारी के पास था। अगर हमने किसी को फायदा पहुंचाना होता और किसी की रियायत करनी होती तो हम सिरफ मोटे व्यापारी के लिये ही परमिट जारी करते। लेकिन हम ने जनरल इजाजत दे दी कि जो व्यापारी आए एक ट्रक का परमिट लेकर ले जाए। हम ने हर एक को एक ट्रक का परमिट इशू किया और यह स्टेट सरकार को अखित्यार था कि कवह परमिट के जरिये मोटे अनाज को बाहर भेज सके, मर्कजी सरकार उस पर पाबन्दी नहीं लगा सकती थी। अगर कुछ व्यापारियों ने सट्टा करके फायदा उठाने की कोशिश की और जब जल्दबाजी की तो उसमें सरकार का कोई कसूर नहीं था (विधन) वह बात अदालतों में आएगी कि किस का व्यान था, उसमें कांग्रेसी भाइयों ने भी कुछ फायदा उठाया होगा (विधन) कानून में सिरफ फूड स्टपस का जिक्र है

लेकिन मर्कजी सरकार ने इस लपज का नाजायज फायदा उठाया ..

.....

मुख्य मंत्री: चलो अब आपकी बात हो गई।

राव बीरेन्द्र सिंह: मैं आपको समझा रहा हूं कि शायद आपको बात समझ आ जाए। कनकरेंट लिस्ट में फूड स्टपस का लपज है और उस नाम की आड़ लेकर मर्कजी सरकार फूड ग्रेन्ज पर कंट्रोल करने लग पड़ी थी जोकि गलत बात थी। कायदा कानून के मुताबिक ले जाने के लिये परमिट होना चाहिए था और वह थे और मिले। लेकिन अगर बीच में रेलवे वालों से व्यापारियों ने कोई गड़बड़ की तो उसका जो कुछ होगा (विध्न) यह पालिसीज थीं हमारी और हम खुश हैं इनके उपर। हमारी इन पालिसीज की वजह से हरियाणा के फार्मर ने इतनी जलदी तरकी की और ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इतना जबरदस्त ब्रेक थू लाया कि जहां हम 25 लाख टन की उम्मीद करते थे वहां हमारी इन पालिसीज की वजह से जो दल की सरकार ने किसान के हक में अखित्यार की एक साल के अन्दर अन्दर 40 लाख टन अनाज की पैदावार हो गई है। इस बात से खुश हैं कि किसान के भले की बातें दल सरकार ने कीं, चाहे अब यह जो इलजामात हम पर लगायें, चाहे मर्कजी सरकार हम से बदला लेना चाहे और बाबू जगजीवन राम जी अपनी झेंप मिटाने के लिये कुछ भी करना चाहें। लेकिन फार्मर को पता है और छोटे व्यापारी को पता है कि निहायत ईमानदारी के साथ जो उस सरकार ने कदम उठाया वह

मुनासिब था। यहां पर कानून का राज है और जो कुछ होना है उसका फैसला अदालतों में होना है। मैं चाहता हूं कि अदालत में केस जाएं ताकि इनकी विकटेमाइजेशन का पता लगे और सैंटर की सरकार अपनी पुलिस से अपनी मन चाही रिपोर्ट लेना चाहती है सो ले उसका फैसला अदालत में हो जाएगा। मैं अपनी बहन से कहूंगा कि यह खबरे तो आपने पढ़ लीलं लेकिन वह खबरें भी पढ़े कि चीफ मिनिस्टरज कांफ्रेन्स में यह यूनैनीमस फैसला हुआ था कि चीनी पर से पार्सल कंट्रोल नहीं हटाया जायेगा, या तो कम्पलीट कंट्रोल होगा या पूरा डीकंट्रोल होगा, लेकिन उस यूनैनीमस फैसले पर अमल नहीं किया गया और आपके कांग्रेसी फूड मिनिस्टर ने न मालूम क्या हेरा-फेरी करके 40 फीसदी चीनी तो रलीज कर दी और 60 फीसदी पर कंट्रोल कर लिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि जो चीनी ब्लैक मार्किट में डेढ़ रुपया में मिलती थी उस पांच रुपये में बेचने की खुली छुट्टी दे दी गई। यह है गड़बड़ जिस पर सारी इनकवायरी होनी चाहिए कि यह क्या माजरा है (विधन) मैं। कहना चाहता हूं कि इसकी खुली जांच होनी चाहिए.....

Khan Abdul Ghaffar Khan: On a point of order, Sir. Mr. Speaker, Sir, I invite your attention to the speech given by the hon. Leader of the Opposition rising on a point of personal explanation. He was making reference to Babu Jagjiwan Ram, a Central Minister. So, my point of Order is whether the actions of a Central Minister can be the subject of discussion in this House because so far there is no Rule in our Rules of

Procedure which permits that. (Interruption by Rao Birender Singh) Since I am not well, I do not want to enter into controversy but would request the hon. Leader of the Opposition not to do that and Sir, would request you that what ever has been said about the Central Minister may kindly be expunged from the proceedings of the House.

Mr. Speaker; As the Hon. Member is aware, a reference was invited to a news items, to which the Leader of the Opposition was pointing out. So, he is not contravening any Rules of Procedure.

राव बीरेन्द्र सिंह: मैं इन अल्फाज के साथ अब खत्म करता हूँ कि जिस तरीके से यह पुलिस से रिपोर्ट लेकर अपनी पिछली शर्म, हार और जो शिकस्त फाश इनकी हुई औरजो हमारी वाह वाह हुई और जिस तरीके से हम ने अपनी अच्छी पालिसीज की वजह से कांग्रेस का मुकाबला किया और पांच लाख वोट लेकर दिखाए यह उस को कम करना चाहते हैं और ऐसे भूंडे तरीके से यह लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और हमारी विशाल हरियाणा पार्टी के इस नारे को खत्म करना चाहते हैं वह तरीका इनका कामयाब नहीं होगा और यह एक्सपोज होंगे। मैं समझता हूँ कि यह एक हैल्दी ऐंजाम्पल होगी कि किसी सरकार के साबक चीफ मिनिस्टर की बात जो उसने ऐंज चीफ मिनिस्टर की हो वह सदालतों में आए और उस पर मुकदमा हो और उस का फैसला हो ताकि दश के अन्दर हमेशा के लिये रास्ता खुल

जाये और उसके बाद वक्त आने पर यह बंसीलाल जी भी अदालतों में खड़े हों।

THE HARYANA APPROPRIATION BILL, 1968

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Speaker: Question is:-

That Schedule stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Smt. Om Prabha Jain): Sir, I beg to move:-

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday the 30th July, 1968.

6.00 P.M.

(The Sabha then adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 30th July, 1968)